बिहार सरकार

सुशील कुमार मोदी

उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री, बिहार

का

बजट भाषण

2018 - 2019

27 फरवरी, 2018

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आपकी अनुमति से मैं वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए बजट अनुमान प्रस्तुत कर रहा हूँ।

माननीय सदस्यगण,

बिहार एक महत्वपूर्ण सामाजिक–आर्थिक दौर से गुजर रहा है जहाँ राष्ट्र के विकास में बिहार राज्य की सहभागिता कई गुना बढ़ी है। विगत कुछ वर्षों में बिहार नें अपने प्रबल मानव संसाधन के बल पर एक अभूतपूर्व मुकाम हासिल किया है जिसमें राज्य सरकार के कुशल आर्थिक प्रबंधन और सामाजिक योजनाओं की भूमिका अद्वितीय है।

पिछले एक साल में पूरे विश्व ने आर्थिक वित्तीय ढांचे में एक व्यापक बदलाव महसूस किया है जिसका प्रभाव बिहार समेत पुरे देश पर पड़ा है। जहाँ एक ओर वैश्विक आर्थिक विकास बेहतर हुआ और पूरी दुनिया का संयुक्त विकास दर 3 प्रतिशत के आस पास रहने की सम्भावना है; वहीं जलवायु परिवर्तन और बढ़ते हुए प्रदूषण के स्तर ने आर्थिक सामाजिक विकास पर प्रतिकूल असर किया है। ब्रिटेन का यूरोपीय संघ से अलग होना एक महत्वपूर्ण सामाजिक–आर्थिक घटना है और यह इस बात को रेखांकित करता है की वैश्वीकरण के इस युग में हमें आर्थिक असमानता की समस्या को एक नए सिरे से देखना होगा। हमें देश एवं राज्य की आर्थिक विकास की संरचना को समग्रता के साथ प्रबल करना होगा ताकि समाज के हर वर्ग का समान्तर विकास और प्रगति हो सके ।

वर्तमान परिदृश्य में राजकीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में सूचना प्रौद्योगिकी के अनुकलन, वैज्ञानिक एवं आर्थिक अनुसन्धान, सटीक एवं सामयिक नीति निर्माण, और कुशल प्रबंधन की अहम् भूमिका होगी जिसका सीधा प्रभाव राज्य के आर्थिक आय और व्यय पर पड़ेगा। इस दिशा में केंद्र सरकार के द्वारा लागू किया गया GST कर प्रणाली राष्ट्र एवं राज्य की अर्थ व्यवस्था को बेहतर बनाने का एक शानदार उदाहरण है। GST कर प्रणाली का बिहार ने न सिर्फ सबसे पहले समर्थन किया बल्कि उसे क्रियान्वित करने के लिए ठोस आर्थिक एवं वित्तीय कदम उठाये। यह दर्शाता है कि बिहार नई व्यवस्था निर्माण के लिए कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए कटिबद्ध है।

सेवा क्षेत्र (Service Sector) में बेहतर विकास की वजह से अर्थव्यवस्था में कुछ बुनियादी संरचनात्मक बदलाव हुए हैं। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल आर्गेनाइजेशन ने 2011–12 को मूल वर्ष मानते हुए GSDP के लिए नए आंकड़े प्रस्तुत किये जिसमें बिहार की पिछले साल की विकास दर को 10.3% बताया और यह राष्ट्रीय GDP दर 7% से लगभग 3% अधिक है। बिहार के बेहतर आर्थिक विकास दर का राज्य के सामाजिक क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रभाव पड़ा है। गरीबी अनुपात की दर 2004–05 के 54.4 प्रतिशत के मुकाबले घटकर 33.7% हुई है जो आने वाले समय में और बेहतर होने की सम्भावना है।

साल 2011–12 के स्थायी मूल्य दर से 2016–17 के लिए बिहार राज्य का कुल GSDP 3.32 लाख करोड़ रूपये था और प्रति व्यक्ति GSDP 29,178 रूपये था। वर्तमान मूल्य दर से 2016–17 का अनुमानित GSDP 4.38 लाख करोड़ रूपये था और अनुमानित प्रति व्यक्ति GSDP 38,546 रूपये था। वर्ष 2018–19 में GSDP 5,15,634 करोड़ रूपये रहने का अनुमान है।

अगर अलग–अलग क्षेत्रों के बिहार के विकास में योगदान की बात करें तो साल 2016–17 में प्राथमिक क्षेत्र (Primary Sector) की हिस्सेदारी 21 प्रतिशत रही है जो 2011–12 के 25.8 प्रतिशत के मुकाबले 4.8 प्रतिशत कम है। इसका सीधा प्रभाव द्वितीयक (Secondary Sector) एवं खास कर तृतीयक क्षेत्रों के विकास के बढ़ोतरी के रूप में पड़ा है। पिछले साल तृतीयक क्षेत्र (Tertiary Sector) की भागीदारी 55.5 प्रतिशत से बढ़कर 61 प्रतिशत हुई है। यह साफ दर्शाता है की राज्य की अर्थव्यवस्था बहुआयामी हुई है और भविष्य में इन क्षेत्रों में रोजगार सृजन एवं आर्थिक विकास की संभावनाओं को और बल मिलेगा।

बाढ़ का मुकाबला

- राज्य को वर्ष 2017 के अगस्त माह में भयंकर बाढ़ का मुकाबला करना पड़ा। राज्य की 2406 पंचायतो की 1 करोड़ 72 लाख आबादी एवं 17.80 लाख पशु प्रभावित हुए। बाढ़ के कारण 514 लोगों की मृत्यु हो गई। बाढ़ की विभिषिका का अन्दाजा इसी से हो सकता है कि अररिया जिले में जहाँ अगस्त 2017 माह में औसत वर्षापात 346 mm होती है वहाँ केवल 11,12,13 अगस्त, 2017 के तीन दिनों में 363 mm वर्षा हुई।

- प्रधानमंत्री के निर्देश पर सेना के 450 जवान, 70 बोट, NDRF के 1152 जवान, 118 बोट तथा राज्य सरकार की SDRF के 446 जवान, 92 बोट द्वारा अभूतपूर्व बचाव कार्य किया गया।

- राज्य सरकार ने अपने खजाने से 4188 करोड़ रू० बाढ़ राहत कार्य पर व्यय किया है। जिसमें 2290 करोड़ से केवल 38 लाख से ज्यादा परिवारों के खाते में 6–6 हजार रूपए DBT के माध्यम से पहुँचाया गया है। 104 करोड़ रूपये व्यय कर 32 लाख परिवारों को 10 किलो का फूड पैकेट

पहुँचाया गया। 14 लाख 61 हजार परिवारों को सूखा राशन एवं कृषि इनपुट सब्सिडी हेतु 894 करोड़ रूपये जिलों को आवंटित किया गया। क्षतिग्रस्त सड़कों, तटबंध एवं नहरों के पुनर्निर्माण हेतु 400 करोड़ रु० ग्रामीण कार्य, 200 करोड़ रू० पथ निर्माण तथा 300 करोड़ रूपये जल संसाधन विभाग को उपलब्ध कराया गया है।

राज्य को पुरस्कार

- राज्य सरकार की भ्रष्टाचार के प्रति शून्य टोलरेंस नीति का ही परिणाम है कि राज्य के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को प्रथम मुफ्ती मोहम्मद सईद पुरस्कार 'सार्वजनिक जीवन में शुचिता' के लिए जम्मू–कश्मीर सरकार द्वारा नवाजा गया।
- सुशासन का ही परिणाम है कि राज्य को 2017 में राष्ट्रीय स्तर पर अनेक महत्वपूर्ण पुरस्कार मिले। नवाचारी प्रयोग के रूप में 'बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम' को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसायटी एवं जिला पदाधिकारी, बाँका को सूचना प्रावैधिकी का उपयोग कर सरकारी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हेतु 'उन्नयत बाँका' अभियान के लिए 'कलाम इनोवेशन इन गवर्नेस अवार्ड' प्रदान किया गया।
- जिला पदाधिकारी, नालंदा को भी लोक प्रशासन में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार, 2017 से सम्मानित किया गया।
- वर्ष 2017 में मक्का उत्पादन में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए भारत सरकार द्वारा राज्य को 'कृषि कर्मण पुरस्कार' दिया गया है।
- वहीं 'बिहार म्यूजियम' को अन्तर्राष्ट्रीय ब्रान्डिंग और कारपोरेट कम्युनिकेशन श्रेणी में IF Design Award के लिए चुना गया है। 6,400 प्रविष्टियों में से बिहार म्युजियम को 63 अन्तर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ जूरी द्वारा अवार्ड के लिए चयनित किया गया है।
- पटना स्थित सम्राट अशोक कनवेंशन सेंटर को CIDC द्वारा उत्कृष्ट वास्तुशिल्प के लिए 10वें विश्वकर्मा पुरस्कार के लिए चुना गया है।

सामाजिक बदलाव हेतु जन अभियान

- दहेज प्रथा एवं बाल विवाह उन्मूलन के अभियान के अंतर्गत 21 जनवरी, 2018 को 14,060 कि०मी० लम्बी मानव श्रृंखला में राज्य के 3 करोड़ 80 लाख लोगों ने भाग लिया। यह अभियान महिलाओं और युवाओं को और सक्षम बनाने की दिशा में एक निर्णायक कदम है जो समाज की कई कुरीतियों को दूर करेगा।

- बिहार सरकार ने इस साल बापू के चम्पारण सत्याग्रह के सौ वर्ष होने के उपलक्ष्य में पूरे बिहार में महात्मा गाँधी के आदर्शों को जन–जन तक पहुंचाने के लिए कई कार्यक्रम चलाया है। महात्मा गाँधी के आदर्शों के सामाजिक अनुकरण की दिशा में यह एक प्रभावशाली कदम है जिसे बिहार सरकार भविष्य में भी प्रोत्साहित करेगी ।
- श्री गुरू गोविंद सिंह जी महाराज के 350वें प्रकाश पर्व के समापन पर बिहार सरकार ने शुकराना समारोह का सफल आयोजन किया जिसमें सिख समुदाय के अभिवादन एवं मेजबानी के लिए उत्कृष्ट प्रबंधन किया गया। यह बिहार की सामाजिक समरसता एवं सर्व धर्म समागम के स्वर्णिम इतिहास को आगे बढ़ाने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल थी।
- 1857 के स्वत्रंता संग्राम के महान योद्धा बाबू कुवँर सिंह के 160वें विजयोत्सव पर 23 अप्रैल से 25 अप्रैल, 2018 तक राज्य में बड़े पैमाने पर कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा।

सात निश्चय : विकास का मंत्र

- बिहार सरकार के द्वारा सामाजिक क्षेत्र में व्यापक बदलाव की दिशा में 'सात निश्चय' की शुरूआत की गयी है जो कई नीतिगत योजनाओं का समागम है। इसके माध्यम से सरकार ने युवाओं के कौशल विकास, महिला सशक्तिकरण, हर घर बिजली, नल का जल एवं शौचालय का निर्माण, गांव में पक्की नली–गली का निर्माण तथा टोलों को संपकर्ता प्रदान कर राज्य की आधारभूत संरचना एवं मानव संसाधन के विकास की दिशा में एक बड़े स्तर की पहल की है जिसका अनुमानित व्यय 2.7 लाख करोड़ रूपये होने की संभावना हैं। राज्य की सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था लागू की गयी है।
- राज्य के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान में युवाओं का योगदान, उच्च शिक्षा के विकास एवं कुशल कामगारों के आपूर्ति पक्ष को मजबूत करने के उद्देश्य से प्रत्येक जिला में जी.एन.एम. संस्थान, पैरा–मेडिकल संस्थान, पॉलिटेकनिक, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान एवं अभियंत्रण महाविद्यालय तथा प्रत्येक अनुमण्डल में ए.एन.एम. संस्थान एवं सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की कार्रवाई की जा रही है।
- इसके अतिरिक्त सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा युवाओं को उच्च शिक्षा का लाभ देने हेतु बिहार स्टूडेन्ट क्रेडिट कार्ड योजना संचालित है। अगले वित्तीय वर्ष से बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।

कृषि रोड मैप

- बिहार सरकार नें कृषि विकास को तीव्र गति देने के लिए 1.54 लाख करोड़ रूपये के आर्थिक व्यय से तीसरा कृषि रोड मैप (2017–22) जारी किया है जो सीधे तौर पर बिहार के विकासशील कृषि एवं कृषि सम्बंधित क्षेत्रों को सुव्यवस्थित तरीके से विकसित करेगा। सरकार ने देश के हर थाली में कम से कम एक बिहारी व्यंजन पहुंचाने के लक्ष्य को बरकरार रखा है जो न सिर्फ बिहार के आर्थिक विकास में सहयोग करेगा बल्कि बिहारी अस्मिता और खेतिहर बिरादरी के लिए एक नया आयाम स्थापित करेगा। साथ ही राज्य में प्रदूषण के प्रभाव को कम करने और वातावरण को बेहतर बनाने के दृष्टिकोण से हरित क्षेत्र को 15% से बढ़ाकर 17% करने का लक्ष्य रखा गया है ।

बजट 2018

- बिहार राज्य का **बजट आकार** 2004–2005 में 23,885 करोड़ रु० था जो वर्ष 2017–18 में 7 गुणा बढ़कर 1.60 लाख करोड़ रूपये तथा 2018–19 में यह बढ़कर 1,76,990 करोड़ रूपये हो गया है।
- वित्तीय वर्ष 2018–19 का **वार्षिक स्कीम** का कुल बजट अनुमान 91,794.73 करोड़ रूपये है, जो वित्तीय वर्ष 2017–18 के बजट अनुमान 80,891.61 करोड़ रूपये से 10,903.12 करोड़ रूपये अधिक है।
- वित्तीय वर्ष 2018–19 में **स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय** का बजट अनुमान 84,672.62 करोड़ रूपये है, जो वित्तीय वर्ष 2017–18 के बजट अनुमान 78,818.46 करोड़ रूपये से 5,854.16 करोड़ रूपये अधिक है।
- वित्तीय वर्ष 2018–19 में कुल **पूंजीगत व्यय** 40,250.60 करोड़ रूपये अनुमान किया गया है जो कुल व्यय का 22.74 प्रतिशत एवं वर्ष 2017–18 के बजट अनुमान 37,482.87 करोड़ रूपये से 2,767.73 करोड़ रूपये अधिक है।
- वित्तीय वर्ष 2018–19 में कुल **राजस्व व्यय** 1,36,739.67 करोड़ रूपये अनुमान किया गया है, जो कुल व्यय का 77.26 करोड़ रूपये एवं वित्तीय वर्ष 2017–18 के बजट अनुमान 1,22,602,82 करोड़ रूपये से 14,136.85 करोड़ रूपये अधिक है।
- वर्ष 2018–19 में **वेतन, पेंशन, ब्याज भुगतान एवं ऋण वापसी** पर कुल 80 हजार 551 करोड़ रूपए व्यय होंगे जिसमें वेतन हेतु 21,272.02 करोड़ रूपये, प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालय के शिक्षकों, कर्मचारियों एवं अन्य कर्मियों के लिए वेतन अनुदान हेतु 22,865.80 करोड़ रूपये, संविदा कर्मियों के वेतन पर 2499.69 करोड़ रूपये, पेंशन हेतु 15,828.81 करोड़ रूपये, ब्याज भुगतान 10,763.49 करोड़ रूपये एवं ऋण वापसी पर 7,326.42 करोड़ रूपये व्यय अनुमानित है।

- वित्तीय वर्ष 2018–19 में कुल **राजस्व प्राप्तियाँ** 1,58,051.41 करोड़ रूपये अनुमान है जो वित्तीय वर्ष 2017–18 के बजट अनुमान 1,37,158,41 करोड़ रूपये से 20,893 करोड़ रूपये अधिक है।
- वित्तीय वर्ष 2018–19 में राज्य के **अपने स्त्रोतों से कर राजस्व** के रूप में 31,002.03 करोड़ रूपये प्राप्त होने का अनुमान है। जिसमें 23,302 करोड़ रूपये **वाणिज्य कर**, 4,700 करोड़ रूपये **स्टाम्प एवं निबंधन** शुल्क, 2000 करोड़ रूपये **परिवहन कर** एवं 1 हजार करोड़ रूपये **भू–राजस्व** से प्राप्त होगा।
- वित्तीय वर्ष 2018–19 में राज्य के **अपने स्त्रोतों से गैर कर राजस्व** के रूप में 4,445.89 करोड़ रूपये प्राप्त होने का अनुमान है जो वित्तीय वर्ष 2017–18 के बजट अनुमान 2,874.96 करोड़ रूपये की तुलना में 1,570.93 करोड़ रूपये अधिक है। इसमें **खनन** से 1600 करोड़ रूपये, **ब्याज प्राप्तियों** से 2187.39 करोड़ रूपये शामिल है।
- बिहार राज्य का **राजस्व अधिशेष** साल 2012–13 के रु 5,101 करोड़ के मुकाबले साल 2016–17 में रू० 10,819 करोड़ रहा है। साल 2017–18 के लिए राज्य अधिशेष रु 14,556 करोड़ एवं 2018–19 में 21,311.74 करोड़ रूपए है जो बिहार राज्य के इतिहास में अपने सर्वोत्तम स्तर पर होगा। यह गौर करने वाली बात है कि शराबबंदी के सफल क्रियान्वन के बाद जो राज्य की आय में कमी आयी थी उसे सरकार ने अपने कुशल वित्तीय प्रबंधन से न सिर्फ पूरा किया बल्कि 2018–19 के लिए राजस्व अधिशेष में ऐतिहासिक बढ़ोतरी का लक्ष्य रखा है।
- वित्तीय वर्ष 2018–19 में 11,203.95 करोड़ रूपये **राजकोषीय घाटा** रहने का अनुमान है जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद 5,15,634.00 करोड़ रूपये का 2.17 प्रतिशत है।

केन्द्र सरकार से प्राप्ति

- केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी साल 2014–15 में 36,963 करोड़ रूपये था जो 2015–16 में बढ़कर 48,923 करोड़ रूपये हुआ और साल 2016–17 में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी के बाद 58,881 करोड़ रूपये हुआ। 2017–18 में 65,326.34 करोड़ रूपये एवं 2018–19 में 76,172.37 करोड़ रु० अनुमानित है।
- वित्तीय वर्ष 2018–19 में राज्य को केन्द्र सरकार से सहायक अनुदान के रूप में 46,431.12 करोड़ रूपये प्राप्त होने का अनुमान है, जो वित्तीय वर्ष 2017–18 के बजट अनुमान 36,956.00 करोड़ रूपये से 9,475.12 करोड़ रूपये अधिक है।
- वित्तीय वर्ष 2018–19 में केन्द्रीय प्रक्षेत्र स्कीम के लिए 522.92 करोड़ रूपये का प्रावधान है।

ऋण प्रबंधन

- वर्ष 2005–06 में राज्य सरकार पर कुल बकाया ऋण GSDP का 56.36 प्रतिशत था। राज्य के ऋण जाल में फँसने का खतरा था। नया ऋण भी पुराने ऋण तथा ब्याज की अदायगी में ही खर्च हो रहा था। बेहतर वित्तीय प्रबंधन के कारण 2016–17 में कुल ऋण 1 लाख 38 हजार 721 करोड़ रूपये है जो राज्य के GSDP का 25.66 प्रतिशत है। वर्ष 2018–19 के अंत में लोक ऋण 1,37,900.82 करोड़ रूपये अनुमानित है जो सकल घरेलू उत्पाद का 26.74 प्रतिशत है।

अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन जातियों के लिए कर्णांकित राशि

- अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन जातियों पर व्यय होने वाली राशि को प्रत्येक विभाग में अलग से लघुशीर्ष में प्रदर्शित किया जाता है ताकि उक्त राशि का व्यय अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन जातियों के समुदाय के लाभ के लिए ही किया जाय और राशि का अन्यत्र व्यय नहीं किया जा सके। अनुसूचित जातियों के लिए 16,733.51 करोड़ रूपये एवं जनजाति के लिए 1,564.77 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।

सर्वाधिक खर्च

- राज्य सरकार वर्ष 2018–19 में शिक्षा पर 32 हजार 125 करोड़ 64 लाख रूपये व्यय करेगी। राज्य की सड़कों पर 17 हजार 397 करोड़ 67 लाख रूपए एवं उर्जा पर 10 हजार 257 करोड़ 66 लाख रूपये व्यय का अनुमान है। स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत 7793.82 करोड़ रूपये तथा समाज कल्याण विभाग एवं कमजोर वर्गों के पेंशन, आँगनबाड़ी अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा से संबंधित विभागों में 10,188.54 करोड़ रूपये का बजटीय प्रावधान है।

अब मैं विभागवार प्रस्ताव लेता हूँ।

कृषि विभाग

- वर्ष 2017–18 में कृषि विभाग का स्कीम मद में रू० 2207.12 करोड़ तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय रू० 437.62 करोड़ कुल प्राक्कलन रू० 2644.74 करोड़ था तथा वर्ष 2018–19 में स्कीम मद में रू० 2171.34 करोड़ तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय रू० 578.43 करोड़ कुल प्राक्कलन रू० 2749.77 करोड़ है।
- राज्य में कृषि के समग्र विकास तथा खाद्य व पोषण सुरक्षा, किसानों की आमदनी को बढ़ाने एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के उद्देश्य से वर्ष 2017–2022 के लिए **कृषि रोड मैप** का निर्माण किया गया है, जिसका शुभारम्भ भारत के महामहिम राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविन्द के द्वारा दिनांक 09 नवम्बर 2017 को किया गया।
- इस रोड मैप मे कृषि से संबंधित 12 विभागों के कार्यक्रमों को शामिल करते हुए आगामी पाँच वर्षों में इनके क्रियान्वयन हेतु 1.54 लाख करोड़ रू० व्यय करने की सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई है।
- **दूसरे कृषि रोड मैप (वर्ष 2012– 2017)** के कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के फलस्वरूप वर्ष 2017 में राज्य में 185.6 लाख मिट्रीक टन खाद्यान्न का रिकार्ड उत्पादन हुआ।
- राज्य को वर्ष 2012 में धान, वर्ष 2013 में गेंहूँ एवं वर्ष 2017 में मक्का उत्पादन में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए भारत सरकार द्वारा **कृषि कर्मण** पुरस्कार दिया गया है।
- राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 22,172 पक्का बर्मी कम्पोस्ट तथा 107 गोबर गैस के निर्माण हेतु किसानों को सहायता दी गयी है। हरी खाद के व्यवहार को प्रोत्साहित करने हेतु 63,692 क्विंटल ढ़ैंचा का बीज अनुदानित दर पर किसानों को उपलब्ध कराया गया है।
- पटना से भागलपुर तक गंगा के किनारे तथा दनियावां से बिहारशरीफ तक राष्ट्रीय/राजकीय मार्ग के किनारे गाँवों में **जैविक कॉरिडोर** विकसित किया जा रहा है।
- **जैविक कॉरिडोर** के तहत 0.30 एकड़ जमीन पर किसानों को जैविक सब्जी उत्पादन हेतु रू० 6000/– प्रति किसान अग्रिम अनुदान दिया जायेगा। यह योजना पायलट प्राजेक्ट के रूप में नालन्दा, पटना, समस्तीपुर एवं वैशाली जिले में प्रारंभ किया जा रहा है।
- विभिन्न फसलों के 1,10,000 क्विंटल प्रमाणित बीज किसानों को अनुदानित दर पर उपलब्ध कराये गये हैं।
- वर्ष 2017–18 में नये कृषि यंत्रों के क्रय के लिए 1,53,000 किसानों से प्राप्त आवेदनों में से लगभग 80,000 किसानों को स्वीकृति पत्र दिये जा चुके हैं तथा लगभग 28,000 किसानों ने नये कृषि यंत्रों का क्रय कर लिया है।

- राज्य में **बागवानी के विकास** के लिए 1296 एकड़ में आम, 101 एकड़ में लीची, 47 एकड़ में अमरूद, 60 एकड़ में आँवला, 145 एकड़ में पपीता एवं 1390 एकड़ में केला के नये बागानों की स्थापना की गयी है।
- दक्षिण बिहार के 17 जिलों में 1736 किसानों को **बोरवेल, सामुदायिक बोरवेल तथा पक्का चेकडैम** की योजना से लाभान्वित किया गया है।
- वर्ष 2017–18 में 9.10 लाख किसानों को **स्वायल हेल्थ कार्ड** दिया गया है। विगत तीन वर्षों में 55 लाख से अधिक किसानों को **स्वायल हेल्थ कार्ड** उपलब्ध कराया गया है।
- **डीजल अनुदान तथा आकस्मिक फसल योजना** अतर्गत रबी मौसम में किसानों को 1 एकड़ क्षेत्र में 1 सिंचाई के लिए अनुमान्य 10 लीटर डीजल के क्रय हेतु प्रति लीटर डीजल 30 रू० की दर से 300 रूपये को बढ़ाकर 35 रू० प्रति लीटर के दर से 350 रू० किया गया है तथा इसके लिए 175.00 करोड़ रू० की स्वीकृति दी गई है।
- वर्ष 2017–18 में 3 लाख से अधिक किसानों को डीजल अनुदान उपलब्ध कराया गया है।
- कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन में तकनीकी सहयोग करने हेतु लगभग 3100 कृषि समन्वयकों की स्थायी नियुक्ति की गयी है तथा संविदा पर नियोजित 2745 कृषि समन्वयकों का मानदेय रू. 15000/– प्रतिमाह से बढ़ाकर रू. 32,000/– कर दिया गया है।
- पूर्वी चम्पारण एवं मुजफ्फरपुर जिलों में **तीन नये कृषि विज्ञान केन्द्र** एवं राज्य में राष्ट्रीय स्तर के **फार्म मशीनरी टेस्टिंग एण्ड ट्रेनिंग इन्स्टीच्यूट की स्थापना** के लिए पूसा में जमीन उपलब्ध करायी गयी है।
- वर्ष 2018–19 में बिहार कृषि विश्वविद्यालय अन्तर्गत **गया में कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय** तथा **सामुदायिक विज्ञान/फुड टेक्नोलॉजी महाविद्यालय, पटना में कृषि व्यवसाय प्रबंधन महाविद्यालय** तथा **आरा में जैव प्रौद्योगिकी महाविद्यालय** की स्थापना की जायेगी।
- बिहार राज्य के 54 बाजार समितियों के चहारदीवारी, सड़क, रौशनी, पेयजल, नाला, वृक्षारोपण आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

पथ निर्माण विभाग

- वर्ष 2017–18 में पथ निर्माण विभाग का स्कीम मद में रू० 5703.39 करोड़ तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय रू० 932.51 करोड़ कुल प्राक्कलन रू० 6635.90 करोड़ था तथा वर्ष 2018–19 में स्कीम मद में रू० 5904.56 करोड़ तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय रू० 984.56 करोड़ कुल प्राक्कलन रू० 6889.12 करोड़ है।

- **दीघा से दीदारगंज तक लगभग 21 कि०मी० लम्बे 4 लेन गंगा पथ निर्माण–**
  - इस परियोजना हेतु स्वीकृत रू० 3160 करोड़ के विरूद्ध रू० 2000 करोड़ रू० का ऋण HUDCO द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।
  - योजना अन्तर्गत A.N. Sinha Institute से लगातार नौजर घाट के आगे दीदारगंज तक Elevated Structure का निर्माण किया जायेगा।
  - गंगा पथ को अशोक राज पथ, एल०सी०टी० घाट, A.N. Sinha Institute, Krishna Ghat, गाय घाट, कंगन घाट एवं पटना घाट, PMCH परिसर एवं दीदारगंज में गोप घाट से सम्पर्कता प्रदान किया जायेगा।
  - इसके अतरिक्त 8 Foot Over Bridge, 12 पैदल यात्री समपार, 5 मीटर की चौड़ाई में पैदल पथ एवं पथ के दोनो तरफ 5 मीटर चौड़ी हरी पट्टी का निर्माण किया जायेगा।
  - परियोजना की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति 22 प्रतिशत है तथा इसे जून, 2020 तक पूरा करने का लक्ष्य है।
- रू० 4988.4 करोड़ की लागत से पटना के कच्ची दरगाह तथा वैशाली जिले के विदुपुर के बीच बनने वाले 9.76 कि०मी० लंबा **6 लेन पुल**, जो विश्व के सबसे बड़े पुलों में एक होगा, के पहुँच पथ की लंबाई 22.76 कि०मी० है। इस हेतु लगभग 3000 करोड़ रूपए का ऋण एशियन डेवलपमेंट बैंक से प्राप्त किया जाना है। वर्तमान में पुल के कुल 30 कुओं (Wells) पर कार्य प्रगति में है। इस परियोजना को वर्ष 2020 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।
- रू० 1231.06 करोड़ की लागत से **AIIMS-दीघा के रूपसपुर नहर के उपर निर्माणाधीन 4–लेन एलिवेटेड कॉरीडोर** की कुल लंबाई 12.27 कि०मी० है। इस परियोजना की भौतिक उपलब्धि 91% तथा इसे जून, 2018 तक पूरा करने का लक्ष्य है।
- रू० 1710.17 करोड़ की लागत से अगुआनीघाट एवं सुलतानगंज के बीच गंगा नदी पर निर्माणाधीन 3160 मी० लम्बा **2X2 लेन उच्चस्तरीय केबुल स्टे पुल में डॉलफीन ऑब्जरवेटरी** का भी प्रावधान है। पुल का निर्माण कार्य अक्टुबर, 2019 तक पूरा करने का लक्ष्य है।
- रू० 411.00 करोड़ की लागत से छपरा शहर में 3.5 कि०मी० लम्बा प्रदेश का पहला **डबल डेकर फ्लाई ओवर** का निर्माण कार्य मार्च, 2018 में प्रारंभ होगा।
- रू० 331.48 करोड़ की लागत से पटना के बेली रोड में ललित भवन से विद्युत भवन तक **उपरी पथ, अंडर पास एवं मल्टी जंक्शन इंटरचेंज (लोहिया पथ चक्र) परियोजना** का निर्माण कार्य को अक्टूबर, 2019 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

- पटना शहर स्थित मीठापुर ऊपरी पुल से **भिखारी ठाकुर ऊपरी पुल भाया आर० ब्लॉक जंकशन** के पहुँच पथ सहित 1270 मी० लम्बे **चार–लेन ऊपरी पुल (Fly over)** का निर्माण 166.15 करोड़ की लागत से कराया जा रहा है, जो नवम्बर, 2018 तक पूरा हो जायेगा।

- रू० 1602.74 करोड़ की लागत से जन–निजी–भागीदारी के तहत् **बख्तियारपुर** (NH-31) **से ताजपुर (NH-28) के बीच गंगा नदी पर 4 लेन पुल** का कार्य प्रगति में है। इस परियोजना में पुल की लंबाई 5.525 कि०मी० तथा पहुँच पथ की लंबाई 45.745 कि०मी० है। इसकी भौतिक प्रगति करीब 50% है तथा इसे जुलाई, 2019 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

- **राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 30 मोहनिया आरा पथ** निर्माण हेतु भारत सरकार को वापस कर दिया गया है।

- JICA से ऋण सम्पोषित तथा रू० 1408.85 करोड़ की लागत से **NH-82 के गया–हिसुआ–राजगीर–नालंदा–बिहारशरीफ** लम्बाई 93 कि०मी० पथांश का कार्य कराया जा रहा है। इस परियोजना को अक्टूबर, 2019 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

- रू० 2440 करोड़ की संभावित लागत से 303 कि०मी० लंबाई के 6 अदद् **राज्य उच्च पथों (SH-58, SH-82, SH-84, SH-85, SH-102 एवं SH-105)** का निर्माण ADB ऋण से सम्पादित करने हेतु सैद्धांतिक सहमति दी गई है।

- पटना के यातायात को सुगम बनाने हेतु निम्न **Elevated** संरचना बनाने की कार्रवाई की जा रही है–
  - सैदपुर नाला पर राजेन्द्र नगर से अगमकुँआ तथा अगमकुँआ से पहाड़ी मोड़ तक,
  - राष्ट्रीय उच्च पथ–30 पर अवस्थित नंदलाल छपरा से पटना–मसौढी पथ तक बादशाही नाला पर,
  - आशियाना–दीघा पथ के राजीव नगर से कुर्जी तक तथा
  - पटना–गया रेलवे लाईन के सामानान्तर पूरब की ओर मीठापुर से परसा बाजार के आगे पुनपुन के पास **NH-83** के मिलन बिन्दु तक।

बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि० के अन्तर्गत निर्माणाधीन मेगा परियोजना

- रू० 676.00 करोड़ की लागत से 05 जुलाई, 2010 से प्रारंभ की गई **आरा–छपरा** के बीच **गंगा नदी पर उच्चस्तरीय आर०सी०सी० पुल** की वित्तीय प्रगति 732.43 करोड़ एवं भौतिक प्रगति 96 प्रतिशत है। कार्य जून, 2018 में पूर्ण कराने का लक्ष्य है।

- रू० 1006.56 करोड़ की लागत से 04 मार्च, 2014 से प्रारंभ की गई **दाउदनगर–नासरीगंज के बीच सोन नदी पर उच्चस्तरीय आर०सी०सी० पुल** की वित्तीय प्रगति 752.72 करोड़ एवं भौतिक प्रगति 88 प्रतिशत है। कार्य मार्च, 2018 में पूर्ण कराने का लक्ष्य है।

- रू० 263.48 करोड़ की लागत से 20 अक्टूबर, 2012 से प्रारंभ की गई **गंडक नदी पर चकिया केसरिया सत्तरघाट उच्चस्तरीय आर०सी०सी० पुल** की वित्तीय प्रगति 174.47 करोड़ एवं भौतिक प्रगति 63 प्रतिशत है। कार्य जून, 2018 में पूर्ण कराने का लक्ष्य है।

- रू० 508.98 करोड़ की लागत से 11 अप्रैल, 2014 से प्रारंभ की गई **मुजफ्फरपुर–सारण जिला के बीच गंडक नदी पर बंगरा घाट उच्चस्तरीय आर०सी०सी० पुल** की वित्तीय प्रगति 172.12 करोड़ एवं भौतिक प्रगति 43 प्रतिशत है। कार्य दिसम्बर, 2018 में पूर्ण कराने का लक्ष्य है।

- रू० 244.99 करोड़ की लागत से 11 अप्रैल, 2014 से प्रारंभ की गई **दीघा घाट के बगल में गंगा नदी पर रेल–सह–सड़क पुल पहुँच पथ** Phase -I का निर्माण कार्य पूर्ण है तथा **Phase -II** का कार्य 16 फरवरी, 2018 से प्रारंभ कर फरवरी, 2020 में पूर्ण कराने का लक्ष्य है।

- रू० 166.15 करोड़ की लागत से 12 नवम्बर, 2015 से प्रारंभ की गई **भिखारी ठाकुर–मीठापुर के बीच आर० ब्लॉक होते हुए फ्लाईओवर** की वित्तीय प्रगति 44.45 करोड़ एवं भौतिक प्रगति 27 प्रतिशत है। कार्य नवम्बर, 2018 में पूर्ण कराने का लक्ष्य है।

- रू० 121.86 करोड़ की लागत से 12 नवम्बर, 2015 से प्रारंभ की गई **चिड़ैयाटाड फ्लाईओवर–मीठापुर फ्लाईओवर के बीच करबिगहिया होते हुए फ्लाईओवर** की वित्तीय प्रगति 18.41 करोड़ एवं भौतिक प्रगति 10 प्रतिशत है। कार्य नवम्बर, 2018 में पूर्ण कराने का लक्ष्य है।

- रू० 404.00 करोड़ की लागत से 12 मार्च, 2013 से प्रारंभ की गई **कोशी नदी पर निर्मित बलुआहा घाट पुल से गंडौल (बिरौल तक) के बीच पुल एवं पहुँच पथ** की वित्तीय प्रगति 285.71 करोड़ एवं भौतिक प्रगति 98 प्रतिशत है। कार्य जून, 2018 में पूर्ण कराने का लक्ष्य है।

- रू० 125.24 करोड़ की लागत से 28 अगस्त, 2015 से प्रारंभ की गई **गंडक नदी पर निर्मित धनहा–रतवल घाट पुल के संपर्क पथ** की वित्तीय प्रगति 45.16 करोड़ एवं भौतिक प्रगति 59 प्रतिशत है। कार्य मई, 2018 में पूर्ण कराने का लक्ष्य है।

ग्रामीण कार्य विभाग

- वर्ष 2017–18 में ग्रामीण कार्य विभाग का स्कीम मद में रू० 8516.86 करोड़ तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय रू० 1001.19 करोड़ कुल प्राक्कलन रू० 9518.05 करोड़ था तथा वर्ष 2018–19 में स्कीम मद में रू० 9495.97 करोड़ तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय रू० 1012.57 करोड़ कुल प्राक्कलन रू० 10508.54 करोड़ है।

- **मुख्य मंत्री ग्राम सम्पर्क योजनांतर्गत** लगभग 45504 कि०मी० लम्बाई के ग्रामीण पथों का निर्माण किये जाने हेतु प्रखंडवार राज्य कोर–नेटवर्क तैयार किया गया है। वर्ष 2017–18 में 2502.17 करोड़

रू० के विरुद्ध माह दिसम्बर 2017 तक 1178.00 करोड़ रू० व्यय करते हुए 1195.57 कि०मी० पथ एवं 41 पुलों का निर्माण कराया गया है। राज्य के 27 Non-IAP जिलों की भांति 11 IAP जिलों में भी यह योजना प्रारंभ किया जायेगा। वर्ष 2018–19 में 9000 कि०मी० लम्बाई के ग्रामीण पथों का निर्माण कराने का लक्ष्य है।

- **ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय योजनांतर्गत** 4643 संपर्क विहीन टोलो को पाँच वर्षो में सपर्कता प्रदान करने हेतु 3977 कि०मी० सड़क का निर्माण कराया जायेगा। वर्ष 2017–18 में 729.63 करोड रू० का प्रावधान है। वित्तीय वर्ष 2018–19 में 1500 कि०मी० पथों का निर्माण कराने का लक्ष्य है।
- **प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत** वर्ष 2017–18 में लगभग 999.89 करोड़ रूपये खर्च कर 2300 कि०मी० सड़क का निर्माण कराया जा चुका है तथा वर्ष 2018–19 में 1789 कि०मी० पथों का निर्माण कराने का लक्ष्य है।
- **ग्रामीण सड़कों/पुलों के रख–रखाव एवं मरम्मति** हेतु वर्ष 2017–18 में 900 करोड़ रू० के विरूद्ध दिसम्बर 2017 तक 433.58 करोड़ रू० व्यय किया जा चुका है।
- निर्मित सड़कों का नियमित तथा आउटपुट–आधारित अनुरक्षण करने हेतु **बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति** लागू किया गया है।

ऊर्जा विभाग

- वर्ष 2017–18 में ऊर्जा विभाग का स्कीम मद में रू० 6795.59 करोड़ तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय रू० 4109.44 करोड़ कुल प्राक्कलन रू० 10905.03 करोड़ था तथा वर्ष 2018–19 में स्कीम मद में रू० 6185.63 करोड़ तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय रू० 4072.02 करोड़ कुल प्राक्कलन रू० 10257.65 करोड़ है।
- बरौनी ताप विद्युत प्रतिष्ठान के **क्षमता विस्तार परियोजना** के तहत 5308 करोड़ रू० की लागत से 250 मेगावाट की दो नयी इकाइयों (इकाई संख्या 8 एवं 9, कुल 500 मेगावाट) का निर्माण कार्य अन्तिम चरण में है जिनसे वाणिज्यिक उत्पादन एवं इसके ईकाई संख्या–6 (110 मेगावाट) को मार्च, 2018 तक चालू करने का लक्ष्य है।
- नवीनगर स्टेज–1 में 660 मेगावाट की तीनों ईकाइयों से **वाणिज्यिक उत्पादन** (COD) क्रमशः मई, 2018, नवम्बर, 2018 एवं मई, 2019 से शुरू करने का लक्ष्य है।
- वर्ष 2018–19 में राज्य में **ग्रिड सबस्टेशनों** की संख्या 129 से बढ़कर 154 हो जायेगी, जिससे संचरण प्रणाली की पावर evacuation क्षमता 8784 मेगावाट से बढ़कर 10512 मेगावाट तक पहुँच जायेगी।

- राज्य के सभी अविद्युतीकृत गाँवों एवं 1,06,249 टोलों/बसावटों में से 84,359 टोलों/बसावटों को पूर्णतः ऊर्जान्वित किया जा चुका है तथा अप्रैल, 2018 तक शेष 21,890 टोलों/बसावटों को ऊर्जान्वित करने का लक्ष्य है। साथ ही दिसम्बर, 2018 तक राज्य के सभी परिवारों को विद्युत संबंध देने का लक्ष्य है।

- राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर को विद्युत संबंध देने के निमित पूर्व से स्वीकृत **''मुख्यमंत्री विद्युत संबंध निश्चय योजना''** को साउथ/नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि० द्वारा **'प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना–सौभाग्य'** हेतु केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित शर्त्तों के अनुरूप अंगीकृत एवं समाहित कर राज्य योजना मद से 1897.50 करोड़ रू० के व्यय पर मुख्यमंत्री विद्युत संबंध निश्चय योजनान्तर्गत बिना मीटर वाले विद्युत संबंध में मीटर स्थापित करने, वैसे विद्युत संबंध, जहाँ मीटर घर के अंदर हो, उसे घर के बाहर डोर बेल लोकेशन पर अधिष्ठापित करने, 11 के.पी. 2 फेज तार को 3 फेज तार करने, जहाँ न्यूट्रल तार उपलब्ध नहीं है, वहाँ न्यूट्रल तार उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गयी है।

- 1847 **सोलर पम्प** का अधिष्ठापन कार्य कराया जा चुका है एवं 2980 का अधिष्ठापन वर्ष 2018–19 तक कराये जाने का लक्ष्य है। राज्य के शहरी एवं ग्रामीण आवासीय तथा व्यावसायिक परिसरों में 1 KWP क्षमता के 2170 **रूफटॉप सोलर पावर प्लांट** का अधिष्ठापन का कार्य कराया जा चुका है।

- **दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना** अन्तर्गत 6324.84 करोड़ रू० की लागत से 275 नया पावर सब स्टेशन, 11 KV के कृषि क्षेत्र में 732 एवं ग्रामीण क्षेत्र में 795 फिडर का निर्माण कराया जायेगा। खेती के लिए किसानों को अलग से प्वाईंट मुहैया कराने के लिए राज्य में फीडर, तार से लेकर अलग ट्रान्सफॉर्मर लगाये जा रहे हैं। फीडर से अलग निकले इन तारों से किसानों को केवल पटवन की सुविधा मिलेगी। 2019 तक इस योजना को पूरा करने का लक्ष्य है। वर्ष 2017–18 से 2021–22 तक 6.94 लाख कृषि पम्प सेटों को ऊर्जान्वित किया जायेगा।

- **समेकित ऊर्जा विकास योजना** के तहत राज्य के 133 शहरों में 2100 करोड़ रू० की लागत से 62 नये पावर स्टेशन का निर्माण किया जायेगा तथा 2423 CKM की लम्बाई में पुराने तारों को AB Cable द्वारा बदला जायेगा, जिससे शहरी क्षेत्र के उपभोक्ता को गुणवत्तापूर्ण, विश्वसनीय तथा निरंतर विद्युत की उपलब्धता करायी जा सकेगी।

- राज्य के पुराने एवं जर्जर तार को बदलने हेतु 3070.23 करोड़ रू० की योजना के तहत 33 KV फिडर के 1061.56 CKM, 11 KV फिडर के 25271.51 CKM एवं LT लाईन के 45338.81 CKM की लम्बाई में तारों को बदला जायेगा।

- राज्य सरकार द्वारा विद्युत कम्पनियों को वार्षिक अनुदान के रूप में 4308 करोड़ रू० दिये जा रहे हैं, जिसमें उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति के विरूद्ध सबसिडी हेतु 2832 करोड़ रू० एवं संचारण क्षति हेतु 1476 करोड़ रू० शामिल है।

- वर्ष 2015–16 में विद्युत उपभोक्ताओं से 5818 करोड़ रू० एवं 2016–17 में 6651 करोड़ रू० तथा वर्ष 2017–2018 में माह जनवरी तक 6001.53 करोड़ रू० राजस्व की प्राप्ति हुई है। वर्ष 2011–12 में यह राशि 2551.31 करोड़ रू० थी।
- राज्य सरकार की गारन्टी पर बिहार स्टेट पॉवर (हो०) कं० लि० के द्वारा ऊर्जा बकाया के मद में विभिन्न ऊर्जा प्रतिष्ठानों को भुगतान हेतु पंजाब नेशनल बैंक एवं अन्य विभिन्न बैंकों (Consortium Banks) से कुल 1700.00 (सत्रह सौ) करोड़ रू० की स्वीकृति मिली है।
- NTPC द्वारा **बरौनी थर्मल पावर स्टेशन, नवीनगर पावर जेनरेटिंग कम्पनी लि० एवं कांटी बिजली उत्पादन निगम लि०** के अधिग्रहण की सैद्धान्तिक सहमति दी जा चुकी है।

शिक्षा विभाग

- वर्ष 2017–18 में शिक्षा विभाग का स्कीम मद में रू० 114217.88 करोड़ तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय रू० 11033.50 करोड़ कुल प्राक्कलन रू० 25251.38 करोड़ था तथा वर्ष 2018–19 में स्कीम मद में रू० 19107.02 करोड़ तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय रू० 13018.61 करोड़ कुल प्राक्कलन रू० 32125.63 करोड़ है।
- **सर्व शिक्षा अभियान के तहत**
  - 21,420 प्राथमिक विद्यालयों के विरूद्ध 21,261 (99%) प्राथमिक विद्यालय खोले जा चुके हैं।
  - 19,725 प्राथमिक विद्यालयों के विरूद्ध 19,621 (99%) को मध्य विद्यालय में उत्क्रमित किया गया है।
  - वर्ष 2017–18 में विद्यालय से बाहर के बच्चों की संख्या मात्र 1% से भी कम अर्थात 1.91 लाख ही रह गई है।
  - **छात्र–वर्ग कक्ष अनुपात** (Student Classroom Ratio) जो वर्तमान में 57:1 है, को बेहतर करने हेतु कुल 2.97 लाख के विरूद्ध 2.74 लाख (92%) वर्ग कक्ष का निर्माण कराया जा चुका है।
  - 535 **कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय के छात्रावास भवन** के निर्माण के विरूद्ध 510 (95%) का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है एवं 25 भवन निर्माणाधीन है।
- 1.30 लाख **विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सहाय्य उपकरण** उपलब्ध कराया जा चुका है।
- **मध्याह्न भोजन योजना** के अन्तर्गत आच्छादित 70371 विद्यालयों में 1.92 करोड़ बच्चे नामांकित हैं तथा प्रतिदिन औसत लाभान्वित बच्चों की संख्या 1.25 करोड़ है जिन्हे सप्ताह में दो दिन मौसमी फल एवं एक दिन उबला हुआ एक अण्डा/मौसमी फल दिया जा रहा है।

- उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायन, प्राणीशास्त्र एवं वनस्पतिशास्त्र विषय में शिक्षकों की कमी को देखते हुए अतिथि शिक्षकों (Guest Faculty) की सेवा निर्धारित पारिश्रमिक पर संबंधित विद्यालय प्रबंध समिति को रखने की व्यवस्था की गयी है।
- **मॉडल स्कूल योजना** के तहत निर्मित 216 नए भवनों में वर्तमान शैक्षिक सत्र से सम्बद्ध माध्यमिक विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है।
- 5,274 सरकारी माध्यमिक एवं 2,000 **उच्च माध्यमिक विद्यालयों में उपस्कर एवं प्रयोगशाला उपकरण क्रय** करने हेतु वर्ष 2018–19 में रू० 205 करोड़ उपलब्ध कराया जा रहा है।
- **बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा**
  - सभी परीक्षाओं के लिए ऑनलाईन फार्म भरने की व्यवस्था को लागू की गई है।
  - विगत तीस वर्षो (1984–2016) के प्रमाण–पत्रों को ऑनलाईन करने का काम किया जा रहा है।
  - 9 प्रमंडलीय मुख्यालयों में अस्थायी आवासन के साथ क्षेत्रीय कार्यालय की शुरूआत की गयी है।
  - राज्य के नौ प्रमंडलीय मुख्यालयों में पांच मंजिला परीक्षा भवन का निर्माण कराया जा रहा है।
  - भारत के प्रथम राष्ट्रपति देशरत्न स्व0 डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद के जन्म दिवस 03 दिसंबर को डॉ० राजेन्द्र प्रसाद स्मृति व्याख्यान एवं पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया जाता है। इस तिथि को **'मेधा दिवस'** के रूप में मनाने एवं इस अवसर पर वार्षिक माध्यमिक/इंटरमीडिएट परीक्षा के टॉपर्स को **देशरत्न डॉ० राजेन्द्र प्रसाद मेधा छात्रवृति वर्ष 2017** से प्रत्येक वर्ष दिये जाने का निर्णय लिया गया है।
- विश्व बैंक परियोजना **Enhancing Teacher Effectiveness in Bihar कार्यक्रम** अंतर्गत 13 **जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट)** एवं 11 **प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय (पी० टी० ई० सी०)** में विभिन्न कार्यों के लिए 115.89 करोड़ रू० व्यय किया जायेगा।
- वर्ष 2017–18 में 186.67 करोड़ रू० का व्यय कर केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत **अनुमोदित मॉडल स्कूल** अंतर्गत 81 मॉडल स्कूल के भवन निर्माण/अधूरे भवन को पूर्ण किया जायेगा।
- वर्ष 2017–18 में **चम्पारण सत्याग्रह शताब्दी समारोह** के तहत विभिन्न ऐतिहासिक/महत्त्वपूर्ण स्थलों पर संरचना निर्माण हेतु 50.00 करोड़ रू० की स्वीकृति दी गई है।
- आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के अधीन तीन **स्वायत्त शासी शैक्षणिक केन्द्रों** के रूप में **Centre for Journalism and Mass Communication, Patliputra Centre for Economics**

and Centre for River Studies स्थापित किया गया है एवं एक अन्य शैक्षणिक संस्थान **Centre for Geographical Studies** की स्थापना शीघ्र की जा रही है।

- उर्दू एवं बांग्ला विषयों में लगभग 9,000 शिक्षकों का नियोजन किया गया है।
- राज्य के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर अभी तक 10 विषयों में कुल 1354 सहायक प्राध्यापक के नियुक्ति की जा चुकी है। इनकी त्वरित नियुक्ति हेतु बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के गठन संबंधी अधिनियम प्रख्यापित हो चुका है।
- 3 **नये विश्वविद्यालय** पूर्णियां विश्वविद्यालय, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय एवं मुंगेर विश्वविद्यालय, मुंगेर की स्थापना की गयी है जिसका संचालन वर्तमान शैक्षणिक सत्र से शुरू किया जा रहा है।
- राज्य में तीन **निजी विश्वविद्यालयों** यथा **अमिटी विश्वविद्यालय, पटना, संदीप विश्वविद्यालय, सिजौल, मधुबनी** तथा **के० के० विश्वविद्यालय, बिहारशरीफ** की स्थापना हेतु अधिसूचना निर्गत की जा चुकी है एवं **अल–करीम विश्वविद्यालय, कटिहार** तथा **गोपाल नारायण विश्वविद्यालय, सासाराम** की स्थापना शीघ्र की जायेगी।
- प्रायोजक निकाय All India Society for Electronics and Computer Technology को निजी क्षेत्र में **सी० वी० रमण विश्वविद्यालय, वैशाली (भगवानपुर)** की स्थापना एवं औपबंधिक रूप से दो वर्ष के लिए वैशाली (भगवानपुर) में किराए पर लिए गए भवन से विश्वविद्यालय संचालन की स्वीकृति दी गयी है।

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

- वर्ष 2017–18 में विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग का स्कीम मद में रू० 135.45 करोड़ तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय रू० 78.00 करोड़ कुल प्राक्कलन रू० 213.45 करोड़ था तथा वर्ष 2018–19 में स्कीम मद में रू० 135.50 करोड़ तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय रू० 109.06 करोड़ कुल प्राक्कलन रू० 244.56 करोड़ है।
- राज्य के सभी जिलों में अभियंत्रण महाविद्यालय तथा पॉलिटेकनिक स्थापित करने के लिए राज्य सरकार संकल्पित है।
- **अभियंत्रण महाविद्यालय**
  - राज्य के 16 जिलों के अभियंत्रण महाविद्यालयों में लगभग 10,000 छात्र/छात्राएं अध्ययनरत हैं।
  - 12 जिलों में स्वीकृत अभियंत्रण महाविद्यालयों के भवन निर्माणाधीन हैं। वर्ष 2017–18 में 5 जिलों में नया अभियंत्रण महाविद्यालय स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

- उक्त संस्थानों के भवनों के निर्माण कार्यों के लिए प्रति संस्थान रू० 73.13 करोड़ का बजटीय प्रावधान है।
- वैशाली, जमुई एवं बांका में स्वीकृत अभियंत्रण महाविद्यालय में वर्ष 2018–19 से अस्थायी परिसर में सत्रारंभ प्रस्तावित है।

- **पॉलिटेकनिक**
  - राज्य के 30 जिलों के 36 पॉलिटेकनिक संस्थानों में लगभग 20,000 छात्र/छात्राएं अध्ययनरत हैं।
  - 36.35 करोड़ रू० प्रति संस्थान की दर से 8 जिलों में पॉलिटेकनिक भवन निर्माणाधीन हैं।
  - नवादा, सीवान एवं अररिया में वर्ष 2018–19 से स्थायी परिसर में सत्रारंभ प्रस्तावित है।
- **आई० आई० आई० टी० (इंडियन इंस्टीच्यूट ऑफ इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी) की स्थापना**
  - केन्द्र सरकार की लोक–निज–साझा पद्धति के आधार पर भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, भागलपुर के परिसर में 50 एकड़ भूमि पर रू० 128 करोड़ की लागत से भारतीय सूचना प्रोद्यौगिकी संस्थान (IIIT), भागलपुर की स्थापना की गई है, जहाँ सत्र 2017–18 से कम्प्यूटर साईन्स एण्ड इंजीनियरिंग तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड कम्यूनिकेशन इंजीनियरिग में पढ़ाई आरम्भ की गयी है।
- **डा० ए० पी० जे० अब्दुल कलाम साईन्स सिटी की स्थापना**
  - डा० ए० पी० जे० अब्दुल कलाम साईंस सिटी की स्थापना की स्वीकृति, साईंस सिटी के लिए भवनों के निर्माण, प्रदर्श एवं स्थापना पर व्यय हेतु कुल रू० 397.00 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है।
  - पटना जिला के मौजा–सैदपुर मुसल्लह मे उपलब्ध 20.48 एकड. भूमि की चहारदीवारी का निर्माण कार्य प्रगति पर है।
  - साईन्स सिटी के निर्माण कार्यों को अप्रैल 2020 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है।
- रू० 5.00 करोड़ की लागत से गया में National Council of Science Museums (NCSM) के **सब–रीजनल साईंस सेन्टर** का निर्माण मार्च, 2020 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।
- **दरभंगा में तारामंडल सह–विज्ञान संग्रहालय** की स्थापना तथा उसके विकास एवं निर्माण कार्य हेतु स्वीकृत रू० 164.31 करोड़ के विरूद्ध प्रथम चरण में 100 सीट क्षमता का तारामंडल (Planetarium) एवं 200 सीट क्षमता का सभाकक्ष/रंगशाला (Auditorium) का निर्माण किया जा रहा है।

स्वास्थ्य विभाग

- वर्ष 2017–18 में स्वास्थ्य विभाग का स्कीम मद में रू० 3562.42 करोड़ तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय रू० 3439.10 करोड़ कुल प्राक्कलन रू० 7001.52 करोड़ था तथा वर्ष 2018–19 में स्कीम मद में रू० 3722.57 करोड़ तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय रू० 4071.24 करोड़ कुल प्राक्कलन रू० 7793.81 करोड़ है।
- सभी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के कैम्पस में **High Speed Internet Connectivity वाई–फाई सुविधा** उपलब्ध होगी तथा रोगियों एवं अस्पताल प्रबंधन की सभी आवश्यक सूचनाओं का संधारण **Electronic Medical Record System** द्वारा किया जायेगा। आशा कार्यकर्ताओं की कार्य क्षमता में वृद्धि करने हेतु उन्हें मोबाईल आधारित सॉफ्टवेयर प्रदान किया जायेगा।
- पी०एम०सी०एच०, पटना को 5000 बेड के अन्तरराष्ट्रीय मानक के अनुरूप उत्क्रमित किया जायेगा।
- वर्ष 2020 तक **कालाजार** का पूर्ण उन्मूलन का लक्ष्य है। राज्य में कालाजार से अति प्रभावित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या 212 से घटकर मात्र 45 ही रह गयी है। वर्ष 2017 में दिसम्बर तक कालाजार के मात्र 4019 मरीज प्रतिवेदित हुए हैं। मुख्यमंत्री कालाजार राहत योजना अन्तर्गत रू० 6600/– प्रति मरीज की दर से भुगतान किया जा रहा है।
- राज्य के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल एवं जिला अस्पतालों में उपकरणों का Audit कराया जायेगा।
- बालिका मृत्यु–दर को कम करने की निमित्त बीमार नवजात बालिका को SNCU में भर्ती करने के लिए आशा को उत्प्रेरित करने हेतु 500/– रू० प्रोत्साहन राशि तथा माता को 200/– रू० प्रतिदिन क्षतिपूर्ति राशि देने का निर्णय लिया गया है ।
- सरकारी अस्पतालों के वाह्य एवं अंर्तवासी रोगियों को अब लगभग 240 प्रकार की दवाएं निःशुल्क उपलब्ध करायी जायेंगी जिसमें कैंसर, किडनी, मधुमेह एवं जीवन रक्षक दवाओं को शामिल किया गया है।
- सभी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में **Combined Treatment Plant** की स्थापना करते हुए उन्हें **Zero discharge campus** के रूप में विकसित करने हेतु **Centralized Laundry, Central Sterile and Supply Department (CSSD), Sewage Treatment Plant (STP)** एवं **Effluent Treatment Plant (ETP)** की स्थापना की जाएगी।
- राज्य के सात चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में अप्रैल 2018 से **नेत्र अधिकोष (आई बैंक)** प्रारंभ करने का लक्ष्य है।

- रू० 3401.01 करोड़ की लागत से 5 **नये चिकित्सा महाविद्यालयों** एवं केन्द्र सरकार के द्वारा **3 चिकित्सा महाविद्यालय** की स्थापना के अतिरिक्तं सभी चिकित्सा महाविधालयों में **नर्सिंग कॉलेज**, प्रत्येक जिले में कम से कम एक **जी०एन०एम० ट्रेनिंग संस्थान** एवं कम से कम एक **पारा मेडिकल संस्थान** एवं प्रत्येक अनुमंडल में एक **ए०एन०एम० ट्रेनिंग संस्थान** स्थापित किया जा रहा है।

- IGIMS में **किडनी प्रत्यारोपण** की सुविधा प्रारंभ हो चुकी है तथा पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना में किडनी प्रत्यारोपण एवं IGIMS में **लीवर प्रत्यारोपण** की सुविधा शीघ्र प्रारंभ की जायेगी।

- IGIMS में 120 करोड़ रू० की लागत से **State Cancer Institute** एवं मुजफफरपुर स्थित SKMCH में Atomic Research Centre के सहयोग से 150 करोड़ रू० की लागत से **कैंसर अस्पताल** बनाया जायेगा।

- **राजकीय मानसिक अरोग्यशाला, कोईलवर** को प्रथम चरण में 126 करोड़ की लागत से उत्क्रमित किया जायेगा।

- राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में **सी०टी० Scan** एवं **एम०आर०आई० मशीन** का अधिष्ठापन किया जायेगा।

- **मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष** अन्तर्गत द्वारा वर्ष 2017–18 में जनवरी माह तक कुल 11851 रोगियों के ईलाज हेतु रू० 94.31 करोड़ की स्वीकृति दी गयी है। इसके अतिरिक्त अधिसूचित रोगों की सूची में अन्य रोगों को भी शामिल करते हुए प्रावधानित राशि में 20 से 30 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है।

- सरकारी एवं निजी अस्पतालों में ईलाज कराने वाले **यक्ष्मा** के मरीजों को पौष्टिक भोजन हेतु 500/–रू० प्रतिमाह, निःशुल्क दवा तथा ईलाज के पश्चात सरकारी चिकित्सकों को 1000/– रू० की प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान किया गया है।

- प्रत्येक चिकित्सा संस्थानों में चिकित्सकों/स्वास्थ्य कर्मियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु राज्य स्तर पर वरीय पदाधिकारियों की निगरानी में नियंत्रण कक्ष गठित कर प्रतिदिन सतत् अनुश्रवण किया जा रहा है।

- राज्य में **पूर्ण प्रतिरक्षण** का आच्छादन 32.8 प्रतिशत (वर्ष 2005–06) से बढ़कर वर्तमान में 84 प्रतिशत हो गया है। आच्छादन में वृद्धि हेतु नवम्बर, 2017 से फरवरी, 2018 तक पुनः चार चरणों में राज्य के 16 जिलों में **'सघन मिशन इन्द्रधनुष'** कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

- राज्य में 812 एम्बुलेन्स के अतिरिक्त 250 एम्बुलेन्स इसी वर्ष उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य है। शिकायत निवारण एवं मेडिकल हेल्पलाईन 104 कॉल सेन्टर (टॉल फ्री) के तहत् आमजन को चिकित्सीय परामर्श की सुविधा एवं शिकायतों का निवारण किया जा रहा है।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

- वर्ष 2017–18 में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग का स्कीम मद में रू० 2009.89 करोड़ तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय रू० 424.52 करोड़ कुल प्राक्कलन रू० 2434.41 करोड़ था तथा वर्ष 2018–19 में स्कीम मद में रू० 2626.34 करोड़ तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय रू० 406.42 करोड़ कुल प्राक्कलन रू० 3032.76 करोड़ है।
- राज्य के गुणवत्ता प्रभावित सभी (आर्सेनिक, फ्लोराईड, आयरन) एवं गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र के 3378 पंचायतों के 46365 वार्डों को **गृहजल संयोजन** से अच्छादित कराया जायेगा।
- **फ्लोराईड प्रभावित** 4510 वार्डों में से शेष 4465 वार्डों का आच्छादन प्राथमिकता के आधार पर 893 वार्डों को वर्ष 2017–18 में एवं शेष 3572 वार्डों को वर्ष 2018–19 में किया जायेगा।
- **आर्सेनिक प्रभावित** कुल चिन्हित 2038 वार्डो में से 408 वार्डो को वर्ष 2017–18 में एवं वर्ष 2018–19 में 1630 वार्डो का आच्छादित किया जायेगा।
- **आयरन प्रभावित** कुल चिन्हित 20719 वार्डो में से शेष 20687 वार्डों में से 4138 वार्ड को वर्ष 2017–18 में एवं वर्ष 2018–19 में 8466 तथा वर्ष 2019–20 में 8466 वार्डों आच्छादित किया जायेगा।
- गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों में कुल 20507 वार्डों में से वर्ष 2017–18 में 4101 वार्डों को, वर्ष 2018–19 में 6129 वार्डों को एवं वर्ष 2019–20 में 6129 वार्डों को आच्छादित किया जायेगा।
- **बहुग्रामीय जलापूर्ति योजना** अंतर्गत करीब 200 करोड़ की लागत से भागलपुर जिला के कहलगांव के पीरपैंती बहुग्रामीय जलापूर्ति योजना में 141 वार्डों/बसावटों में 71000 घरों में शुद्ध पेयजलापूर्ति की व्यवस्था इसी वर्ष किया जायेगा।
- विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत पश्चिम चम्पारण के **घोघाघाट बहुग्रामीय जलापूर्ति योजना** नालंदा जिला के **सिलाव बहुग्रामीय जलापूर्ति योजना** एवं नवादा जिला के **रजौली बहुग्रामीण जलापूर्ति योजना** के अंतर्गत लगभग 190.00 करोड़ का व्यय पर 27970 घरों को पेयजल की सुविधा इसी वर्ष उपलबध कराया जायेगा।
- विश्व बैंक परियोजना अन्तर्गत 133 **एकल जलापूर्ति योजनाओं** में से 127 योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है, जिसमें से 20 योजनाओं को पूर्ण कर जलापूर्ति प्रारंभ किया गया है तथा शेष 117 योजनाओं को वर्ष 2018–19 में किया जायेगा।

गृह विभाग

- वर्ष 2017–18 में गृह विभाग का स्कीम मद में रू० 359.19 करोड़ तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय रू० 7088.75 करोड़ कुल प्राक्कलन रू० 7447.94 करोड़ था तथा वर्ष 2018–19 में स्कीम मद में रू० 429.87 करोड़ तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय रू० 8185.78 करोड़ कुल प्राक्कलन रू० 8615.65 करोड़ है।
- राज्य के आम नागरिकों को विषम परिस्थितियों में आवश्यक सेवा उपलब्ध कराने के लिए **राष्ट्रीय आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली** (National Emergency Response System) के तहत दूरभाष संख्या–112 के माध्यम से राज्य के नागरिकों को पुलिस, स्वास्थ्य, अग्निशमन एवं महिला उत्पीड़न आदि से संबंधित सभी आकस्मिक स्थितियों में मदद की जा सकेगी।
- राज्य में नक्सल समस्या से प्रभावकारी ढंग से निबटने हेतु विशेष कार्यबल (STF) के उन्नयन का कार्यक्रम चल रहा है। बोधगया मे सभी संसाधनों से सुसज्जित **विशेष कार्यबल का प्रशिक्षण केन्द्र** निर्माणाधीन है, जिसे शीघ्र पूरा कर लिया जाएगा।
- राज्य के औद्योगिक एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को सुरक्षा मुहैया कराने के उद्देश्य से सरकार ने 2 विशेषीकृत **बिहार राज्य औद्योगिक सुरक्षा बटालियन** का गठन किया है।
- बिहार देश का पहला राज्य है, जहाँ पुलिस की नियुक्ति में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इस क्रम में विशेष रूप से अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए **बिहार स्वाभिमान पुलिस बटालियन** का गठन किया गया है, जिसमें सिर्फ अनुसूचित जनजाति की महिलाएं ही नियुक्त की जायेगी।
- राज्य में मद्यनिषेध के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु सरकारी तंत्र को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से पुलिस महानिरीक्षक सहित अन्य 68 पदों का सृजन राज्य सरकार द्वारा किया गया है।
- पुलिस प्रशिक्षण की महत्ता को ध्यान में रखते हुए राज्य के 8 बिहार सैन्य पुलिस वाहिनी मुख्यालयों में एक–एक हजार प्रशिक्षुओं की क्षमता के **8 प्रशिक्षण केन्द्रों** का निर्माण राज्य सरकार द्वारा लगभग 150 करोड़ रूपए की राशि से कराया जा रहा है।
- काराधीन बंदियों को समाज के मुख्यधारा में लाकर उनकी सकारात्मक शक्तियों को विकसित करने के उद्देश्य से हाजीपुर में **बिहार सुधारात्मक प्रशिक्षण संस्थान (BICA)** स्थापित किया गया है। राज्य के कारागृहों को पूर्णतः कंप्यूटरीकृत करने के कार्यक्रम के तहत सर्वप्रथम आदर्श केन्द्रीय कारा, बेउर में आधुनिक **Prison ERP System** स्थापित कर दिया गया है।

- शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अगलगी की घटना से होनेवाली जान–माल की क्षति को न्यूनतम हेतु प्रत्येक गाँव एवं वार्ड में एक जलस्रोत अग्निशमन टेंडर के लिए उपलब्ध कराए जा रहे हैं तथा राज्य के 245 पुलिस थानों में अग्निशमन गाड़ियों के लिए पानी का प्रबंध किया गया है।

- गृह रक्षकों की कार्यक्षमता विकसित करने हेतु आवश्यक शैक्षणिक योग्यता बढ़ाकर सिपाही की भाँति इंटरमिडिएट कर दिया गया है। साथ ही प्रशिक्षण अवधि को भी बढ़ाकर 4 माह कर दिया गया है। इसके बाद 20 वर्षों की सेवा के उपरांत सेवानिवृति पर गृह रक्षकों के लिए 1.5 लाख रूपए एकमुश्त भुगतान की व्यवस्था की गई है। राज्य सरकार ने बिहार पुलिस की भाँति गृह रक्षा वाहिनी में अराजपत्रित पदों पर कार्यरत कर्मियों को भी वर्ष में एक माह का अतिरिक्त वेतन भुगतान करने का निर्णय लिया है।

- पुलिस प्रशासन के ढाँचागत सुदृढ़ीकरण के क्रम में पटना शहर की सुरक्षा हेतु सी.सी.टी.वी. कैमरा अधिष्ठाापित करने हेतु 110.67 करोड़ रू० की योजना की स्वीकृति दी गयी है।

- राज्य में **अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम (CCTNS) परियोजना** के कार्यान्वयन की कार्यवाई चल रही है। इस परियोजना हेतु वर्ष 2018–19 में 2477.00 लाख रू० कर्णाकिंत किया गया है।

- **कब्रिस्तानों की घेराबंदी योजना** के तहत 482.50 करोड़ रू० व्यय कर कुल 8064 कब्रिस्तानों में से 5733 कब्रिस्तानों की घेराबंदी का कार्य पूर्ण किया गया है तथा 2731 कब्रिस्तानों की घेराबंदी की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। वर्ष 2018–19 में इस मद में 30.00 करोड़ रूपया कर्णांकित किया गया है।

- **बिहार मंदिर चहारदीवारी निर्माण योजना** प्रारंभ की गयी है जिसके तहत 275 मंदिरों की चहारदीवारी हेतु 22.87 करोड़ रू० व्यय किया गया है। वर्ष 2018–19 में मंदिर चहारदीवारी निर्माण निधि योजना के अंतर्गत 30.00 करोड़ रू० कर्णांकित किया गया है।

जे०पी० सेनानी सम्मान पेंशन योजना

- जे०पी० सम्मान योजनांतर्गत अबतक 3175 सेनानियों को पेंशन की स्वीकृति दी गई है। वर्ष 2017–18 में पेंशन भुगतान हेतु 25.47 करोड़ रू० के बजट उपबंध के विरुद्ध माह जनवरी, 2018 तक 22.60 करोड़ रू० का पेंशन भुगतान आदेश निर्गत किया गया है।

सामान्य प्रशासन विभाग

- वर्ष 2017–18 में सामान्य प्रशासन विभाग का स्कीम मद में रू० 58.52 करोड़ तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय रू० 465.88 करोड़ कुल प्राक्कलन रू० 524.40 करोड़ था तथा वर्ष 2018–19 में स्कीम मद में रू० 69.32 करोड़ तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय रू० 576.82 करोड़ कुल प्राक्कलन रू० 646.14 करोड़ है।

- राज्य सरकार की सेवाओं में नियुक्ति एवं शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में **दिव्यांगजनों के लिए क्षैतिज आरक्षण** 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 4 प्रतिशत कर दिया गया है।
- **'मनोविकार'** को भी दिव्यांगता की श्रेणी में शामिल कर लिया गया है।
- आउटसोर्सिंग के तहत प्रदान/प्राप्त की जानेवाली सेवाओं में राज्य सरकार के आरक्षण के प्रावधानों को लागू किया गया है।
- बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के तहत अबतक 17 करोड़ से अधिक सेवायें प्रदान की जा चुकी हैं। इस अधिनियम के क्रियान्वयन में दोषी पाये गये कुल 1924 पदाधिकारियों/कर्मचारियों पर 2.28 करोड़ रू० का दंड अधिरोपित किया गया है।
- बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत आमजन विविध माध्यमों से अपना शिकायत दर्ज कर सकते हैं। परिवाद के निष्पादन हेतु लोक प्राधिकार एवं परिवादी को आमने–सामने बैठाकर सुनवाई की जाती है। अबतक प्राप्त लगभग 2.70 लाख अधिक आवेदनों में से 2.45 लाख का निष्पादन किया जा चुका है। सुनवाई एवं निवारण में रूचि नहीं लेने वाले 174 लोक प्राधिकारों पर कुल 4.80 लाख रूपये का दंड अधिरोपित किया गया है तथा परिवाद के निवारण में कोताही बरतने के आरोप में 41 लोक प्राधिकारों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जा रही है।
- सभी राज्यकर्मियों की कार्मिक संरचना, सेवा शर्त, देय लाभ, ई–सेवा पुस्तिका व अन्य अभिलेखों का संधारण तथा अद्यतनीकरण, वेतन निर्धारण इत्यादि सभी कार्य पूर्ण रूप से Paperless तरीके से किये जाने एवं कर्मियो की विशिष्ट पहचान के आधार पर उनसे संबंधित प्रत्येक कार्रवाई की सूचना उन्हें ई–मेल एवं SMS के माध्यम से तत्क्षण उपलब्ध कराने हेतु सॉफ्टवेयर आधारित **केन्द्रीयकृत मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (HRMS)** प्रणाली विकसित की जायेगी। इसके लिये मंत्रिपरिषद् द्वारा 52.00 करोड़ रू० की राशि की स्वीकृति दी गई है।
- अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु नोटरी/दण्डाधिकारी के समक्ष शपथित शपथ पत्र के स्थान पर **स्व–घोषित/स्व–प्रमाणित पत्र** को अनुमान्य किया गया है।
- सेवाकाल में मृत सरकारी सेवक की सधवा पुत्रवधु को विशेष परिस्थिति में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु आश्रितों की श्रेणी में लाया गया है।
- सरकारी सेवकों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु जाँच/संचालन पदाधिकारी के रूप में सेवानिवृत्त पदाधिकारियों को सूचीबद्ध करने का निर्णय लिया गया है।
- **बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग** को क्रियाशील करने के लिए अगस्त, 2017 में आयोग के अध्यक्ष एवं तीन सदस्यों को नियुक्त किया गया है।
- राज्याधीन सेवाओं में नियुक्ति में महिलाओं को प्राप्त 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की सुविधा के सम्यक् अनुश्रवण हेतु Dashboard का निर्माण किया जा रहा है, जिसपर उनकी नियुक्ति संबंधित आंकड़े प्रदर्शित किये जायेगें।

निगरानी विभाग

- वर्ष 2017–18 में निगरानी विभाग का स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय का कुल प्राक्कलन रू० 36.21 करोड़ था तथा वर्ष 2018–19 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय का कुल प्राक्कलन रू० 36.73 करोड़ है।
- कुल 9 मामलों में लोक सेवकों की कुल रू० 8.43 करोड़ की सम्पत्ति अधिहृत की गयी है एवं विद्यालय/छात्रावास खोला गया है। शेष मामले प्रक्रियाधीन हैं।
- वर्ष 2017 में ट्रैप के 83, प्रत्यानुपातिक धनार्जन के 13 एवं पद के दुरूपयोग से संबंधित 23 मामले सहित कुल 119 कांड दर्ज किये गये हैं।
- प्रत्यानुपातिक धनार्जन के 18 मामलों में से 2 में आय से अधिक सम्पत्ति के राज्यसातकरण हेतु आदेश प्राप्त, 6 में आरोप पत्र समर्पित एवं अन्य 10 में अनुसंधान जारी है।

जल संसाधन विभाग

- वर्ष 2017–18 में जल संसाधन विभाग का स्कीम मद में रू० 2959.17 करोड़ तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय रू० 854.89 करोड़ कुल प्राक्कलन रू० 3814.06 करोड़ था तथा वर्ष 2018–19 में स्कीम मद में रू० 2513.98 करोड़ तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय रू० 983.40 करोड़ कुल प्राक्कलन रू० 3497.38 करोड़ है।
- लोकनायक जय प्रकाश नारायण का जन्मस्थल सिताब दियारा ग्राम की सुरक्षा हेतु रू० 85.99 करोड़ की लागत से **रिंग बांध** का निर्माण कराया जा रहा है।
- **उत्तर कोयल जलाशय योजना** के अवशेष कार्य के कार्यान्वयन हेतु राज्यांश की राशि हेतु Long Term Irrigation Fund के तहत नाबार्ड से ऋण प्राप्त करने के लिए भारत सरकार, राज्य सरकार, नाबार्ड एवं NWDA के बीच किये जाने वाले Supplementary Memorandum of Agreement प्रारूप की स्वीकृति दी गई है।
- द्वितीय पुनरीक्षित प्राक्कलित राशि 185.21 करोड़ रू० के व्यय से **कुण्डघाट जलाशय योजना** का निर्माण किया जा रहा है।
- 78.92 करोड़ रू० की लागत से कटिहार जिलान्तर्गत गंगा नदी के बाँये किनारे **काटाकोश से गौवागाछी एवं हरदेव टोला से चौकिया पहाड़पुर तक तटबंध** निर्माण कार्य किया जा रहा है।
- 61.04 करोड़ रू० की लागत से **कमला बलान दायाँ तटबंध के बीच क्रिटिकल रिचों में उच्चीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं सुरक्षात्मक कार्य** कराया जा रहा है। वर्ष 2017–18 में **पूर्वी कोशी नहर प्रणाली ई.आर.एम.** संबंधी कार्य पूरा कर लिया जायेगा।

- 47.21 करोड़ रू० के व्यय से **कमला बलान बायाँ तटबंध के क्रिटिकल रिचों में उच्चीकरण** का कार्य कराया जा रहा है।
- 32.85 करोड रूपये की लागत से **बंधौली शीतलपुर फैजुल्लाहपुर जमींदारी बाँध का उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण , ब्रीच क्लोजर एवं बोल्डर रिभेटमेन्ट** कार्य कराया जा रहा है।
- वर्ष 2017–18 में मुंगेर जिलान्तर्गत पहाड़ियों से **निःसृत झरनों, जलश्रोतों पर आधारित सिंचाई योजना** का निर्माण, भागलपुर जिलान्तर्गत शाहकुण्ड प्रखण्ड के अम्बा ग्राम एवं इसके निकट अन्य ग्रामों में सिंचाई हेतु 05 अदद् **ट्यूबवेल का अधिष्ठापन** एवं जहानाबाद जिलान्तर्गत **छरियारी वीयर योजना** के पुनर्स्थापन एवं लाईनिंग के कार्य पूरे कर लिए जायेंगे।
- पटना मुख्य नहर से **निःसृत अमरा वितरणी** एवं इसके 6.77 कि०मी० से **निःसृत सैदपुर उप वितरणी का पुनर्स्थापन** तथा पटना मुख्य नहर के अधीन **इमामगंज वितरणी, भरतलाईन उप वितरणी, देवहारा उप वितरणी** एवं **अंछा फीडर** का पुनर्स्थापन कार्य वर्ष 2017–18 में पूरा कर लिया जायेगा।
- **उदेरास्थान बराज** का निर्माण एवं पूर्व निर्मित **उदेरास्थान वीयर योजना** के नहर प्रणालियों के आधुनिकीकरण, **गोड़सरा वितरणी** का पुनर्स्थापन एवं सेवापथ का पक्कीकरण, **भोजपुर वितरणी के कि०मी० 39.295 पर एक्वाडक्ट सह पुल निर्माण, नटैया खलसापुर पम्प नहर योजना** का निर्माण तथा **सुअरा वियर** एवं **नहर प्रणाली का पुनर्स्थापन** कार्य वर्ष 2017–18 में पूरा कर लिया जायेगा।
- इन योजनाओं के कार्यान्वयन से वर्ष 2017–18 के अन्त तक कुल 21.90 हजार हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन एवं 43.571 हजार हेक्टेयर ह्रासित सिंचाई क्षमता का पुनर्स्थापन होगा।
- **बटेश्वरस्थान गंगा पम्प नहर योजनांतर्गत** रू० 375.54 करोड़ व्यय कर फेज–1 एवं 2 के पम्प हाउस, फीडर चैनेल एवं कतिपय नहर प्रणालियों का निर्माण पूर्ण किया गया है।
- सीतामढ़ी जिला अन्तर्गत **रातों नदी पर नोमेन्स लैंड से निशा रोड तक तटबंध निर्माण, पुरानी लखनदेई नदी के मृत धार का पुनर्स्थापन एवं मनुषमारा स्पील चैनल का नवीकरण** का कार्यारंभ किया गया।
- वर्ष 2016–17 के दौरान खरीफ में 19.31 लाख हे०, रब्बी में 7.14 लाख हे० एवं गरमा में 0.27 लाख हे० कुल 26.72 लाख हे० क्षेत्र में कृषकों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई गई जो कि अब तक का सर्वाधिक रिकॉर्ड उपलब्धि है।
- 3790 कि०मी० **तटबंध का निर्माण** कर 39.96 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को बाढ़ से सुरक्षा प्रदान किया गया है। अगले पाँच वर्षों में 1676 कि०मी० अतिरिक्त **तटबंध का निर्माण** कर 23.16 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को सुरक्षा प्रदान करने का लक्ष्य है।
- बाढ़ 2017 के पूर्व 317 बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों को पूरा किया गया एवं बाढ़ 2018 के पूर्व 417 बाढ़ सुरक्षात्मक योजनाओं के कार्यान्वय का लक्ष्य है।

लघु जल संसाधन विभाग

- वर्ष 2017–18 में लघु जल संसाधन विभाग का स्कीम मद में रू० 395.30 करोड़ तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय रू० 211.52 करोड़ कुल प्राक्कलन रू० 606.82 करोड़ था तथा वर्ष 2018–19 में स्कीम मद में रू० 259.00 करोड़ तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय रू० 271.38 करोड़ कुल प्राक्कलन रू० 530.38 करोड़ है।

- वर्ष 2017–18 तक अधिष्ठापित कुल 10242 नलकूपों में से 4875 नलकूप चालू है। वर्ष 2018–19 में 50.00 करोड़ रू० के व्यय से बंद सभी प्रकार के 430 नलकूपों को चालू कराया जायेगा, जिससे 31500 हे० सिंचाई क्षमता का पुनर्स्थापन होगा।

- राज्य के सभी प्रखण्डों में लागू **"बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना"** के तहत 11.60 करोड़ रू० की लागत से वर्ष 2017–18 में किसानों द्वारा अबतक 13470 निजी नलकूप अधिष्ठापित किये गये हैं तथा इससे 37716 हे० सिंचाई क्षमता सृजित हुआ है। तृतीय कृषि रोड मैप के अनुसार वर्ष 2018–19 में अनुदान आधारित 2.00 लाख निजी नलकूप अधिष्ठापित करने का लक्ष्य है जिससे 5.6 लाख हे0 सिंचाई क्षेत्र में वृद्धि होगी।

- राज्य के सभी जिला मुख्यालय एवं प्रखण्डों में **Telemetry System** आधारित 571 **ऑटोमेटिक डिजिटल वाटर लेवल रेकॉर्डर** की अधिष्ठापना की जा रही है, जिससे प्रत्येक 3 घंटे पर भूगर्भ जल स्तर का आंकड़ा प्राप्त किया जा सकेगा। अबतक 423 टेलीमेटरी अधिष्ठापित की जा चुकी है। वर्ष 2018–19 में 5.00 करोड़ रू० की लागत से 150 टेलिमिटरी अधिष्ठापित करने का लक्ष्य है।

- **सतही सिंचाई योजनांतर्गत** राज्य योजना के तहत सभी जिलों में 207 योजनाओं के विरूद्ध 20.80 करोड़ रू० के व्यय से 99 योजना पूर्ण हुई है तथा 2650 हे० सिंचाई क्षमता का सृजन हुआ है। वर्ष 2018–19 में 100.00 करोड़ रू० की लागत से आहर–पईन के जीर्णोद्धार एवं वीयर निर्माण कार्य हेतु कार्रवाई की जा रही है, जिससे 27000 हे० सिंचाई क्षमता का सृजन होगा।

- **आर०आई०डी०एफ० (सतही सिंचाई+नलकूप)** के तहत 137 योजनाओं के विरूद्ध 22.54 करोड़ रू० के व्यय से 50 योजना पूर्ण हुई है तथा इससे 8900 हे० क्षेत्र में सिंचाई क्षमता का सृजन हुआ। वर्ष 2018–19 में 150.00 करोड़ रू० की लागत से आहर–पईन के जीर्णोद्धार एवं वीयर निर्माण कार्य हेतु कार्रवाई की जा रही है, जिससे 34500 हे० सिंचाई क्षमता का सृजन होगा। 10.00 करोड़ रू० की लागत से 100 नलकूपों के जीर्णोद्धार हेतु कार्रवाई की जा रही है, जिससे 8000 हे० सिंचाई क्षमता का सृजन होगा।

- **प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनांतर्गत** भभुआ, रोहतास, नवादा एवं सीतामढ़ी जिले में 47 नई योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है जिससे 1367 हे० क्षेत्र में सिंचाई क्षमता का सृजन हुआ है तथा

इसपर 15.40 करोड़ रू० व्यय हुआ है। वर्ष 2018–19 में त्वरित सिंचाई योजना की 47 योजनाएं तथा **RRR of Water Bodies** की कुल 94 सतही सिंचाई योजनाओं के क्रियान्वयन की कार्रवाई की जा रही है जिससे 260 करोड़ रूपये का व्यय कर 49300 हे० सिंचाई क्षमता का सृजन होगा।

- केन्द्र सरकार एवं विश्व बैंक की सहायता से **भूजल विकास** हेतु 30.00 करोड़ रू० की **National Hydrology Project** के तहत वर्ष 2017–18 में 3.95 करोड़ रू० के व्यय से इसे कार्यान्वित किया जा रहा है। इस योजनांतर्गत वर्ष 2018–19 में 4.00 करोड़ रू० की लागत से कैमूर तथा रोहतास जिले के विभिन्न प्रखण्डों में 08 **टेलीमेटरी** तथा **Water Quality Laboratory** की स्थापना की जायगी।

सहकारिता विभाग

- वर्ष 2017–18 में सहकारिता विभाग का स्कीम मद में रू० 639.70 करोड़ तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय रू० 110.75 करोड़ कुल प्राक्कलन रू० 750.45 करोड़ था तथा वर्ष 2018–19 में स्कीम मद में रू० 677.02 करोड़ तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय रू० 129.48 करोड़ कुल प्राक्कलन रू० 806.50 करोड़ है।

- **धान अधिप्राप्ति**

  - 2017–18 में धान अधिप्राप्ति कार्य 15 नवम्बर से किया जा रहा है तथा इस हेतु किसानों का Online Registration 19 सितम्बर, 2017 से प्रारम्भ कर 2.86 लाख किसानों का निबंधन किया जा चुका है।

  - राज्य में धान अधिप्राप्ति हेतु कुल 600 करोड़ रू० बिहार राज्य सहकारी बैंक को उपलब्ध कराते हुए इस प्रयोजन के लिए नाबार्ड एवं अन्य सहकारी संस्थान से 500 करोड़ रुपये ऋण लेने हेतु राजकीय गारंटी प्रदान की गई है।

  - धान अधिप्राप्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रदत ऋण राशि (वर्ष 2016–17 तक 600 करोड़ रूपये) एवं आगामी वर्षों में प्राप्त होने वाली राशि पर निर्धारित ब्याज की दर को 9% से घटाकर 7% किये जाने के संबंध में निर्णय लिया गया है, जिससे पैक्स/व्यापार मंडलों को 11% के बजाय 8% पर कैश–क्रेडिट ऋण प्राप्त हो सकेगा।

  - अधिप्राप्ति कार्य को प्रोत्साहित करने हेतु खरीफ विपणन मौसम 2017–18 में राज्य खाद्य निगम को आपूर्ति की जाने वाली CMR की मात्रा पर पैक्स/व्यापार मंडलो को प्रति क्विंटल 10/–रूपये, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों को प्रति क्विंटल 5/–रूपये एवं बिहार राज्य सहकारी बैंक को प्रति क्विंटल 0.50/–रूपये की राशि प्रबंधकीय अनुदान के रूप में प्रदान की जायेगी।

- 20 फरवरी, 2018 तक रैयत एवं गैर रैयत कृषकों से लगभग 6.18 लाख मैट्रिक टन धान की अधिप्राप्ति कर ली गई है तथा 711.82 करोड़ रू० का भुगतान भी किसानों को किया जा चुका है।
- वर्ष 2018–19 में धान की अधिप्राप्ति समय से प्रारम्भ करने एवं नमी में कमी लाने हेतु 22 करोड़ रू० की लागत से 100 समितियों तथा पैक्स/व्यापार मंडलों में ड्रायर लगाने एवं प्राप्त धान के प्रसंस्करण हेतु 69.70 करोड़ रुपये के लागत से 90 समितियों में **चावल मिल–सह–ड्रायर** की स्थापना की योजना है।
- पैक्सों तथा व्यापार मंडल में नमी प्रबंधन हेतु 12 मे० टन (प्रति पाली) क्षमता के **ड्रायर की स्थापना** के लिये 50% अनुदान तथा 50% चक्रीय पूंजी (Revolving Capital) के रूप में 97.02 करोड़ रू० एवं वर्ष 2017–18 में सहकारी समितियों को गोदाम निर्माण मद में 8.80 करोड़ रू० के व्यय की स्वीकृति दी गई है।
- वर्ष 2017–18 में पैक्सों/व्यापार मंडलों में 2.00 लाख मे० टन भंडारण क्षमता वृद्धि हेतु 200 मे० टन, 500 मे० टन या 1000 मे० टन क्षमता के **गोदाम निर्माण** के लिए उक्त समितियों को 50% अनुदान तथा 50% चक्रीय पूँजी के रूप में उपलब्ध कराने हेतु 128.07 करोड़ रू० के व्यय हेतु योजना की स्वीकृति दी गई है।
- 2017–18 में पैक्सों/व्यापार मंडलों में 2 MT प्रति घंटा मिलिंग क्षमता के 80 विद्युत आधारित चावल मिल (ड्रायर के साथ) की स्थापना हेतु 61.96 करोड़ रू० 50% अनुदान तथा 50% चक्रीय पूँजी के रूप में उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई है।

- **प्रधानमंत्री फसल–बीमा योजना** के तहत वर्ष 2017–18 में 304 करोड़ रू० व्यय करते हुए खरीफ एवं रबी फसल के लिए अब तक क्रमशः 11.57 लाख तथा 10.84 लाख किसानों का फसल–बीमा कराया गया है। शेष 341 करोड़ रू० का व्यय मार्च, 2018 तक संभावित है। वर्ष 2018–19 में खरीफ तथा रबी फसलों के लिए बीमित किसानों की कुल संख्या बढ़ाकर 30 लाख करने के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार की जा रही है।
- त्रिस्तरीय सहकारी समितियों के माध्यम से **सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन** को बढ़ावा देने हेतु प्रथम चरण में वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, नालंदा एवं पटना जिले में प्रखंड स्तरीय सब्जी उत्पादक सहयोग समितियों का गठन कर अभी तक 83 प्रखंडों में प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहयोग समितियाँ का निबंधन किया जा चुका है।
- 68.27 करोड़ रू० की लागत से बनने वाले 487 **गोदामों** के विरूद्ध 149 गोदामों तथा 68.96 करोड़ रू० की लागत से बनने वाले 80 **चावल मिलों** के विरूद्ध 27 मिलों का निर्माण हो चुका है।

- वर्ष 2018–19 में पैक्स/व्यापार मंडलों के भंडारण की क्षमता में 2.5 लाख मैट्रिक टन अधिक वृद्धि हेतु 175 करोड़ रुपये के लागत से गोदाम बनाये जायेंगे।
- **मुख्यमंत्री आदर्श पैक्स प्रोत्साहन योजनांतर्गत** वर्ष 2018–19 में बेहतर काम करने वाले प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पैक्सों को क्रमशः 10, 07 एवं 05 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जायेगी ताकि वे अपने कार्यों में वृद्धि कर सके।
- वर्ष 2018–19 में प्रथम चरण में लगभग 1000 पैक्सों का कम्प्यूटराईजेशन कर उन्हें सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर उपलब्ध कराया जाएगा।

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

- वर्ष 2017–18 में पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग का स्कीम मद में रू० 332.50 करोड़ तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय रू० 248.62 करोड़ कुल प्राक्कलन रू० 581.12 करोड़ था तथा वर्ष 2018–19 में स्कीम मद में रू० 436.22 करोड़ तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय रू० 282.28 करोड़ कुल प्राक्कलन रू० 718.50 करोड़ है।
- वर्ष 2017–18 में एफ०एम०डी० **टीकाकरण अभियान** के तहत 1.54 करोड़ पशुओं को, एच०एस०बी०क्यू० के अन्तर्गत 01 करोड़ 60 लाख पशुओं को तथा पी०पी०आर० रोग के विरूद्ध लगभग 20 लाख बकरियों/भेंड़ों को टीकाकृत किया गया है।
- राज्य के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में बाढ़/सुखाड़/महामारी नियंत्रण हेतु 50 अम्बुलेट्री भान के माध्यम से अबतक आयोजित 2059 चिकित्सा शिविरों में 3.56 लाख पशुओं की चिकित्सा तथा 2.58 लाख पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान भी कराया गया है।
- **"बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना"** की स्थापना एवं कुलपति की नियुक्ति की जा चुकी है तथा अकादमिक एवं प्रशासनिक पदों सहित सपोर्टिंग स्टाफ के 218 पदों की स्वीकृति प्रदान की गई है।
- **गव्य विकास योजनान्तर्गत** कुल 1948 डेयरी इकाइयों की स्थापना कर सामान्य जाति के लाभुकों को 50 प्रतिशत, कुल 650 डेयरी इकाई की स्थापना कर अनुसूचित जाति के लाभूकों को 75 प्रतिशत एवं 02 इकाई की स्थापना कर अनुसूचित जनजाति के 274 लाभूकों को 75 प्रतिशत की दर से अनुदान वितरित किया गया।
- हाजीपुर में 30 मे० टन प्रति दिन क्षमता का **दुग्ध पॉउडर संयंत्र**, पटना एवं नालन्दा में 20 हजार किलो प्रति दिन क्षमता का **आईसक्रिम प्लांट** स्थापित कर चालू कर दिया गया है तथा राज्य में 1750 इकाई **स्वचालित दुग्ध संग्रहण केन्द्र** स्थापित करने का कार्य प्रगति पर है।

- राज्य में जीविका के माध्यम से 1080 गरीब परिवारों के बीच निःशुल्क 03 प्रजनन योग्य बकरियाँ 01 इकाई के रूप में वितरित किया गया है। निजी क्षेत्रों के 20 बकरी के साथ 01 बकरा फार्म की स्थापना हेतु 371 लाभूकों को अनुदान दिया जा रहा है।

- वर्ष 2017–18 में **समेकित बकरी एवं भेंड़ विकास परियोजना** अन्तर्गत अनुसूचित जाति के लगभग 2500 परिवारों एवं अनुसूचित जनजाति के लगभग 241 गरीब इच्छुक बकरी पालकों को प्रजनन योग्य तीन–तीन बकरियाँ जीविका के माध्यम से निःशुल्क वितरित की जा रही है। साथ ही 533 इकाई गोट फार्म की स्थापना करने की स्वीकृति प्रदान की गई है जिनमें सामान्य जाति के लिए 459 एवं अनुसूचित जाति के लिए 74 फॉर्म शामिल है।

- वर्ष 2017–18 में मछली का उत्पादन बढ़कर 05 लाख 10 हजार मे० टन तक हुआ तथा इसके उत्पादन में उत्रोतर वृद्धि हो रही है। इस वर्ष 20 हैचरी का निर्माण किया जा चुका है।

- ₹ 18.22 करोड़ की लागत से **समेकित मुर्गी विकास योजना** अन्तर्गत राज्य में कुक्कुट के विकास हेतु लेयर मुर्गी फार्म (1000/5000/10000 क्षमता) की स्थापना पर अनुदान तथा चूजा वितरण योजना की स्वीकृति दी गई है। निजी क्षेत्र में लेयर पोल्ट्री फार्म की स्थापना हेतु ऑन–लाईन आवेदन प्राप्त करने की व्यवस्था तथा चूजा का वितरण जीविका के माध्यम से किया जा रहा है।

- ₹ 23.30 करोड़ की लागत पर प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालयों के 50 भवनों के निर्माण एवं 1084 के सुदृढ़ीकरण की योजना की स्वीकृति दी गई है।

- वर्ष 2017–18 में क्रमशः **समग्र गव्य विकास योजना एवं डेयरी उद्यमिता विकास योजना** अंतर्गत ₹ 50.82 करोड़ एवं ₹ 19.29 करोड़ की लागत पर डेयरी इकाई एवं दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना के लिए राज्य के सभी वर्गों के कृषकों/बेरोजगार युवक–युवतियों को 50% तथा अनुसूचित जाति/जनजाति को 66.66 % अनुदान देने की स्वीकृति दी गयी है।

- वर्ष 2017–18 में कुल 44.75 करोड़ की अनुमानित लागत व्यय पर राज्य स्कीम के तहत **मुख्यमंत्री मत्स्य विकास परियोजना** अन्तर्गत 50 प्रतिशत सब्सिडी अनुदान पर 820.39 हे० **जलक्षेत्र में आर्द्र भूमि का विकास,** 400 हे० क्षेत्र में **रियरिंग तालाब का निर्माण,** 1220.39 हे० जलक्षेत्र में प्रथम वर्ष इंटपुट, 500 **ट्यूबवेल** एवं 500 **पम्पसेट का अधिष्ठापन** तथा 4850 हे० जलक्षेत्र में चौर एवं मन में मत्स्य अंगुलिकाओं के संचयन की स्वीकृति दी गई है।

- **अनुसूचित जाति/जनजाति के मत्स्य पालकों के लिए विशेष घटक योजना** के तहत ₹ 11.87 करोड़ की लागत पर नर्सरी, तालाब निर्माण तथा ट्यूवबेल एवं पम्पसेट अधिष्ठापन की स्वीकृति दी गई है।

COMPFED

- वर्ष 2017–18 में **राष्ट्रीय कृषि विकास योजना** अन्तर्गत कुल ₹ 3.50 करोड़ के अनुमानित लागत पर 1000 नये दुग्ध समिति के गठन, ₹ 17.06 करोड़ के अनुमानित लागत पर राज्य के 09 डेयरी प्लांटों के सुदृढ़ीकरण एवं ₹ 64.60 लाख के अनुमानित लागत पर 340 बंद पड़े दुग्ध समितियों को पुनः चालू करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।
- औसत दुग्ध संग्रहण 15.88 लाख किलो प्रतिदिन से बढ़कर वर्तमान में 21.10 लाख किलो प्रतिदिन हो गया है। वर्ष 2018–19 में औसत दुग्ध संग्रहण का लक्ष्य 19.52 लाख किलो प्रतिदिन है।
- राज्य के विभिन्न जिलों में ग्राम स्तर पर दूध को ठंढा कर उसकी गुणवत्ता बनाये रखने के उद्देश्य से 462 **बल्क मिल्क कूलर** एवं 8 **शीतकरण केन्द्रों** की स्थापना की गई है जिनकी कुल शीतकरण क्षमता 20.39 लाख लीटर प्रति दिन हो गया है।
- जनवरी, 2018 तक का कुल **दुग्ध विपणन** गत वर्ष की समान अवधि की तुलना में 9.2 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 14.51 लाख लीटर प्रतिदिन तथा कुल दुग्ध विपणन गत वर्ष की समान अवधि की तुलना में 12.0 प्रतिशत वृद्धि के साथ 26854.5 मी० टन है। वर्ष 2018–19 में औसत दुग्ध विपणन का लक्ष्य 16.27 लाख लीटर प्रतिदिन है।
- जनवरी, 2017 तक टेट्रापैक दूध का विपणन 3.33 लाख लीटर से बढ़कर जनवरी, 2018 तक 20.51 लाख लीटर हो गया है।
- वर्ष 2017–18 में ठेकुआ बाजार में उपलब्ध कराये गये नये दुग्ध उत्पाद केन्द्र की सराहना महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा अपने बिहार भ्रमण के दौरान की गई है।
- दुधारू पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान हेतु स्थापित 3831 केन्द्रों में से 395 केन्द्र वर्ष 2017–18 में स्थापित किए गए, जहाँ जनवरी, 2018 तक गत वर्ष की समान अवधि की तुलना में 7.7 प्रतिशत अधिक वृद्धि के साथ 17.77 लाख कृत्रिम गर्भाधान किए गए। वर्ष 2018–19 में कृत्रिम गर्भाघान केन्द्रों की संख्या 4029 करने का लक्ष्य है।
- वर्ष 2018–19 में सुपौल में 1.0 लाख लीटर डेयरी एवं समस्तीपुर में 30.0 मी० टन दैनिक क्षमता के पाउडर संयंत्र तथा 5.0 लाख लीटर दैनिक क्षमता की डेयरी में व्यावसायिक उत्पादन आरम्भ हो जाएगा।
- पटना में पूर्व से स्थापित **पशु आहार कारखाना** की क्षमता को 100 मी०टन से बढ़ाकर 150 मी०टन करने एवं इसी परिसर में एक 150.0 मी०टन दैनिक क्षमता के पशु कारखाना की स्थापना पूर्ण हो गई है। वर्ष 2018–19 में दुधारू पशुओं को उन्नत गुणवत्ता का कैटलफीड उपलब्ध कराने हेतु बिहिया में निर्माणाधीन 300 मी०टन दैनिक क्षमता के पशु आहार संयंत्र की स्थापना का लक्ष्य है।

पर्यावरण एवं वन विभाग

- वर्ष 2017–18 में पर्यावरण एवं वन विभाग का स्कीम मद में रू० 178.46 करोड़ तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय रू० 140.50 करोड़ कुल प्राक्कलन रू० 318.96 करोड़ था तथा वर्ष 2018–19 में स्कीम मद में रू० 272.37 करोड़ तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय रू० 140.71 करोड़ कुल प्राक्कलन रू० 413.08 करोड़ है।

हरित आवरण

- वन सर्वेक्षण संस्थान, देहरादून की वर्ष 2017 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 45.00 वर्ग कि०मी० हरित आवरण में वृद्धि हुई है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.05% है। इसमें 1 हेक्टेयर से कम का हरित आवरण सम्मिलित नहीं है। इस प्रकार बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 12.93% क्षेत्र हरित आवरण है।
- राज्य के वानिकी/कृषि वानिकी कार्यक्रमों का हरित आवरण पर सकारात्मक प्रभाव संबंधी प्रतिवेदन वन सर्वेक्षण संस्थान, देहरादून द्वारा मार्च, 2018 तक उपलब्ध कराया जायेगा। वर्ष 2017 में संभावित वनावरण 15% को वर्ष 2022 तक बढ़ाकर 17% करने का लक्ष्य है।

कृषि रोड मैप

- तृतीय कृषि रोड मैप (वर्ष 2017–22) के अन्तर्गत विभागीय **वनरोपण योजनाओं** में 9.20 करोड़ तथा कृषकों की भूमि पर कुल 5.30 करोड़ (पॉप्लर प्रजाति के 1.50 करोड़ एवं अन्य प्रजाति के 3.80 करोड़) पौधे लगाये जाएंगे।

कृषि वानिकी

- **''कृषि वानिकी नीति''** तैयार करने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति गठित की गई है, जो तीन माह में अपना प्रतिवेदन देगी।
- वानिकी के संबंध में किसानों का मंतव्य जानने हेतु 13 फरवरी, 2018 को आयोजित कृषि समागम में 800 से अधिक किसानों ने भाग लिया।
- वर्ष 2017–18 में रू० 14.26 करोड़ की लागत से 16,477 लाभुकों के बीच 1.19 करोड़ पौधों का वितरण करते हुए माह जनवरी–फरवरी में रू० 8.16 करोड़ के व्यय से 44.39 लाख पॉपलर पौधों का रोपण किया जा रहा है।
- वर्ष 2012–17 की अवधि में कृषकों के द्वारा **राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम** के तहत कुल 6 करोड़ पौधों के लक्ष्य के विरूद्ध 7.11 करोड़ पौधे उगाकर कृषि वानिकी योजना के लिए आपूर्ति किये गये।

- वानिकी की तकनीकी जानकारी से कृषकों को अवगत कराने हेतु भारतीय वानिकी शोध एवं अनुसंधान परिषद्, देहरादून से किये गये MOU के तहत वर्ष 2017 तक 2750 कृषकों को राज्य के बाहर तथा 45,495 कृषकों को राज्य के अन्दर विभिन्न स्थानों पर प्रशिक्षित किया गया है।
- राज्य सरकार ने कृषि वानिकी को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से 27 प्रजातियों को परिवहन नियमावली से मुक्त कर दिया है।
- राज्य में बांस की खेती को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भागलपुर में स्थापित टिशू कल्चर लैब में बांस के पौधों का उत्पादन प्रारम्भ हो गया है। दूसरे लैब की स्थापना सुपौल में की जा रही है।
- राज्य में वानिकी शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मुंगेर जिले में **वानिकी कॉलेज** की स्थापना की जा रही है।
- काष्ठ एवं अन्य वन पदार्थों की खरीद–बिक्री हेतु ई–मंडी की शुरुआत करते हुए एक अलग पोर्टल विकसित किया गया है। देश में यह पहली ई–फॉरेस्ट मंडी है।

वानिकी

- वर्ष 2017–18 की अवधि में विभिन्न वनरोपण योजनाओं यथा–**अवकृष्ट वनों का पुनर्वास, राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम, कैम्पा योजना** आदि में कुल 11.36 करोड़ पौधों का रोपण किया गया है।

नमामि गंगे योजना (गंगा स्वच्छ करने हेतु वानिकी हस्तक्षेप)

- **राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन** अन्तर्गत वानिकी आधारित कार्यों के लिए प्रारम्भ की गई **Forestry Interventions for Ganga** योजना का क्रियान्वयन बिहार में गंगा नदी की कुल 445 कि०मी० लम्बाई एवं इसकी सहायक नदियों यथा–सोन, घाघरा, गंडक एवं कोशी के आस पास के क्षेत्रों में किया जा रहा है।
- इस योजना के तहत वर्ष 2016–17 में रू० 6.03 करोड़ के व्यय से 5 वन प्रमण्डलों में 39,908 पौधों एवं वर्ष 2017–18 में रू० 96.09 करोड़ की लागत से 84,930 पौधों का रोपण किया जा चुका है तथा 22200 पौधों का रोपण फरवरी, 2018 तक किया जायेगा। वर्ष 2018–19 में रू० 20.69 करोड़ की योजना की स्वीकृति प्रक्रियाधीन है।

इको टूरिज्म

- बाल्मीकी ब्याघ्र आरक्ष, राजगीर वन्यप्राणी आश्रयणी, गंगा नदी का डॉल्फिन आश्रयणी क्षेत्र सहित डॉल्फिन की आबादी वाले अन्य स्थल एवं नवादा में ककोलत जल प्रपात, मुंगेर में भीम बाँध, कैमूर में मुण्डेश्वरी मंदिर, रोहतास में तुतला भवानी, गुप्त धाम एवं बराबर पहाड़ जैसे मनोरम स्थलों में इको टूरिज्म के लिये विशेष सुविधाओं का विकास एवं बाल्मीकी नगर जंगल कैम्प का निर्माण किया जा रहा है।

- वर्ष 2018–19 में बाल्मीकी ब्याघ्र आरक्ष के मंगुराहा प्रक्षेत्र में रू० 2.00 करोड़ की लागत से टूरिस्ट कॉम्पलेक्स का निर्माण किया जायेगा तथा आवासन दर में कमी सहित पर्यटकों को भ्रमण एवं खान पान की विशेष सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। वर्तमान में वहाँ 80 से अधिक पर्यटकों के आवासन की व्यवस्था है।
- बिक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन आश्रयणी में इको टुरिज्म की सुविधायें मई, 2018 से प्रारम्भ की जायेंगी। इस क्रम में 24 सीटर टूरिस्ट मोटरबोट का क्रय किया जा चुका है।
- बिहार देश का पहला राज्य है जहाँ गांगेय डॉल्फिन के संरक्षण हेतु भागलपुर में कहलगाँव से सुल्तानगंज तक गंगा की धारा को बिक्रमशीला गांगेय डॉल्फिन आश्रयणी घोषित किया गया है।
- वर्ष 2017–18 में 2.85 करोड़ रू० की लागत से घोड़ा कटोरा पथ, राजगीर एवं 3.00 करोड़ रू० की लागत से वेणुवन के विस्तार एवं उन्नयन का कार्य किया जा रहा है।

संजय गांधी जैविक उद्यान

- इस उद्यान में 3.87 करोड़ रू० की लागत से **गैंडा प्रजनन केन्द्र** का निर्माण किया जा रहा है।
- यहाँ लगभग 100 सीटों वाले **ऑडिटोरियम** का निर्माण पूर्ण हो चुका है तथा **3D थियेटर** के निर्माण हेतु CMD कोलकाता से एकरारनामा किया गया है जिसपर 2.98 करोड़ रू० व्यय होगा।
- **ऑनलाईन टिकटिंग** की सुविधा शीघ्र प्रारम्भ होगी तथा भ्रमण करने वालों को आकर्षक टिकट के साथ सूचनापरक ब्राउसर दिये जायेंगे। उद्यान में **साईनेज** लगाये जायेंगे तथा **Toy Train** भी चलाये जायेंगे।
- संजय गाँधी जैविक उद्यान में वर्ष 2017–18 में 24.72 लाख एवं वर्ष 2017–18 में आदिनांक 19.78 लाख लोगों ने भ्रमण किया है।
- **वन्यप्राणीदत्तक ग्रहण योजना** के तहत कोई भी व्यक्ति/परिवार/व्यक्ति समूह/ प्रतिष्ठान/ संस्था/कंपनी निर्धारित राशि जमाकर पशु–पक्षियों का दत्तक ग्रहण कर सकता है। गोद लेने वाला व्यक्ति दत्तक प्राणी को अपने मित्र एवं सगे–संबंधियों को उपहार भी कर सकता है।

जैव विविधता पार्क

- गया के पीपर घट्टी में 58 एकड़ क्षेत्र में, अररिया के कुशियार गाँव में 35 एकड़ क्षेत्र में तथा जमुई के माधोपुर में 100 एकड़ क्षेत्र में जैव विविधता पार्क विकसित किये जा रहे हैं, जहाँ औषधीय, विलुप्तप्राय एवं अन्य प्रजाति के पौधों का रोपण एवं वानिकी प्रजातियों पर अध्ययन एवं शोध किये जायेंगे। वर्ष 2017–18 में इन योजनाओं के लिए 3.16 करोड़ रू० की राशि कर्णांकित है।

राजगीर में जू सफारी एवं नेचर सफारी सृजन

- राजगीर वन्यप्राणी आश्रयणी अंतर्गत राजगीर वन क्षेत्र में स्वर्णगिरी तथा व्योहार गिरी पहाड़ियों के घाटी क्षेत्र में 191.12 हे० में 60 करोड़ रू० की लागत से जू सफारी का निर्माण/विकास किया जा रहा है।
- इस ''वन्यप्राणी सफारी'' के समीपस्थ उपयुक्त वन क्षेत्र के 500 हे० में एक ''नेचर सफारी'' की स्थापना की जा रही है जो इको–टूरिज्म के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण होगा।

बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् : 2018–19

- पटना में 4 नए Continuous Ambient Air Quality Monitoring Station की स्थापना।
- अगस्त, 2018 तक सभी ईंट भट्टों का स्वच्छता तकनीक में सम्परिवर्तन।
- पर्षद के 2 नए क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए जाएँगे।

ग्रामीण विकास विभाग

- वर्ष 2017–18 में ग्रामीण विकास विभाग का स्कीम मद में रू० 9424.32 करोड़ तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय रू० 293.16 करोड़ कुल प्राक्कलन रू० 9717.48 करोड़ था तथा वर्ष 2018–19 में स्कीम मद में रू० 15117.07 करोड़ तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय रू० 353.97 करोड़ कुल प्राक्कलन रू० 15471.04 करोड़ है।
- **मनरेगा**
  - भारत सरकार द्वारा निर्धारित मजदूरी की दर 168 रूपये के बजाय राज्य सरकार द्वारा 177 रूपये दी जा रही है तथा वर्ष 2017–18 में इस मद में अंतर राशि 77.12 करोड़ रूपये का वहन राज्य के खजाने से किया गया।
  - अनुसूचित जाति/जनजाति के बसावटों के लिए सम्पर्क सड़क, उनका पक्कीकरण एवं नाली निर्माण की 19806 योजनाएं पूर्ण एवं 88407 योजनाओं में कार्य प्रगति पर है। पंचायतों में **मनरेगा भवन** निर्माण की 149 योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं एवं 728 **आंगनबाड़ी केन्द्र** का निर्माण कराया जा रहा है।
  - वर्ष 2017–18 में 21 फरवरी, 2018 तक 20.81 लाख परिवारों को रोजगार मुहैय्या कराते हुए 713.27 लाख **मानव दिवस का सृजन** किया गया है तथा 2644.60 करोड़ रूपये व्यय करते हुए 70175 परिसम्पतियों का सृजन किया गया है।

- लाभार्थियों/मजदूरों के खातों में **e-FMS** के तहत सीधे राशि का भुगतान किया जा रहा है। आधार आधारित भुगतान सुनिश्चित करने हेतु राज्य में 48.31 लाख सक्रिय मजदूरों के विरुद्ध 35.36 लाख मजदूरों का आधार सिंडिग नरेगा सॉफ्ट पर किया गया है।
- मजदूरी भुगतान में विलम्ब के लिए **क्षतिपूर्ति भत्ता** देने का निर्णय लिया गया है।

- **प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण)/इंदिरा आवास योजना अन्तर्गत**
  - वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 में 15 फरवरी, 2018 तक 5.35 लाख परिवारों को आवास की स्वीकृति देते हुए 2616.72 करोड़ रूपये व्यय किया गया है। निर्धारित 1,20,000 रू० एवं IAP जिलों के लिए 1,30,000 रू० की सहायता राशि को तीन किस्तों में लाभुकों को अंतरित की जा रही है।
  - लाभुकों को सहायता राशि का अंतरण eFMS प्रणाली द्वारा राज्यस्तरीय नोडल खाते से सीधे किया जा रहा है।
  - वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 (15 फरवरी, 2018 तक) में 1019.48 करोड़ रूपये का व्यय कर पूर्व के वर्षों के 8.25 लाख अपूर्ण आवासों को पूर्ण कराया गया है।
- राज्य की कुल जनसंख्या 10.40 करोड़ में से 9.75 करोड़ (93.73 प्रतिशत) लोगों का आधार सृजन किया जा चुका है।
- राज्य के सभी प्रखंड, अनुमंडल एवं जिला मुख्यालयों तथा सभी नगर निकायों व अन्य महत्त्वपूर्ण सरकारी परिसरों में स्थापित 861 स्थायी आधार केन्द्रों में से 843 केन्द्र कार्यरत हैं, जहाँ फरवरी, 2017 से अबतक 17.44 लाख लोगों का आधार सृजन किया जा चुका है।
- 77 प्रखंडों के विरुद्ध 24 प्रखंडों में **कार्यालय सह आवासीय भवन** का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
- 101 प्रखंडों के विरुद्ध 67 प्रखंडों में नाबार्ड के वित्त संपोषण से **सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र** का निर्माण कार्य कराया जा रहा है ।
- **शौचालय निर्माण**
  - **स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण) एवं लोहिया स्वच्छता योजना** के तहत व्यक्तिगत शौचालय निर्माण और उपयोग किये जाने एवं वार्ड को खुले में शौचमुक्त किये जाने के उपरांत, सभी लाभुकों को रु० 12000 की प्रोत्साहन राशि सीधे उनके बैंक खाते में DBT के माध्यम से स्थानांतरित कराया जा रहा है।
  - अक्टूबर, 2014 में शौचालय आच्छादन का 22.81% था जो वर्त्तमान में 40.83% है।

- वर्ष 2016–17 में 8.73 लाख एवं वर्ष 2017–18 में अबतक 19.09 लाख तथा आदिनांक कुल 31.98 लाख व्यक्तिगत शौचालयों का स्वनिर्माण लाभुकों द्वारा कराया जा चुका है। वर्त्तमान में राज्य के 14 प्रखण्डों के 787 ग्राम पंचायतों के 3997 ग्रामों को खुले में शौचमुक्त घोषित किया जा चुका है।

जीविका–बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन परियोजना

- **जीविका परियोजना** के तहत जनवरी 2018 तक 7 लाख 55 हजार SHG का गठन किया जा चुका है। 2018–19 में परियोजना के लिए निर्धारित 10 लाख SHG गठित करने तथा शेष 15 हजार ग्राम संगठनों का गठन कर राज्य के प्रत्येक गाँव में जीविका ग्राम संगठन को कार्यशील करने का लक्ष्य पूरा कर लिया जायेगा।

- **वित्तीय समावेशन–**

  - राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2016–17 में **सर्वाधिक क्रेडिट लिंकेज** के लिए जीविका को सम्मानित किया गया।

  - एक वित्तीय वर्ष में बैंकों द्वारा SHG को वित्तीय सहायता की राशि रू 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख तक कर दी गई। जीविका द्वारा अबतक लगभग 5.10 लाख SHG को 4434 करोड़ रूपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी गई है। वित्तीय वर्ष 2017–18 में जनवरी माह तक 1.45 लाख SHG को लगभग 1650 करोड़ रूपये का वित्तीय पोषण किया गया एवं मार्च, 2018 तक अतिरिक्त 600 करोड़ का वित्तीय पोषण कराये जाने का लक्ष्य है। वर्ष 2018–19 में 2.25 लाख SHG को बैंकों द्वारा 3500 करोड़ रूपये से भी अधिक का वित्तीय पोषण उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।

  - ग्रामीण क्षेत्रो में वित्तीय सुविधाए उपलब्ध कराने हेतु जीविका द्वारा विभिन्न बैंकों की मदद से 147 **बैंक सखी** को प्रशिक्षित कर ग्राहक सेवा केंद्र खोलवाये गये। वर्ष 2018–19 में लगभग 20–25 लाख ग्रामीणों को बैंकिंग सुविधाए उपलब्ध कराने हेतु **नए 500 ग्राहक सेवा केंद्र** खोले जायेंगे, जिनके माध्यम से बैंक सखियों को लगभग 8 हजार रुपये प्रति 10 लाख रु० के लेंन–देंन पर प्रतिमाह आमदनी होगी।

- **आजीविका संवर्धन–**

  - 4.31 लाख छोटे और सीमांत कृषकों को कृषि की योजनाओं से जोड़ा गया है तथा वर्ष 2018–19 में लगभग 8 लाख किसानो को कृषि के नए तकनीको को जोड़ने का लक्ष्य है।

  - नीरा का कार्य उद्योग विभाग के साथ मिलकर 12 जिलों से बढ़ाकर सभी जिलों में प्रारंभ किया जाएगा।

- **समेकित मुर्गी विकास एवं एकीकृत बकरी एवं भेड़ विकास योजना** के तहत 1 लाख 29 हजार परिवारों को मुर्गीपालन एवं लगभग हजार परिवार को बकरीपालन से जोड़ा गया है तथा वर्ष 2018–19 में 50 हजार परिवारों को मुर्गीपालन एवं 10 हजार परिवारों को बकरीपालन से जोड़ा जाएगा।
- **कौशल विकास एवं नियोजन** में वर्ष 2017–18 में 11 हजार 73 युवाओं को नियोजित किया गया एवं वर्ष 2018–19 में 40 हजार युवाओं के नियोजन का लक्ष्य रखा गया है।
- **ग्रामीण स्व–रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आर–सेटी)** से 2017–18 में 21,566 युवाओं को प्रशिक्षित किया गया एवं 2750 युवाओं को स्व–रोजगार से जोड़ा गया। वर्ष 2018–19 में 30,000 युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है।

- **विशेष पहल** के तहत जीविका ने **IIT, मुंबई** एवं **MNRE** के सहयोग से स्वयं सहायता समूह की दीदियों द्वारा निर्मित 2 लाख **सौर ऊर्जा आधारित लैम्पों का वितरण** स्कूली बच्चों के बीच किया गया तथा वित्तीय वर्ष 2018–19 में 10 लाख स्कूली बच्चों के बीच वितरण किया जाएगा।

योजना एवं विकास विभाग

- वर्ष 2017–18 में योजना एवं विकास विभाग का स्कीम मद में रू० 2682.22 करोड़ तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय रू० 159.50 करोड़ कुल प्राक्कलन रू० 2841.72 करोड़ था तथा वर्ष 2018–19 में स्कीम मद में रू० 1636.18 करोड़ तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय रू० 183.50 करोड़ कुल प्राक्कलन रू० 1819.68 करोड़ है।
- बिहार राज्य का Vision Document-2030 की पुस्तिका एवं 3 वर्षीय Action Agenda पर मंतव्य एवं 3-Year Action Plan तैयार कर नीति आयोग, भारत सरकार को प्रेषित किया गया है।
- नीति आयोग द्वारा बिहार राज्य के 13 जिलों में से कटिहार, बेगूसराय, शेखपुरा, अररिया एवं सीतामढ़ी का पिछड़े जिले के रूप में, खगड़िया एवं पूर्णिया जिले का केंद्र सरकार के मंत्रालयों द्वारा अभिसरण (Convergence) हेतु तथा औरंगाबाद, बांका, गया, जमुई, मुजफ्फरपुर एवं नवादा जिले का चयन वामपंथ उग्रवाद प्रभावित (LWE) जिले के रूप में किया गया है। LWE जिलों के लिए वर्ष 2017–18 से भारत सरकार द्वारा प्रति जिला 28.57 करोड़ रू० की दर से राशि विमुक्ति करने की कार्रवाई भी प्रारंभ कर दी गयी है।
- **मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना** के तहत बिहार राज्य के 20–25 वर्ष के वैसे बेराजगार युवाओं/युवतियों, जो 12वीं कक्षा उत्तीर्ण है एवं उसके पश्चात् उच्चतर शिक्षा हेतु अध्ययनरत नहीं है और ना ही उच्चतर शिक्षा प्राप्त किये हैं, को रोजगार तलाशने के दौरान सहायता के तौर पर 1000/–रूपये प्रतिमाह की दर से अधिकतम दो वर्षों के लिए स्वयं सहायता भत्ता दिया जाना है।

- **मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना** के तहत 31 दिसम्बर, 2017 तक 1.59 करोड़ आवेदकों को 79.60 करोड़ रू० का भुगतान किया जा रहा है ।
- जन्म एवं मृत्यु निबंधन प्रक्रिया को सुगम बनाने हेतु राज्य के सभी जिलों में यह कार्य **CRS सॉफ्टवेयर** के माध्यम से प्रारंभ कर दिया गया है। RGI द्वारा जारी किये गये CRS के अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार राज्य में जन्म निबंधन की उपलब्धि 64.8 प्रतिशत रही है।
- कृषि सांख्यिकी की शुद्धता एवं समयबद्धता हेतु फसल कटनी प्रयोग के आँकड़ों का संग्रहण आधुनिक तकनीक तथा **CCE Agri App** के माध्यम से कृषि वर्ष 2016–17 में रबी मौसम एवं कृषि वर्ष 2017–18 में खरीफ मौसम में अबतक 98 प्रतिशत सम्पन्न हो चुका है। इसका उपयोग राज्य एवं भारत सरकार द्वारा फसल बीमा के आकलन में किया जा रहा है।
- **मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना** अंतर्गत वर्ष 2011–12 से अद्यतन 3762.00 करोड़ रूपये के विरूद्ध 2425.08 करोड़ रू० व्यय कर 68797 योजनाओं को पूर्ण कराया गया है एवं 11632 योजनाओं में कार्य प्रगति पर है।
- **सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम** के तहत मो0 373.35 करोड़ रूपये व्यय कर 1699 योजनाओं को पूर्ण कराया गया है एवं 262 योजनाओं में कार्य प्रगति पर है।
- **बिहार कोसी बाढ़ समुत्थान परियोजना (कोसी–I)** अन्तर्गत बाढ़ की विभीषिका से प्रभावित सहरसा, सुपौल एवं मधेपुरा जिलों के लिए स्वीकृत राशि ₹ 1223.40 करोड़ के विरूद्ध ₹ 854.10 करोड़ व्यय कर 97,872 योजनाओं को पूर्ण करा लिया गया है, जिनमें गृह निर्माण की 56,166, शौचालय निर्माण की 41,585, पुल निर्माण की 70 (सेफ्टी एवं साईनेज की 1 योजना सहित), सड़क निर्माण की 37 एवं बाढ़ प्रबंधन की 14 योजनाएं सम्मिलित है।
- कोसी क्षेत्र को बाढ़ की आपदा से बचाने एवं इसके समेकित विकास हेतु विश्व बैंक सम्पोषित **बिहार कोसी बेसिन विकास परियोजना (कोसी–II)** का क्रियान्वयन सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णियाँ एवं अररिया जिले के सभी 57 प्रखंडों में माह मार्च, 2016 से प्रारंभ है, जिसे मार्च, 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य है। इस कार्य हेतु बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि० को कुल ₹540.00 करोड़, ग्रामीण कार्य विभाग को कुल ₹498.00 करोड़, जल संसाधन विभाग को कुल ₹600.00 करोड़, कृषि विभाग तथा पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग को कुल ₹459.00 करोड़ की राशि आवंटित है तथा कुल उपबंधित राशि ₹2,259 करोड़ के विरूद्ध अबतक ₹255.92 करोड़ का व्यय किया जा चुका है।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

- वर्ष 2017–18 में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का स्कीम मद में रू० 152.24 करोड़ तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय रू० 709.97 करोड़ कुल प्राक्कलन रू० 862.21 करोड़ था तथा वर्ष 2018–19 में

स्कीम मद में रू० 165.04 करोड़ तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय रू० 564.37 करोड़ कुल प्राक्कलन रू० 729.41 करोड़ है।

- राज्य के 45 शहरी अंचलों में 1 दिसम्बर, 2017 से **ऑनलाईन दाखिल खारिज प्रक्रिया** प्रारंभ कर दी गई है तथा 1 अप्रैल, 2018 से पूरे राज्य में ऑनलाईन विधि से दाखिल खारिज वादों के निष्पादन, भू–लगान के भुगतान एवं भू–स्वामित्व प्रमाण पत्र निर्गत करने की व्यवस्था प्रारम्भ की जा रही है।
- रैयतों को राजस्व नक्शा आसानी से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मात्र 150 रू० के भुगतान पर राज्य के भीतर 40 स्थानों पर तथा राज्य के बाहर दो स्थानों यथा– दिल्ली एवं मुम्बई में भू–मानचित्र(नक्शा) उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गयी है।
- राज्य के सभी अंचलों में **डाटा केन्द्र–सह–आधुनिक अभिलेखागार का निर्माण** किया जाना है जहाँ अंचल से संबंधित सभी प्रकार के अभिलेखों एवं राजस्व से संबंधित अन्य दस्तावेजों को सुरक्षित रखने में आसानी होगी तथा उनकी प्रतिलिपि भी आम लोगों को ससमय उपलब्ध कराया जाना संभव हो सकेगा। अभी तक राज्य के 330 अंचलों में इनका निर्माण संपन्न हो चुका है।
- राज्य के 35 जिलों में हवाई फोटोग्राफी के माध्यम से भू–सर्वेक्षण हेतु नक्शा तैयार किया गया है। इससे प्राप्त डाटा के अनुरूप भू–मानचित्र तैयार किया जा रहा है।
- राजस्व कर्मचारी के 4353 एवं अमीन के 1522 रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रियाधीन है।
- भू–अर्जन की प्रक्रिया के अंतर्गत मुआवजा निर्धारण की कार्रवाई को पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में छः सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। मुआवजा भुगतान की प्रगति के अनुश्रवण हेतु **ऑन–लाईन पोर्टल** की व्यवस्था की गयी है एवं इसके लिए पटना एवं वैशाली जिला में पायलट परियोजना प्रारंभ किया गया है। भू–अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि के खेसरा के सत्यापन एवं वास्तविक स्रोतों की जानकारी हेतु विडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी को अनिवार्य बनाया गया है।

पंचायती राज विभाग

- वर्ष 2017–18 में पंचायती राज विभाग का स्कीम मद में रू० 2136.21 करोड़ तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय रू० 6558.22 करोड़ कुल प्राक्कलन रू० 8694.43 करोड़ था तथा वर्ष 2018–19 में स्कीम मद में रू० 2431.00 करोड़ तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय रू० 7524.39 करोड़ कुल प्राक्कलन रू० 9955.39 करोड़ है।

- **14वें वित्त आयोग** की अनुशंसा के आलोक में वर्ष 2017–18 में भारत सरकार से **बुनियादी अनुदान** के रूप में प्राप्त कुल 3630.39 करोड़ रू० की राशि राज्य के सभी ग्राम पंचायतों को उपलब्ध करा दी गई है। वर्ष 2018–19 में बुनियादी अनुदान के रूप में 4199.71 करोड़ रू० एवं निष्पादन अनुदान के रूप में 529.67 करोड़ रू० की राशि उपलब्ध करायी जायेगी।

- **पंचम राज्य वित्त आयोग** की अनुशंसा के आलोक में वर्ष 2017–18 में 2431.31 करोड़ रू० के विरूद्ध 1215.65 करोड़ रू० की राशि त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को उपलब्ध करा दी गई है। वर्ष 2018–19 में 2431.31 करोड़ रू० की राशि उपलब्ध करायी जायेगी।

- **मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण गली–नाली पक्कीकरण निश्चय योजना** हेतु वर्ष 2017–18 में 1625.00 करोड़ रू० के विरूद्ध 1200.00 करोड़ रू० की राशि त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को उपलब्ध करा दी गई है। वर्ष 2018–19 में 1925.00 करोड़ रू० की राशि उपलब्ध करायी जायेगी।

- **पंचायत सरकार भवन** के निर्माण हेतु वर्ष 2017–18 में 300.00 करोड़ रू० की राशि व्यय की जा रही है जबकि वर्ष 2018–19 में 200.00 करोड़ रू० की राशि उपलब्ध करायी जायेगी।

- वर्ष 2018–19 में **वाह्य सम्पोषित योजना (EAP)** अंतर्गत Loan एवं State Share के रूप में प्राप्त होने वाली क्रमशः रू० 140.00 करोड़ एवं रू० 60.00 करोड़ रू० की राशि से राज्य के 12 जिलों (पटना, नालंदा, भेजपुर, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, गया, रोहतास, औरंगाबाद, समस्तीपुर, दरभंगा एवं मधुबनी) में 330 पंचायत सरकार भवनों का निर्माण कराया जायेगा।

- पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के **निर्वाचित प्रतिनिधियों को मानदेय/भत्ता** भुगतान के लिए वर्ष 2017–18 में 300.00 करोड़ रू० के विरूद्ध 228.91 करोड़ रू० की राशि उपलब्ध करा दी गई है जबकि वर्ष 2018–19 में 350.00 करोड़ रू० की राशि उपलब्ध करायी जायेगी।

नगर विकास एवं आवास विभाग

- वर्ष 2017–18 में नगर विकास एवं आवास विभाग का स्कीम मद में रू० 2734.61 करोड़ तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय रू० 1600.40 करोड़ कुल प्राक्कलन रू० 4335.01 करोड़ था तथा वर्ष 2018–19 में स्कीम मद में रू० 2635.00 करोड़ तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय रू० 1778.58 करोड़ कुल प्राक्कलन रू० 4413.58 करोड़ है।

- राज्य के शहरी क्षेत्रों में वासित परिवारों को पक्की नाली–गली से जोड़ने हेतु 2590 वार्डों में कार्य प्रारम्भ हो चुका है तथा शेष वार्डों के लिए कार्रवाई की जा रही है।

- जल–जमाव की समस्या दूर करने हेतु सभी नगर निकायों में Out fall Drain के निर्माण हेतु कार्रवाई की जा रही है। इस क्रम में सहरसा, सासाराम, टेकारी एवं दरभंगा के लिए 121.72 करोड़ रू० की योजना स्वीकृत की गई है।

- राज्य के शहरी क्षेत्रों में वासित प्रत्येक परिवार को शुद्ध पेय जल उपलब्ध कराने हेतु 1462 वार्डों में कार्य प्रारंभ हो चुका है तथा अबतक कुल 1,01,578 घरों में नल–जल संयोजन उपलब्ध कराया जा चुका है।

- **अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (AMRUT) योजनान्तर्गत** 21 नगर निकायों के लिए कुल 2184.25 करोड़ रू० की जलापूर्ति योजना तथा 27 नगर निकायों में 64.94 करोड़ रू० की पार्क निर्माण योजना स्वीकृत है। भागलपुर फेज–1 (493.00 करोड़ रू०), गया फेज–1 (376.21 करोड़ रू०) एवं गया फेज–2 (64.91 करोड़ रू०) ADB संपोषित जलापूर्ति योजना है।

- **स्वच्छ भारत मिशन (शहरी)** के तहत आगामी 4 वर्षों में बनाये जानेवाले 6,10,462 शौचालय के विरूद्ध 1,60,191 व्यक्गित शौचालय का निर्माण पूरा कर लिया गया है एवं 1,59,878 इकाई निर्माणाधीन है, 1049 सामुदायिक शौचालय का निर्माण पूरा कर लिया गया है एवं 1077 निर्माणधीन है तथा 77 सार्वजनिक शौचालय का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है जबकि 23 निर्माणधीन है।

- राज्य के 18 नगर निकायों में 60.33 करोड़ रू० की लागत से **बस स्टैण्ड का निर्माण** कार्य पूर्ण हो चुका है तथा 13 नगर निकायों में 42.3154 करोड़ रू० की लागत से बस स्टैण्ड का निर्माण कार्य प्रक्रियाधीन है।

- 302.34 करोड़ रू० की लागत से **अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल, पटना** की योजना को संशोधित करते हुए हुडको से ऋण प्राप्त करने के बदले राज्य सरकार की निधि से इसका क्रियान्वयन कराया जा रहा है।

- 1.40 करोड़ रू० की प्रति इकाई की लागत से 50 नगर निकायों के लिए **बहुद्देशीय सम्राट अशोक भवन** के निर्माण की योजना स्वीकृति दी गई है।

- बिहार राज्य के विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों में Annuity Model के आधार पर **LED पथ प्रकाश व्यवस्था** अधिष्ठापित करने एवं आवश्यकतानुसार अतिरिक्त आधारभूत संरचनाओं की स्थापना की स्वीकृति दी गयी है।

- वर्ष 2017–18 में भागलपुर, मुंगेर, मोकामा, सिमरियाघाट एवं पहलेजाघाट में 95.55 करोड़ रू० की लागत से **विद्युत शवदाह गृहों** के जीर्णोद्धार के लिए योजना स्वीकृत की गई है। इसके अतिरिक्त 12 नगर निकायों में शवदाह गृह निर्माण हेतु 17.06 करोड़ रू० की योजना की स्वीकृति प्रक्रियाधीन है।

- **नमामि गंगे योजनान्तर्गत** 4166.97 करोड़ रू० की लागत से **बुडको** द्वारा **20 सीवरेज योजनाएं** क्रियान्वित की जा रही हैं। साथ ही **घाट, शवदाह गृह एवं सामुदायिक शौचालय** निर्माण हेतु 134.06 करोड़ रू० की 05 योजना स्वीकृत है।

- भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना एवं बिहारशरीफ को **स्मार्ट सिटी** के रूप में विकसित करने हेतु प्रत्येक शहर को 5 वित्तीय वर्षों में कुल 1000.00 करोड़ रू० की राशि आवंटित की जायेगी और इसके लिए SPV का गठन कर लिया गया है। भागलपुर के लिए 382.00 करोड़ रू० आवंटित किया जा चुका है।

- **पटना गंगा नदी तट विकास योजना** के तहत 343.27 करोड़ रू० की योजना अंतिम चरण में है। इस योजना के **फेज–2** में नौजर घाट से नूरपुर घाट के विकास हेतु 218.00 करोड़ रू० की योजना का डी.पी.आर. तैयार कर लिया गया है।

- **पटना मेट्रो रेल परियोजना** हेतु NIT, Patna & RITES के संयुक्त तत्वावधान में DPR हेतु Comprhensive mobility तथा Alternative Analysis Report तैयार किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा DPR की स्वीकृति के पश्चात् कार्य प्रारंभ किया जायेगा।

- मास्टर प्लान तैयार करने हेतु 29 शहरों का GIS Base Preparation का गठन किया गया है एवं अन्य 40 शहरों का कार्य प्रक्रियाधीन है।

- 4 शहरों का **GIS Base Preparation & Integration with GIS Base Map** का कार्य किया गया है एवं 15 शहरों का कार्य प्रक्रियाधीन है।

बिहार राज्य आवास बोर्ड

- लीज–होल्ड से फ्री–होल्ड में सम्परिवर्तन के फलस्वरूप जनवरी, 2018 तक 10 करोड़ रू० से ज्यादा राशि बिहार राज्य आवास बोर्ड को प्राप्त हो चुकी है। वर्ष 2018–19 में आवास बोर्ड की कुल आवंटित संपदाओं के 20 प्रतिशत का फ्री–होल्ड मे सम्परिवर्तन के लक्ष्य के विरूद्ध लगभग 100 करोड़ रू० का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगी।

- पटना में बहादुरपुर एवं हनुमाननगर स्थित 244 अनावंटित फ्लैंटों का आवंटन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा जिससे 50 करोड़ रू० की आय संभावित है। वर्ष 2018–19 में आवास बोर्ड की सभी अनावंटित सम्पदाओ को आवंटित करने का लक्ष्य है।

- 25 व्यावसायिक एवं आवासीय–सह–व्यावसायिक संपदाओं का आवंटन ई–ऑक्शन के माध्यम से 31 मार्च तक पूर्ण करने का लक्ष्य है जिससे लगभग 75 करोड़ रू० की आय संभावित है। वर्ष 2018–19 में पटना के शेश एवं अन्य प्रमण्डलों के सभी आवासीय–सह–व्यावसायिक संपदाओं का ई–ऑक्शन के माध्यम से आवंटन पूर्ण कर लिए जाने का लक्ष्य है।

- आरा स्थित दलपतपुर (चँदवा मोड़) में आवास बोर्ड की 10.50 एकड़ भूखंड पर 415 करोड़ रू० की लागत से 1054 फ्लैटों का निर्माण कर एक मिनी टाउनशिप विकसित किया जायेगा।
- वर्ष 2021 तक बहादुरपुर, पटना के सेक्टर–5 में आवास बोर्ड की 10.10 एकड़ भूखण्ड पर 332.03 करोड़ रू० की लागत से 1596 फ्लैटों का निर्माण किया जायेगा।
- वर्ष 2024 तक बहादुरपुर, पटना के सेक्टर–3 एवं 6 में आवास बोर्ड की 74.41 एकड़ भूखण्ड पर 1135.94 करोड़ रू० की लागत से 8454 फ्लैटों का निर्माण किया जायेगा।

भवन निर्माण विभाग

- वर्ष 2017–18 में भवन निर्माण विभाग का स्कीम मद में रू० 3384.78 करोड़ तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय रू० 622.55 करोड़ कुल प्राक्कलन रू० 4007.33 करोड़ था तथा वर्ष 2018–19 में स्कीम मद में रू० 3164.49 करोड़ तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय रू० 796.11 करोड़ कुल प्राक्कलन रू० 3960.60 करोड़ है।
- गर्दनीबाग पटना में विभिन्न श्रेणी के **आवासन परियोजना** अंतर्गत 10.22 एकड़ भूखण्ड में माननीय मंत्री/समकक्ष के लिए 17 अद्द आवास, 11.7 एकड़ भूखण्ड में माननीय न्यायाधीशों के लिए 17 अद्द आवास, 13 एकड़ भूखण्ड में पदाधिकारी आवास एवं 7 एकड़ भूखण्ड में कर्मचारी आवास का निर्माण कार्य वर्ष 2020 तक पूरा कर लिया जायेगा।
- 388.28 करोड़ रू० की लागत से **बिहार पुलिस मुख्यालय भवन** का निर्माण किया जा रहा है।
- 169.50 करोड़ रू० की लागत से **पटना उच्च न्यायालय का विस्तारीकरण** किया जा रहा है।
- 450.32 करोड़ रू० की लागत से **विधान मंडल सदस्यों के आवासन योजना** के अंतर्गत निर्माण कार्य वर्ष 2018–19 में पूरा कर लिया जायेगा।
- 139.00 करोड़ रू० की लागत से **प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान, गया** का निर्माण किया जा रहा है।
- 37.61 करोड़ रू० की लागत से **बिहार लोक सेवा आयोग के अतिरिक्त भवन** एवं विभिन्न **जिलों में पॉलिटेक्निक, अभियंत्रण भवन** एवं अन्य योजनाएं प्रगति में हैं।
- बिहार भवन एवं बिहार निवास के अतिरिक्त द्वारिका, नई दिल्ली में 78.87 करोड़ रू० की लागत से **बिहार सदन** के निर्माण की कार्यवाई की जा रही है।
- 633.00 करोड़ रू० की लागत से **राजगीर में इंटरनेशनल स्टेडियम,** 152.37 करोड़ रू० की लागत से **बुद्ध सम्यक् दर्शन संग्रहालय एवं स्मृति स्तूप,** 135.74 करोड़ रू० की लागत पर **बी० पी० मंडल अभियंत्रण महाविद्यालय, मधेपूरा** एवं 164.31 करोड़ रू० की लागत पर **दरभंगा में तारामंडल–सह–विज्ञान केन्द्र के भवन** निर्माण की कार्रवाई की जा रही है।

- पटना में **साइंस सिटी, पटना समाहरणालय भवन, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय,** मुंगेर में **वानिकी महाविद्यालय,** गया में **कन्वेंशन सेंटर** तथा पटना सिटी में **प्रकाश पुंज भवन** इत्यादि का निर्माण कार्य वर्ष 2018–19 में प्रारम्भ होगा।

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

- वर्ष 2017–18 में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का स्कीम मद में रू० 1546.97 करोड़ तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय रू० 97.75 करोड़ कुल प्राक्कलन रू० 1644.72 करोड़ था तथा वर्ष 2018–19 में स्कीम मद में रू० 1304.79 करोड़ तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय रू० 82.59 करोड़ कुल प्राक्कलन रू० 1387.38 करोड़ है।
- **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनांतर्गत** 2/–किलोग्राम गेहूँ एवं 3/–किलोग्राम चावल की दर से 8.57 करोड़ लाभुकों को प्रतिमाह 4.57 लाख मे० टन खाद्यान्न उनकी अनुमान्यता के अनुसार उपलब्ध कराया जा रहा है।
- **डोर स्टेप डिलीवरी योजना** के अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम के नामित गोदामों से शत प्रतिशत जी०पी०एस० एवं लोड सेल युक्त वाहनों द्वारा जन वितरण प्रणाली दुकानों तक खाद्यान्न प्रतिमाह उपलब्ध करया जा रहा है। निगम मुख्यालय में कार्यरत 24×7 नियंत्रण कक्ष एवं जन वितरण अन्न पर्यवेक्षण कवच के माध्यम से खाद्यान्न के परिवहन की निगरानी एवं अनुश्रवण किया जाता है।
- खाद्यान्न का प्रतिमाह औसत उठाव 100 प्रतिशत एवं वितरण 98 प्रतिशत है, जो कि देश के अग्रणी राज्यों के अनुरूप है।
- बिहार लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम के तहत अभी तक 28,938 नया राशन कार्ड निर्गत किया गया है एवं 2,54,934 अपात्र लाभुकों का राशन कार्ड रद्द किया गया है।
- **End to End Computerization योजनांतर्गत**
  - प्रथम चरण में **Supply Chain Managment** के तहत खाद्यान्न का मूल्य RTGS के माध्यम से जमा किये जाने पर कम्प्यूटराइज्ड SIO निर्गत किया जाता है तथा SMS के माध्यम से संबंधितों को सूचित किया जाता है।
  - द्वितीय चरण में **FPS Automation** अंतर्गत जन वितरण प्रणाली दुकानों में Rental basis पर **PoS यंत्रों के अधिष्ठापन** हेतु कार्रवाई प्रक्रियाधीन है ताकि पात्र लाभुकों को इनके माध्यम से खाद्यान्न वितरण किया जा सके।
  - निर्धारित दर के अनुसार PoS यंत्रों के माध्यम से वितरण पर वार्षिक रूप से लगभग 93 करोड़ रू० व्यय की संभावना है, जिसमें राज्य योजना एवं केन्द्रीय सहायता की राशि का प्रतिशत 50 : 50 है।

- अब तक लगभग 80 प्रतिशत लाभुकों का आधार सीडिंग किया गया है तथा इस हेतु लगभग 12 करोड़ रू० व्यय हुए है।

- खरीफ विपणन मौसम 2017–18 के अंतर्गत **धान/सी.एम.आर. अधिप्राप्ति कार्यक्रम** (माह नवम्बर, 2017 से माह जुलाई, 2018) के लिए बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्तिक निगम को क्रियाशील पूँजी के रूप में विभिन्न व्यावसायिक बैंकों से क्रमशः वार्षिक/त्रैमासिक दर पर प्राप्त किए जाने वाले ऋण कुल 2,500.00 करोड़ रू० की राशि के लिए सरकार की गारंटी प्रदान की गयी है।
- कृषि रोड मैप के अंतर्गत **राज्य की भंडारण क्षमता** वर्ष 2022 तक 20 लाख मे० टन करने का लक्ष्य है। वर्ष 2017 तक 7.46 लाख मे० टन क्षमता के गोदाम निर्णाण कार्य पूर्ण हो चुका है।

समाज कल्याण विभाग

- वर्ष 2017–18 में समाज कल्याण विभाग का स्कीम मद में रू० 5948.90 करोड़ तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय रू० 57.35 करोड़ कुल प्राक्कलन रू० 6006.25 करोड़ था तथा वर्ष 2018–19 में स्कीम मद में रू० 6782.00 करोड़ तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय रू० 57.82 करोड़ कुल प्राक्कलन रू० 6839.82 करोड़ है।
- पूरक पोषाहार योजनान्तर्गत राज्य के सभी जिलों के कुल 544 बाल विकास परियोजनाओं में 114718 आँगनबाड़ी केन्द्रों (मिनी सहित) के माध्यम से 6 माह से 6 वर्ष के सभी सामान्य/कुपोषित/अतिकुपोषित बच्चों एवं गर्भवती/शिशुवती महिलाओं को पूरक पोषाहार प्रदान किया जा रहा है।
- किशोरी बालिकाओं के सशक्तिकरण हेतु **राजीव गाँधी स्कीम (सबला)** के तहत राज्य के सभी जिलों में आँगनबाडी केन्द्रों के माध्यम से किशोरी बालिकाओं को पोषाहार, आयरन एवं फोलिक एसिड की गोली, स्वास्थ्य जाँच, संदर्भित सेवा, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा आदि प्रदान किया जा रहे हैं तथा इससे अबतक कुल 17.70 लाख किशोरी बालिकायें लाभान्वित हुई हैं।
- **आँगनबाडी केन्द्र के बच्चों के लिए पोशाक योजनान्तर्गत** राज्य के सभी आँगनबाडी केन्द्रों पर स्कूल पूर्व शिक्षा प्राप्त कर रहे 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के कुल 32.17 लाख बच्चों को प्रति बच्चा 250.00 रू० वार्षिक लागत की दर से पोशाक की राशि उपलब्ध कराया जा रहा है।
- वर्तमान में राज्य बाल संरक्षण समिति द्वारा संचालित 20 **बाल गृह**, 21 **विशिष्ट् दत्तक ग्रहण संस्थान**, 8 **खुला आश्रय** के माध्यम से अनाथ बेसहारा, परित्यक्त एवं बेघर बच्चों को आश्रय प्रदान किया जा रहा है। साथ ही विधि विवादित बच्चों के लिए 11 पर्यवेक्षण गृह एवं 1 विशेष गृह संचालित है।

- परिवार तथा अभिभावक/पालक विहीन बच्चों को उनके दत्तक परिवार में पालन पोषण हेतु पालक परिवारों को **पालन पोषण अनुदान भत्ता** प्रदान कर प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से संचालित **परवरिश योजना** के तहत 0–18 वर्ष के बच्चों को 1000.00 रू० प्रतिमाह की दर से आर्थिक सहायता अनुदान भत्ता प्रदान की जाती है तथा इस योजनान्तर्गत अबतक कुल 14425 बच्चों को लाभान्वित किया गया है।

- राज्य में व्याप्त जाति प्रथा के उन्मूलन तथा अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा अंर्तजातीय विवाह करने वाली महिला को आर्थिक दृष्टि से सबल बनाने हेतु प्रति **लाभार्थी प्रोत्साहन अनुदान** की राशि 50,000.00 रू० से बढ़ाकर 100000.00 रू० कर दी गयी है।

- राज्य के वृद्धजन, विधवाओं, निःशक्तजनों एवं अन्य असहाय व्यक्तियों के लिए संचालित 6 विभिन्न पेंशन योजनाओं के तहत 400.00 रू० प्रतिमाह की दर से पेंशन राशि का भुगतान लाभुकों के खाते में किया जा रहा है तथा अबतक कुल 53.92 लाख पेंशनधारियों को लाभन्वित किया जा चुका है।

- **मुख्यमंत्री विकलांग सशक्तिकरण योजना "सम्बल"** के तहत प्रमाणीकृत 13.89 लाख दिव्यांगजन के विरूद्ध 7.41 लाख को डी०बी०टी० के माध्यम से निःशक्तता पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। 3 नेत्रहीनों के लिए 3 एवं मूक बधिरों के लिए 5 **विशेष विद्यालयों** का संचालन किया जा रहा है।

- कुष्ट रोगियों के जीविकोर्पाजन एवं उन्हें भिक्षावृति से दूर करने हेतु **बिहार शताब्दी कुष्ट कल्याण योजना** अंतर्गत राज्य के Grade II Deformities के कुष्ट रोगियों को प्रति रोगी 1500.00 रू० प्रतिमाह की दर से सहायता राशि दी जा रही है।

- **मुख्यमंत्री भिक्षावृति निवारण योजना** के तहत **"State Society for Ultra Poor and Social Welfare"** का गठन किया गया है।

- वृद्धजनों के पुनर्वास के लिए **Old Age Home (सहारा)** का क्रियान्वयन पटना, गया, मुजफ्फरपुर, पुर्णिया एंव भागलपुर जिले में किया जा रहा है।

- एड्स पीड़ितों को 1500.00 रू० प्रति माह की आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु **बिहार शताब्दी एड्स पीड़ित कल्याण येाजना** का क्रियान्वियन किया जा रहा है।

- **मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना** अंतर्गत निःशक्त पुरूष/महिला के विवाह को प्रोत्साहित करने हेतु अनुदान की राशि 50 हजार रू० से बढ़ाकर एक लाख रू० कर दिया गया है।

WDC (Women Development Corporation) अंतर्गत

- **महिला हेल्प लाईन :** राज्य के सभी 38 जिलों के समाहरणालय परिसर में महिला हेल्पलाईन की स्थापना की गई है। वर्ष 2017–18 में 3853 वादों का निष्पादन किया गया है।

- **181 Toll-free महिला हेल्प लाईन नंबर :** इसमें वर्ष 2017–18 में 45477 कॉल प्राप्त हुए हैं।
- **One Stop Centre** : पीड़ित एवं प्रताड़ित महिलाओं के लिए 7 जिलों में स्थापित किये गये हैं जहाँ 911 वादों का निष्पादन किया गया है।
- **मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना :** इसके अंतर्गत 2.82 लाख कन्या शिशुओं को 2000 रू० का सावधि प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है।

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

- वर्ष 2017–18 में पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का स्कीम मद में रू० 1522.08 करोड़ तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय रू० 14.01 करोड़ कुल प्राक्कलन रू० 1536.09 करोड़ था तथा वर्ष 2018–19 में स्कीम मद में रू० 1508.09 करोड़ तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय रू० 16.42 करोड़ कुल प्राक्कलन रू० 1524.51 करोड़ है।
- वर्ष 2016–17 में **अन्य पिछड़ा वर्ग प्री–मैट्रिक (विद्यालय) छात्रवृत्ति योजनांतर्गत** रू० 1359.20 करोड़ के व्यय से 1.25 करोड़ छात्र/छात्राओं को लाभांवित किया गया है तथा वर्ष 2017–18 में छात्रवृत्ति वितरण हेतु 911.94 करोड़ रू० उपलब्ध कराये गये हैं।
- वर्ष 2018–19 में पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को **प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति** हेतु कुल 1098.47 करोड़ रू० का प्रावधान किया गया है।
- **अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना** का संचालन वर्ष 2017–18 में पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग एवं वर्ष 2018–19 से शिक्षा विभाग के माध्यम से करने की स्वीकृति दी गयी है। छात्रवृत्ति की राशि लाभुकों के बैंक खाता में DBT के माध्यम से हस्तांतरित की जायेगी।
- **अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत** वर्ष 2016–17 में 2.19 लाख छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया गया है। वर्ष 2018–19 में राज्य योजना के 139.05 करोड़ रू० एवं केन्द्र प्रायोजित योजना के 77.92 करोड़ रू० का व्यय करके 2.50 लाख छात्र/छात्राओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य है।
- वर्ष 2018–19 में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की माध्यमिक परीक्षा के लिए परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति हेतु पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के 21000 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य है।
- **मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजनान्तर्गत** वर्ष 2017–18 में आवंटित राशि रू० 3254.70 लाख से अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 90,000 छात्र/छात्राओं के विरूद्व 35063 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया गया है तथा शेष के बीच वितरण जारी है।

- **मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजनान्तर्गत** वर्ष 2017–18 में आवंटित राशि रू० 2341.30 लाख से पिछड़ा वर्ग के 60,000 छात्रों के विरूद्व 32575 छात्रों को लाभान्वित किया गया है तथा शेष के बीच वितरण जारी है।

- वित्तीय वर्ष 2017–18 से **प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना** एवं **मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना** का संचालन शिक्षा विभाग तथा राशि का हस्तांतरण DBT के माध्यम से किया जायेगा।

- **जननायक कर्पूरी ठाकुर अत्यंत पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास योजना** के तहत भवन निर्माण, चहारदिवारी निर्माण, परिसर विकास एवं मरम्मति आदि के लिए वर्ष 2017–18 में राशि रू० 34.58 करोड़ प्रावधान किया गया है।

- वर्ष 2017–18 में प्रति विद्यालय रू० 25.64 करोड़ की दर से रू० 102.64 करोड़ का व्यय करते हुए 4 अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय रोहतास, सारण, पूर्णिया एवं समस्तीपुर के भवनों (520 आसन) के निर्माण कार्य की स्वीकृति दी गयी है।

अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग

- वर्ष 2017–18 में अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग का स्कीम मद में रू० 1097.23 करोड़ तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय रू० 204.66 करोड़ कुल प्राक्कलन रू० 1301.89 करोड़ था तथा वर्ष 2018–19 में स्कीम मद में रू० 1142.65 करोड़ तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय रू० 243.79 करोड़ कुल प्राक्कलन रू० 1386.44 करोड़ है।

- अनु० जाति एवं अनु० जनजाति के लिए संचालित 80 **आवासीय विद्यालयों** में से 12 प्राथमिक (200 आसन), 8 मध्य (200 आसन), 51 उच्च (200 आसन) एवं 9 टेन प्लस टू (200 आसन) स्तर के हैं तथा इन सभी को 10+2 में उत्क्रमित करते हुए प्रति विद्यालय 720 आसन की स्वीकृति दी गई है। साथ ही 13 नये आवासीय विद्यालयों के संचालन की स्वीकृति भी दी गई है।

- वर्ष 2017–18 में प्रति विद्यालय 34.83 करोड़ रू० की दर से अनुसूचित जाति के लिए 21 **आवासीय विद्यालयों के भवनों** (720 आसन) के लिए 731.43 करोड़ रू० के एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 3 **आवासीय विद्यालयों के भवनों** (720 आसन) के निर्माण हेतु 104.49 करोड़ रू० की स्वीकृति दी गई है।

- **आवासीय विद्यालय एवं छात्रावासों के निर्माण** के लिए वर्ष 2017–18 में 470.00 करोड़ रू० की स्वीकृति दी गई है तथा वर्ष 2018–19 में 457.50 रू० करोड़ का प्रावधान है।

- वर्ष 2017–18 में 3.45 करोड़ रू० की दर से अनुसूचित जाति के लिए 100 आसन के 5 एवं 6.26 करोड़ रू० की दर से 200 आसन के 6 अर्थात् कुल 11 छात्रावास भवनों के निर्माण हेतु 54.87 करोड़ रू० तथा समान दर पर अनुसूचित जनजाति के लिए 100 आसन का 4 **छात्रावास भवनों के निर्माण** हेतु 13.82 करोड़ रू० की स्वीकृति दी गई है।

- **दशरथ माँझी कौशल विकास योजना** के अन्तर्गत महादलित परिवार के युवक एवं युवतियों को कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण दिया जा रहा है। महादलित टोलों में 3149 **सामुदायिक भवन–सह–वर्कशेड का निर्माण** किया जा चुका है तथा 105 करोड़ रू० की राशि से वर्ष 2018–19 में शेष योजनाओं को पूरा किया जायेगा।

- **थरूहट क्षेत्र के विकास** के लिए वर्ष 2018–19 में 27.61 करोड़ रू० का बजट प्रावधान है।

- अनु० जाति और अनु० जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत वर्ष 2017–18 में 19.07 करोड़ रू० से 791 **पीड़ित व्यक्तियों को लाभांवित** किया गया है तथा इनमें से 354 लोगों को **पेंशन का लाभ** दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2018–19 में इस योजना हेतु 34.43 करोड़ रू० का बजट प्रावधान है।

- अनु०जाति के लिए पटना, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, सारण एवं आरा में संचालित 7 **प्राक परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्रों** पर लगभग 1680 अभ्यर्थियों को विभिन्न परीक्षा के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वर्ष 2017–18 में सहरसा, पूर्णिया एवं मुंगेर प्रमंडल में एक–एक नये प्राक परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र के संचालन की स्वीकृति प्रदान की गयी है। वर्ष 2017–18 से **विद्यालय छात्रवृत्ति योजना** तथा **मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति मेधावृत्ति योजना** का संचालन शिक्षा विभाग के माध्यम से करने एवं DBT के माध्यम से राशि को सीधे लाभुकों के बैंक खाता में हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया है।

- विद्यालय छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत वर्ष 2017–18 में 484.08 करोड़ रू० के विरूद्ध 35 लाख छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया जा रहा है तथा वर्ष 2018–19 में 478.99 करोड़ रू० का प्रावधान है।

- **प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना** के अंतर्गत अनु० जाति एवं अनु० जनजाति के 99696 छात्र/छात्राओं को वर्ष 2014–15 में एवं 90447 छात्र/छात्राओं को वर्ष 2015–16 में लाभान्वित किया गया है तथा 22667 छात्र/छात्राओं के बीच वर्ष 2016–17 की छात्रवृत्ति का वितरण किया जा रहा है।

- **प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना** के अन्तर्गत वर्ष 2015–16 तक नामांकित एवं अध्ययनरत अनु० जाति एवं अनु० जनजाति के छात्र/छात्राओं को नामांकन वर्ष में स्वीकृत शिक्षण एवं अनिवार्य शुल्कों की राशि एवं भुगतान की गई राशि में अंतर की राशि का भुगतान DBT के माध्यम से शेष

पाठ्यक्रम अवधि के लिए किया जायेगा। इसके तहत लगभग 22000 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य है, जिस पर लगभग 39.15 करोड़ रू० का व्यय संभावित है।

- **प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजनांतर्गत** वर्ष 2018–19 में अनु० जाति के लिए 118.00 करोड़ रू० एवं अनु० जनजाति के लिए 9.00 करोड़ रू० की राशि का प्रावधान है।
- **मुख्यमंत्री अनु० जाति एवं अनु० जनजाति मेधावृत्ति योजना** अंतर्गत वर्ष 2016–17 में 84906 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया जा चुका है। वर्ष 2017–18 में 93.31 करोड़ रू० के व्यय से 1.10 लाख छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया जा रहा है। वर्ष 2018–19 में मैट्रिक उत्तीर्ण अनु० जाति एवं अनु० जनजाति के छात्र/छात्राओं के लिए 94.20 करोड़ रू० की राशि का प्रावधान है।

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

- वर्ष 2017–18 में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का स्कीम मद में रू० 567.33 करोड़ तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय रू० 27.73 करोड़ कुल प्राक्कलन रू० 595.06 करोड़ था तथा वर्ष 2018–19 में स्कीम मद में रू० 406.00 करोड़ तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय रू० 31.76 करोड़ कुल प्राक्कलन रू० 437.76 करोड़ है।
- **मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजनान्तर्गत** वर्ष 2017 से ही बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अलावा मदरसा बोर्ड से फोकानियॉ एवं मौलवी परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया गया है।
- **मुस्लिम परित्यक्ता/तलाकशुदा सहायता योजनांतर्गत** वर्ष 2017–18 से महिलाओं की सहायता राशि 10 हजार रू० से बढ़ाकर 25 हजार रू० कर दिया गया है तथा प्राप्त 840 आवेदनों पर कार्रवाई की जा रही है ।
- **अल्पसंख्यक छात्रावास योजनांतर्गत** 37 छात्रावास निर्मित हैं तथा 13 छात्रावासों का निर्माण प्रक्रियाधीन है। इनके रख–रखाव एवं कुशल प्रबंधन हेतु **छात्रावास प्रबंधक** के 37 पदों की सृजन किया जायेगा।
- **बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम** को सुदृढ़ करने हेतु वर्ष 2017–18 से इसका हिस्सापूंजी 40.00 करोड़ रू० से बढ़ाकर 80.00 करोड़ रू० करने का निर्णय लिया गया है।
- **मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजनांतर्गत** वर्ष 2017–18 से अल्पसंख्यक युवक/युवतियों को अधिकाधिक रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रति वर्ष 25.00 करोड़ रू० के स्थान पर 100.00 करोड़ रू० करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

- अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं के त्वरित कार्यान्वयन हेतु अल्पसंख्यक बाहुल्य जिलों में प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के पदों का सृजन कर इन पर नियुक्ति की कार्रवाई की जा रही है।

- बिहार राज्य मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त सभी मदरसों में शैक्षणिक सुधार हेतु मुलभूत सुविधाएँ एवं आधारभूत संरचना उपलब्ध कराने हेतु **बिहार राज्य मदरसा सुदृढ़ीकरण योजना** प्रारंभ की जायेगी।

श्रम संसाधन विभाग

- वर्ष 2017–18 में श्रम संसाधन विभाग का स्कीम मद में रू० 316.18 करोड़ तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय रू० 152.77 करोड़ कुल प्राक्कलन रू० 468.95 करोड़ था तथा वर्ष 2018–19 में स्कीम मद में रू० 569.81 करोड़ तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय रू० 172.16 करोड़ कुल प्राक्कलन रू० 741.97 करोड़ है।

- बाल श्रमिकों के पुनर्वास प्रक्रिया पर नजर रखने हेतु **CLTS (Child Labour Tracking System)** नामक सॉफ्टवेयर लाँच किया गया है। साथ ही, प्रत्येक विमुक्त कराये गये एवं CLTS में दर्ज 1149 बाल श्रमिकों को मुख्यमंत्री राहत कोष से प्रति बाल श्रमिक ₹ 25,000/– की दर से सहायता राशि उपलब्ध करायी जा चुकी है।

- श्रम विभाग के पदाधिकारियों एवं अन्य भागीदारों के क्षमता निर्माण, श्रम एवं नियोजन के मुद्दों पर अध्ययन, शोध एवं मूल्यांकन की कार्रवाई हेतु **दशरथ मांझी श्रम एवं नियोजन अध्ययन संस्थान** का निर्माण कार्य पटना में चल रहा है। यह संस्थान वर्ष 2018–19 से कार्य करना शुरू करेगा।

- **बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड** के अन्तर्गत कुल 8.28 लाख निर्माण श्रमिक निबंधित हैं तथा वर्ष 2017–18 में अब तक 40 हजार 754 निर्माण श्रमिकों के बीच विभिन्न योजनान्तर्गत कुल ₹ 61.28 करोड़ का अनुदान वितरित किया गया है। वर्ष 2018–19 में बोर्ड के अन्तर्गत निर्माण श्रमिकों के निबंधन को दोगुना कर 16 लाख करने का लक्ष्य है।

- राज्य के सभी **नियोजनालयों** में National Career Service के Portal **www.ncs.gov.in** पर अब तक लगभग 7.7 लाख से अधिक आवेदकों का निबंधन किया जा चुका है। वर्ष 2018–19 में स्कीम के तहत राज्य के सभी नियोजनालयों को केन्द्र सरकार द्वारा विमुक्त राशि से इंटरलिंकिंग द्वारा करियर सेन्टर के रुप कार्यशील किया जायेगा।

- वर्ष 2017–18 में राज्य के सभी जिलों में नियोजनालयों द्वारा 28 दिसम्बर तक आयोजित 86 **नियोजन–सह–व्यावसायिक मार्गदर्शन मेला** के माध्यम से निजी कंपनियों द्वारा मेला स्थल पर कुल 29 हजार 728 युवक/युवतियों को नियुक्ति हेतु चयन किया गया है। साथ ही भारत सरकार

के सहयोग से पटना में जनवरी, 2018 में आयोजित 3 दिवसीय **नियोजन मेला** में 9769 युवक/युवतियों को रोजगार हेतु चयनित किया गया।

- राज्य सरकार द्वारा NCS के portal पर बिहार राज्य के नियोजनालयों में निबंधित 7.88 लाख बेरोजगार युवक/युवतियों का **प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजनांतर्गत (PMSBY)** प्रीमियम की राशि 26 करोड़ रू० का भुगतान अपने संसाधनों से किया जायेगा तथा निबंधित व्यक्तियों के प्रीमियम की राशि भुगतान उनके निबंधन की तिथि से अगले 10 साल तक प्रतिवर्ष किया जायेगा। योजना अन्तर्गत बीमित व्यक्तियों की मृत्यु/पूर्ण विकलांगता के लिये 2 लाख रू० तथा अर्द्ध विकलांगता के लिए 1 लाख रू० का भुगतान किया जाता है।

- 18 अनुमंडलों में **नये औ० प्र० संस्थान** एवं 7 जिलों में **नये महिला औ० प्र० संस्थान** की स्थापना कर प्रशिक्षण प्रारंभ कर दिया गया है। वर्ष 2018–19 में राज्य के अनाच्छादित 16 अनुमंडलों में औ० प्र० संस्थान एवं 8 जिलों में महिला औ० प्र० संस्थान की स्थापना की जायेगी। साथ ही औ० प्र० संस्थानों में अत्याधुनिक कम्प्यूटर लैब की स्थापना की जायेगी।

- औ० प्र० संस्थान के प्रशिक्षणार्थियों को अत्याधुनिक मशीन पर सीपेट, हाजीपुर एवं टी.आर.टी.सी., पटना में प्रशिक्षण दिलाया जा रहा है। साथ ही राज्य के 50 औ० प्र० संस्थानों के प्रशिक्षणार्थियों को Digital Content के माध्यम से प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है तथा शेष औ० प्र० संस्थानों में वर्ष 2018–19 प्रशिक्षण प्रारंभ किया जायेगा।

- उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के युवक/युवतियों के विकास की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु जमुई, गया, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद एवं रोहतास जिले में **औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान** स्थापना की गई है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार से स्वीकृत 3 नये जिलों यथा मुजफ्फरपुर, नवादा एवं बांका में *LWE* के अंतर्गत **औ० प्र० संस्थान** खोलने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

- राज्य के औ० प्र० संस्थान से उत्तीर्ण छात्रों के लिए यामाहा मोटर्स इंडिया एवं औ० प्र० संस्थान, मुजफ्फरपुर के प्रशिक्षणार्थियों के लिए हुंडई मोटर्स के साथ समझौता किया गया है, ताकि उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराये जा सकें।

- **कुशल युवा कार्यक्रम** के तहत बिहार कौशल विकास मिशन के द्वारा प्रशिक्षण प्रदाता एजेंसियों द्वारा स्थापित कुल 1598 केन्द्रों के संचालन के लिए एजेंसी का चयन किया गया है तथा जिला निबंधन सह परामर्श केन्द्रों पर स्वीकृत 6.21 लाख आवेदकों में से 2.29 लाख ने प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया है एवं 73 हजार 570 प्रशिक्षणरत हैं।

- **Domain Skilling** के तहत Government Training Provider के रूप में सरकारी संस्थाओं के अतिरिक्त CIPET, Hajipur, TRTC, Patna तथा अन्य संस्थाओं को भी कौशल प्रशिक्षण प्रदान किए जाने हेतु मिशन के बेव पोर्टल पर पंजीकृत किया गया है तथा 703 केन्द्रों को प्रशिक्षण हेतु स्वीकृति

प्रदान की गई है। अभी कुल 157 केन्द्रों पर 7 विभागों द्वारा 7277 आवेदकों को प्रशिक्षण प्रारंभ कर दिया गया है।

- मिशन द्वारा देश के नामचीन देशी एवं विदेशी एजेंसियों के साथ कई चरणों में विमर्शोपरान्त राज्य में **RTD (Recruit, Train & Deploy) योजना** को लागू करने का निर्णय लिया गया जिसके तहत 13 संगठनों के केन्द्रों पर 36 बैचों में 707 प्रशिक्षित युवाओं में से 270 को विदेश में रोजगार देने हेतु प्रशिक्षित किया गया है। 154 युवा देश में एवं 198 विदेश में रोजगार प्राप्त कर चुके हैं।
- वर्ष 2018–19 व्यापार सरलीकरण हेतु विभिन्न श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत संयुक्त निरीक्षण व्यवस्था को आनलाईन किया जायेगा।
- **बिहार राज्य श्रम नीति, 2018** एवं **बिहार दुकान एवं प्रतिष्ठान (रोजगार विनियमन एवं सेवा शर्त्त) विधेयक, 2018** प्रक्रियाधीन है।
- राज्य के वैसे जिले, जहां नियोजनालयों के अपने भवन नहीं है वहां **संयुक्त श्रम भवन** का निर्माण किया जाना है।
- वर्ष 2018–19 में कुशल युवा कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल 5,00,000 युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- विमुक्त बाल श्रमिकों के पुर्नवास के लिए सात जिलों में पायलट बेसिस पर **विशेष आवासीय केन्द्रों** का संचालन किया जायेगा।

उद्योग विभाग

- वर्ष 2017–18 में उद्योग विभाग का स्कीम मद में रू० 771.88 करोड़ तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय रू० 71.38 करोड़ कुल प्राक्कलन रू० 843.26 करोड़ था तथा वर्ष 2018–19 में स्कीम मद में रू० 535.00 करोड़ तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय रू० 87.04 करोड़ कुल प्राक्कलन रू० 622.04 करोड़ है।
- **बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 लागू होने के बाद** जनवरी, 2018 तक प्राप्त 718 निवेश प्रस्तावों में से 596 पर स्टेज–1 क्लीयरेंस प्रदान की गई तथा इसमें रू० 8848.86 करोड़ का निवेश प्रस्तावित है। खाद्य प्रसंस्करण के 292 इकाइयों (1467.21 करोड़ रू०), उर्जा के 08 इकाइयों (3981.55 करोड़ रू०) एवं सिमेन्ट उद्योग के 03 इकाइयों (1002.60 करोड़ रू०) का निवेश प्रस्तावित हैं। 30 इकाइयाँ कार्यरत हो गई हैं।
- **बिहार स्टार्ट–अप नीति, 2017**
  - इस नीति के कार्यान्वयन हेतु **बिहार स्टार्ट–अप फंड ट्रस्ट** का गठन किया गया है तथा 500 करोड़ रू० **प्रारंभिक कॉर्पस** का सृजन किया गया है।

- ऑनलाईन स्टार्ट–अप पोर्टल पर जनवरी, 2018 तक प्राप्त कुल 3993 आवेदनों में से 850 को चयनित कर विभिन्न 18 इन्क्यूबेटर्स के साथ संबद्ध किया गया है।
- बिहार स्टार्ट–अप ट्रस्ट द्वारा प्रमाणीकृत 32 स्टार्ट–अप से 26 स्टार्ट–अप को प्रथम किस्त के रूप में रू० 63 लाख रू० भुगतान किया गया है।

- **मुख्यमंत्री सूक्ष्म एवं लघु उद्योग क्लस्टर विकास योजना**
  - इसके अंतर्गत मोरा तालाब (बिहार शरीफ), झुला क्लस्टर कन्हैयागंज, सिलाव में लेदर फुटवियर, अर्पणा लेदर क्लस्टर, फतुहा, सीप बटन क्लस्टर, मेहसी व पटना एवं लखीसराय राइस मिल कलस्टर में **सामान्य सुविधा केन्द्र** स्थापित किया जा रहा है।
  - औद्योगिक क्षेत्र, मुजफ्फरपुर में लेदर फुटवियर कलस्टर की सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना हेतु रू० 106.55 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी है।
  - औद्योगिक क्षेत्र, मुजफ्फरपुर में अवस्थित बिहार फिनिश्ड लेदर लि० परिसर में लेदर गुड्स पार्क की स्थापना हेतु रू० 12.23 करोड़ की व्यय से भूमि का अधिग्रहण किया गया है।

- **बियाडा** के अंतर्गत कुल 52 **औद्योगिक क्षेत्र/प्रांगण/विकास केन्द्र** एवं **मेगा पार्क** अवस्थित है। वर्ष 2017 में उद्योग की स्थापना हेतु कुल 35 इकाईयों के बीच 15.56 एकड़ भूमि का आवंटित की गई है जिसमें 606.04 करोड़ रू० का निवेश होगा एवं 1259 लोगों को रोजगार की प्राप्ति होगी। वर्त्तमान में बियाडा की कुल 2451 औद्योगिक इकाइयों में से 1589 इकाइयाँ कार्यरत हैं।

- **बरौनी उर्वरक प्लांट** के पुनर्वास हेतु 55 वर्षों के लिए हिन्दुस्तान उर्वरक और रसायन लि० (HURL) को 480 एकड़ भूमि अन्तरण के लिए लीज एग्रीमेंट हेतु देय स्टाम्प शुल्क लगभग 216.00 करोड़ रू० की छूट की स्वीकृति दी गयी है।

- खादी प्रक्षेत्र में विकास के लिए खादी पुनर्रूद्धार योजना के तहत राज्य में अवस्थित खादी के संस्था/समितियों को 1000 त्रिपुरारी मॉडल (मल्टीकाउन्ट) चरखा का वितरण किया गया है। साथ ही सिल्क के धागे काटने के लिए भागलपुर एवं अन्य जिलों में 600 नग कटिया चरखा संस्था/समितियों को उपलब्ध कराया गया है। बिहार खादी का ब्राण्ड भी विकसित किया गया है।

- राज्य में मलवरी रेशम उद्योग के विकास हेतु रेशम विकास की योजना का क्रियान्वयन सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया, कटिहार एवं किशनगंज जिलों में किया जा रहा है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में 100 मलवरी उत्पादक समूह को Revolving fund हेतु रू० 8.00 करोड़ रू०, 100 नोडल सेन्टर की स्थापना हेतु रू० 3.88 करोड़ एवं लाभुकों को सिंचाई उपस्कर एवं विसंक्रमण क्रय हेतु सहायता देने हेतु 14.15 करोड. रू० जीविका को उपलब्ध कराया गया है। प्रत्येक वर्ष इन जिलों में 7000 इकाई में मलवरी की खेती एवं कीटपालन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

- थाई रीलिंग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत बांका एवं भागलपुर के 661 थाई रीलिंग को बुनियाद मशीन निःशुल्क उपलब्ध कराकर इन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इनका एक Producer company जीविका द्वारा गठित किया जाएगा।
- बेगूसराय जिले में अण्डी रेशम उद्योग से वर्तमान में 1373 परिवार जुड़े हैं तथा वर्ष 2016–17 में 9.94 मे० टन अण्डी रॉ सिल्क का उत्पादन हुआ है। इस उद्योग को बढ़ावा देने हेतु जीविका द्वारा राज्य में एक पायलट परियोजना चलायी जाएगी।

सूचना प्रावैधिकी विभाग

- वर्ष 2017–18 में सूचना प्रावैधिकी विभाग का स्कीम मद में रू० 219.29 करोड़ तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय रू० 29.34 करोड़ कुल प्राक्कलन रू० 248.63 करोड़ था तथा वर्ष 2018–19 में स्कीम मद में रू० 200.29 करोड़ तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय रू० 34.84 करोड़ कुल प्राक्कलन रू० 235.13 करोड़ है।
- राज्य के सभी विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों में रू० 245.50 करोड़ के व्यय से **निःशुल्क वाई–फाई** के माध्यम से इन्टरनेट की सुविधा के अन्तर्गत अब तक 300 संस्थानों में वाई–फाई कार्यरत हो चुका है। Wi-Fi उपस्कर का रख–रखाव एवं बड़े संस्थानों का Bandwidth 10 mbps से 100 mbps किया जाएगा। जिसमें वर्ष 2018–19 में रू० 52.00 करोड़ का व्यय संभावित है।
- BSWAN 2.0 योजनान्तर्गत राज्य मुख्यालय से प्रखंड स्तर तक कुल–773 POP को अधिष्ठापित किया जाना है। साथ ही साथ राज्य मुख्यालय में 20, प्रत्येक जिला में 15, प्रत्येक अनुमंडल में 10 एवं प्रत्येक प्रखंड में 7 अन्य कार्यालयों में Horizontal Connection प्रदान किया जाना है। कुल 300 साईट्स पर क्रियान्वयन कर लिया गया है तथा मार्च, 2018 तक कार्य पूर्ण कर लिये जाने का लक्ष्य है। वर्ष 2018–19 में रू० 60.00 करोड़ का व्यय संभावित है।
- **Sec.LAN** Wi-Fi परियोजना के माध्यम से पूरे सचिवालय परिसर को Wi-Fi जोन में परिवर्तित कर 13 मुख्यालय भवनों एवं नव–निर्मित्त परिसरों में Connectivity प्रदान की गयी है तथा इस हेतु रू० 1.99 करोड़ स्वीकृत की गयी है।
- नये **Sec.LAN 2.0** पर वर्ष 2018–19 में रू० 53.00 करोड़ व्यय होने की संभावना है।
- आधुनिकतम तकनीक पर आधारित एवं ISO:270001 सर्टिफिकेशन् प्राप्त स्टेट डाटा सेंटर का निर्माण किया गया है। SDC 20-20 नामक वर्तमान से 6 गुणा ज्यादा क्षमता का आधुनिकतम SDC का निर्माण 2018–19 में प्रारंभ किया जायेगा, जिसपर 20 करोड़ रू० व्यय किया जायेगा।

- क्लाउड संगणन (Cloud computing) की विशेषताओं का लाभ उठाने हेतु सरकार ने 9.8 करोड़ की लागत से अपनी निजी Cloud सेवाओं को प्रारंभ किया है तथा सम्प्रति इसके माध्यम से मुख्यतः उर्जा विभाग, वित्त विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, नगर और शहरी विकास विभाग और योजना एवं विकास विभाग के 29 **एप्लीकेशन को होस्ट** किया गया है।

- सरकार के द्वारा क्रियान्वियत सर्विस प्लस फ्रेमवर्क पर वर्त्तमान में श्रम संसाधन विभाग के 32 सेवाओं को माइग्रेट (Migrate) किया जा चुका है। इस योजना हेतु कुल रू० 3.00 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है।

- सूचना प्रावैधिकी विभाग ने अपना निबंधन आधार सर्विस एजेंसी के रूप में UIDAI से कर लिया है जिसके माध्यम से सभी सरकारी विभागों द्वारा आधार डेटाबेस से लाभार्थी की पहचान निःशुल्क किया जा सकेगा तथा इसे मार्च, 2018 तक पूर्ण कर लिया जायेगा। इस योजना हेतु रू० 6.65 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है।

- बक्सर के आई०टी०आई० तथा MIT मुजफ्फरपुर में **NIELIT (National Institute of Electronics & Information Technology)** की शाखा खोली जायेगी। राज्य सरकार द्वारा बिहटा में उपलब्ध कराये गए 15 एकड़ भूमि पर विकसित NIELIT Centre का उद्घाटन 26 फरवरी 2018 को किया गया है।

- राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को **PG-DAC** एवं अन्य विषयों में **C-DAC (Centre for Development of Advance Computing)** के द्वारा गया एवं पटना में पूर्णतः रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

- पटना में C-DAC की डेवलपमेंट केन्द्र की स्थापना हेतु रू० 1.95 करोड़ के परियोजना प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति दी जा चुकी है।

- 18 विभागों, 9 निगमों तथा 2 जिलों में ई–ऑफिस परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

- पटना में डाकबंगला चौराहा पर **IT Tower** के निर्माण हेतु IDA के माध्यम से चयनित Concesssionaire द्वारा IT Tower का विकास किया जायेगा।

- **राजगीर में IT City का निर्माण :** नांलदा विश्वविद्यालय के निकट राजगीर में 111.17 एकड़ भूमि में IT City के निर्माण के लिए 61 करोड़ रू० IDA को भूमि अधिग्रहण हेतु उपलब्ध कराया गया है।

- भागलपुर एवं दरभंगा में **STPI (Software Technology Parks of India)** की शाखा खोले जाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। साथ ही राज्य सरकार के वित्तीय सहयोग से पाटलिपुत्रा केंद्र में चालीस हजार वर्गफीट अतिरिक्त कार्यक्षेत्र का निर्माण किया जायेगा।

- आई०टी० प्रक्षेत्र में कार्यरत 31 **Startup** कम्पनियों के लिए बिस्कोमान टॉवर में आधारभूत संरचना विकसित कर स्थल आवंटित किया गया है।
- **National Optical Fibre Network (NOFN) :** राज्य के 5260 पंचायतों में Optical fibre बिछाया जा चुका है जिसमें से 4528 पंचायत Internet सेवा के लिए तैयार हैं।
  - वर्ष 2018–19 में Common Service Center द्वारा Cyber Café के रूप में गांव में नागरिक सुविधा प्रदान की जायेगी।
  - साथ ही पंचायतों में 4 सार्वजनिक स्थानों पर **Wi-Fi access** हेतु **Hot-Spot** स्थापित किये जायेगें।
  - शेष पंचायतों में आगामी 2 वर्षों में Optical fibre बिछाने का कार्य पूरा कर लिया जायेगा।
- बिहार कौशल विकास मिशन के तहत राज्य के युवाओं को आई०टी० प्रक्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु 60 **कौशल विकास केन्द्रों** को क्रियाशील कर दिया गया है। प्रशिक्षण कार्यक्रम संपादित करने हेतु रू० 3.00 करोड़ का व्यय संभावित है।
- **निवेश हेतु वित्तीय सहायता :** राज्य सरकार IT/ITES तथा ESDM क्षेत्र में पूँजी निवेश हेतु Stamp-duty, निबंधन शुल्क, Land conversion शुल्क में 100 प्रतिशत exemption, SGST, ESI एवं EPF की प्रतिपूर्त्ति, Interest, Employment एवं Skill development subsidy देने का निर्णय लिया है।

गन्ना उद्योग विभाग

- वर्ष 2017–18 में गन्ना उद्योग विभाग का स्कीम मद में रू० 101.84 करोड़ तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय रू० 16.73 करोड़ कुल प्राक्कलन रू० 118.57 करोड़ था तथा वर्ष 2018–19 में स्कीम मद में रू० 101.84 करोड़ तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय रू० 21.05 करोड़ कुल प्राक्कलन रू० 122.89 करोड़ है।
- **गन्ना सर्वेक्षण नीति** के तहत किसानवार लगाये गये गन्ने का सर्वेक्षण GPS प्रणाली के माध्यम से सम्पन्न कराया गया है।
- गन्ना उत्पादक किसानों को उनके द्वारा लगाये गये गन्ने की मापी, गन्ना आपूर्ति हेतु कैलेण्डरिंग एवं उसके मूल्य भुगतान से संबंधित सूचनायें SMS के माध्यम से ससमय उपलब्ध कराने हेतु **बिहार गन्ना प्रबंधन सूचना प्रणाली (BSMIS)** को विकसित कर लागू किया गया है।
- घटतौली नियंत्रण के क्रम में चीनी मिलों के सभी 3 टन के तौल सेतुओं को हटाकर न्यूनतम् 5 टन में परिवर्तित करते हुए उनमें Load Cell एवं digitizer लगवाये गये हैं तथा तौल के पश्चात् गन्ना कृषकों को Computerized Weighment receipt उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है।

- राज्य में निजी क्षेत्र के 9 एवं सार्वजनिक क्षेत्र के 2 कुल 11 चीनी मिलें कार्यरत हैं, जिनकी समेकित पेराई क्षमता 55000 टन प्रतिदिन है। गत पेराई सत्र (2016–17) में राज्य के चीनी मिलों के क्षेत्र में 2.16 लाख हे० में उत्पादित 571.93 लाख क्विंटल गन्ने का किसानों से क्रय कर पेराई की गयी एवं 52.40 लाख मे० टन चीनी का उत्पादन किया गया। किसानों द्वारा आपूरित ईख का मूल्य 1575.28 करोड़ रू० के 99.45% भुगतान चीनी मिलों द्वारा संबंधित किसानों को किया जा चुका है। पेराई सत्र 2017–18 के लिए राज्य के चीनी मिलों के क्षेत्र में 2.43 लाख हेक्टर में ईख का आच्छादन है।
- गत् पेराई सत्र (2016–17) की तुलना में चालू पेराई सत्र (2017–18) में आगात एवं सामान्य प्रभेद के गन्ने के दर में 10 रू०/क्विंटल एवं निम्न प्रभेद के गन्ने के लिए 5 रू०/क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है।
- चालू पेराई सत्र में 31 जनवरी, 2018 तक राज्य की चीनी मिलों की औसत रिकवरी 9.36 आयी है। गत् वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में रिकवरी प्रतिशत में बढ़ोतरी संभावित है।
- 08 फरवरी, 2018 तक राज्य की चीनी मिलों द्वारा कुल 385.96 लाख क्विंटल गन्ने का क्रय कर निर्धारित दर पर मूल्य 1119.68 करोड़ रूपये के विरुद्ध 704.16 करोड़ रूपये (62.89%) का भुगतान मिलों द्वारा करा दिया गया है।

आपदा प्रबंधन विभाग

- वर्ष 2017–18 में आपदा प्रबंधन विभाग का स्कीम मद में रू० 51.25 करोड़ तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय रू० 501.15 करोड़ कुल प्राक्कलन रू० 552.40 करोड़ था तथा वर्ष 2018–19 में स्कीम मद में रू० 52.30 करोड़ तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय रू० 624.85 करोड़ कुल प्राक्कलन रू० 677.15 करोड़ है।
- बाढ़ के मद्देनजर स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय शीर्ष–2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्य शीर्ष–02–बाढ़–चक्रवात आदि के विभिन्न लघु/उपशीर्षों के अन्तर्गत बिहार आकस्मिकता निधि से 3346.50 करोड़ रू० अग्रिम की स्वीकृति दी गयी है जिसमें फूड पैकेट्स हेतु 104.78 करोड़ रू० एवं कृषि इनपुट हेतु 894.72 करोड़ रू० शामिल हैं।
- बाढ़ आपदा से राहत एवं बचाव हेतु पटना, भोजपुर, सुपौल, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर एवं शिवहर जिले के दियारा क्षेत्रों में प्रति पंचायत 50 व्यक्तियों का चयन कर अबतक कुल 10700 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।
- राज्य के प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के स्तर पर एक Quick Medical Response Team गठित की जा रही है जिसमें वहाँ के एक चिकित्सक, दो पैरा मेडिकल स्टॉफ एवं संबंधित थाना के दो

पुलिस पदाधिकारी शामिल हैं। अबतक QMRT के 267 लोगों को प्रशिक्षित कर उन्हें घायलों के जीवन रक्षा के लिए आवश्यक उपकरण भी उपलब्ध कराये जा रहे हैं।

- राज्य में भूकम्परोधी भवनों के निर्माण हेतु अभियंताओं, वास्तुविदों, भवन निर्माताओं एवं राज मिस्त्रियों का एक बहुआयामी प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है।
- वज्रपात आपदा से निपटने के लिए पूर्व चेतावनी तंत्र की स्थापना हेतु कार्रवाई की जा रही है ताकि वज्रपात होने के पूर्व ही प्रभावित क्षेत्र के लोगों को इसकी पूर्व चेतावनी देकर जानोमाल की रक्षा की जा सके।

विधि विभाग

- वर्ष 2017–18 में विधि विभाग का स्कीम मद में रू० 00.50 करोड़ तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय रू० 696.38 करोड़ कुल प्राक्कलन रू० 696.88 करोड़ था तथा वर्ष 2018–19 में स्कीम मद में रू० 0.10 करोड़ तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय रू० 887.10 करोड़ कुल प्राक्कलन रू० 887.20 करोड़ है।
- **पटना उच्च न्यायालय के विस्तारीकरण** के निमित्त पूर्व में कुल 116.00 करोड़ रू० की प्रदत्त स्वीकृति के विरूद्ध 169.50 करोड़ रू० के पुनरीक्षित प्राक्कलन को स्वीकृत किया गया है।
- **बिहार राज्य पीड़ित प्रतिकर योजना, 2014** के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में 142 पीड़ितों को 1.99 करोड़ रूपये उपलब्ध कराया गया है।
- **लोक अदालत** द्वारा 373 वादों का, **मोबाईल लोक अदालत** द्वारा 1.35 लाख वादों का, **राष्ट्रीय लोक अदालत** द्वारा 2.17 लाख वादों का एवं **मिडिऐशन सेन्टर** द्वारा 551 वादों का निष्पादन किया गया है।
- नवम्बर, 2017 में राज्य के नौ प्रमंडल मुख्यालय यथाः– पटना, गया, भागलपुर, मुंगेर, सहरसा, पूर्णियॉ, मुजफ्फरपुर, सारण एवं दरभंगा में **स्थायी लोक अदालत** की स्थापना की गयी।
- प्रमादी चावल मिल मालिकों से संबंधित वादों के विचारण हेतु पटना, पूर्णियॉ, दरभंगा, छपरा एवं गया में 5 **न्यायालयों** का एवं मुजफ्फरपुर (पश्चिम) अनुमंडल में अवर न्यायाधीश के 3 **न्यायालयों** का गठन किया गया है।
- व्यवहार न्यायालय में 21 **कोर्ट भवन** का निर्माण पूर्ण एवं 95 **कोर्ट रूम** का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। व्यवहार न्यायालय, औरंगाबाद, लखीसराय, मुंगेर, मधेपुरा एवं जहानाबाद में कुल 16 न्यायिक पदाधिकारियों का **आवासीय भवन** का निर्माण पूर्ण है। पटना उच्च न्यायालय के विस्तारीकरण की योजना का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है।

- वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2017–18 में न्यायिक क्षमता विस्तार हेतु कुल 37 लोक अभियोजकों, 1,111 अपर लोक अभियोजकों तथा कुल 38 जिलों का जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्षों एवं सदस्यों को बैचवार प्रशिक्षण दिया गया।

पर्यटन विभाग

- वर्ष 2017–18 में पर्यटन विभाग का स्कीम मद में रू० 91.01 करोड़ तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय रू० 18.86 करोड़ कुल प्राक्कलन रू० 109.87 करोड़ था तथा वर्ष 2018–19 में स्कीम मद में रू० 131.01 करोड़ तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय रू० 22.44 करोड़ कुल प्राक्कलन रू० 153.45 करोड़ है।
- वर्ष 2005 में देशी पर्यटकों की संख्या 68.80 लाख थी, जो वर्ष 2017 में 371.08 प्रतिशत बढ़कर 3.24 करोड़ हो गई है। इसी प्रकार वर्ष 2005 में विदेशी पर्यटकों की संख्या 6.33 लाख, थी, जो वर्ष 2017 में 70.95 प्रतिशत बढ़कर 10.82 लाख हो गई है।
- **बोधगया में कल्चरल सेंटर** के निर्माण हेतु 145.14 करोड़ रू० की वृहत योजना स्वीकृत की गयी है, जिसके अन्तर्गत कल्चरल सेंटर, 2000 सिटर ऑडिटोरियम, यूटिलिटी भवन, गार्ड रूम, स्थल विकास, चहारदिवारी आदि के निर्माण कार्य का शिलान्यास 01 फरवरी 2018 को किया जा चुका है।
- पटना में श्री गुरू गोबिन्द सिंह जी महाराज की 350वीं जयन्ती के अवसर पर **बहुद्देशीय प्रकाश केन्द्र एवं उद्यान** के निर्माण हेतु 50.88 करोड़ रूपये की लागत से **एक्जीविशन हॉल, खंदा साहिब, बाबा अजीत सिंह द्वार, बाबा फतेह सिंह द्वार, पर्यटक सूचना केन्द्र, मल्टीमिडिया सेंटर, गार्ड रूम, शौचालय परिसर** आदि का निर्माण कराया जायेगा।
- श्री गुरू गोबिन्द सिंह जी महाराज की 350 वें प्रकाश पर्व के समापन के अवसर पर पटना में 2 स्थानों पर अस्थाई टेंट सिटी निर्माण हेतु 52 करोड़ रूपये व्यय की स्वीकृति दी गई थी।
- पर्यटकीय सुविधाओं का सृजन संबंधी योजना गया के सुजाता कुटीर, बकरौर में (2.83 करोड़ रू०) तथा मुचलिंद सरोवर के पास (6.62करोड़ रू०) प्रक्रियाधीन एवं पत्थरकट्टी (5 करोड़ रू०) में पूर्ण है।
- पूर्वी चम्पारण में **केसरिया स्तूप के विकास** (6.89 करोड़ रू०) का कार्य शीघ्र पूरा कर लिया जायेगा।
- नालन्दा के **राजगीर** (20.18 करोड़ रू०) एवं बांका के **मंदार पर्वत** पर (8.54 करोड़ रू०) **रोपवे का निर्माण** कार्य वर्ष 2018–19 में पूर्ण होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त रोहतास के **रोहतासगढ़ किला** (12.65 करोड़ रू०), कैमूर के **मुंडेश्वरी पर्वत** (7.35 करोड़ रू०), जहानाबाद के **वाणावर पर्वत** (23.92 करोड़ रू०) एवं गया के **ब्रह्म्योणी पर्वत** (4.24 करोड़ रू०), **डुगेंश्वरी पर्वत** (8.43 करोड़ रू०) तथा **प्रेतशिला पर्वत** (10.48 करोड़ रू०) पर रोपवे के निर्माण की स्वीकृति दी गयी है।

- **ईको टुरिज्म** के अन्तर्गत पश्चिमी चम्पारण के बाल्मिकी नगर टाईगर रिजर्व में **बाल्मीकि विहार होटल का जिर्णोद्धार/उन्नयन कार्य** (1.43 करोड़ रू०) पूर्ण कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त नालन्दा के **घोड़ा–कटोरा–जलमंदिर–पावापुरी मेगा सर्किट** (48.41 करोड़ रू०) तथा नवादा में **ककोलत जल प्रपात** (5.71करोड़ रू०) का विकास एवं सासाराम में ताराचंडी से गुप्ता धाम तक पथ का निर्माण (2.89 करोड़ रू०) कराया जा रहा है।

- कटिहार के **गुरूद्वारा लक्ष्मीपुर** (3.19 करोड़ रू०), रोहतास के सासाराम में **ऐतिहासिक गुरूद्वारा चाचा फग्गुमल एवं टकसाल साहेब गुरूद्वारा** के पास (4.22 करोड़ रू०), नालन्दा के राजगीर में **गुरू नानक कुण्ड, शीतल कुण्ड** के पास (59.77 लाख रू०) तथा पटना के दानापुर में **गुरूद्वारा हांडी साहब** एवं **नारियल** घाट के पास (5.56 करोड़ रू०) **पर्यटकीय सुविधाओं के विकास** एवं पटना में **सिक्ख हेरिटेज एण्ड रिसर्च सेन्टर** फेज–2 (10.79 करोड़ रू०) का निर्माण और **प्रसाद योजना** के अन्तर्गत पटना साहिब (33.49 करोड़ रू०) का विकास किया जा रहा है।

- प्रधानमंत्री पैकेज के अन्तर्गत 500 करोड़ रू० की योजनाएं स्वीकृत हैं, जिसके तहत **जैन परिपथ** (52.38 करोड़ रू०), **कांवरियॉ परिपथ** (52.35 करोड़ रू०), **गाँधी परिपथ** (42.41 करोड़ रू०) एवं **मंदार हिल** व **अंग प्रदेश सर्किट** (53.49 करोड़ रू०) का विकास किया जा रहा है।

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

- वर्ष 2017–18 में कला, संस्कृति एवं युवा विभाग का स्कीम मद में रू० 57.95 करोड़ तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय रू० 79.60 करोड़ कुल प्राक्कलन रू० 137.55 करोड़ था तथा वर्ष 2018–19 में स्कीम मद में रू० 44.40 करोड़ तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय रू० 94.72 करोड़ कुल प्राक्कलन रू० 139.12 करोड़ है।

- पटना स्थित **बिहार म्यूजियम की सभी दीर्घाओं** का लोकार्पण 2 अक्टूबर, 2017 को किया गया। इससे देश–विदेश के पर्यटक एवं आमजन भारतीय उप–महाद्वीप के ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विकास में बिहार के योगदान से अवगत हो सकेंगे।

- बिहार म्यूजियम को **लोपाज डिजाइन** के लिए विश्व प्रसिद्ध **'आइएफ' डिजाइन अवार्ड** प्रदान किया गया है। इससे पहले वर्ष 2016 में इसकी पुस्तिका **'आई एम बिहार'** की विश्व प्रतिष्ठित **क्यूरियस इन बुक अवार्ड** प्रदान किया गया था।

- राजगीर में 633 करोड़ रू० की लागत से **अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्पोर्टस एकेडमी एवं क्रिकेट स्टेडियम** का निर्माण कराया जा रहा है।

- **मोईनुल हक स्टेडियम, पटना** को विश्व स्तरीय क्रिकेट स्टेडियम के रूप में विकसित किये जाने हेतु सरकार एवं बी०सी०ए० के बीच एम०ओ०यू० किये जाने की कार्रवाई की जा रही है।

- **मुख्यमंत्री खेल विकास योजनान्तर्गत** राज्य के विभिन्न जिलों में प्रखण्ड स्तर पर 113 स्टेडियमों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है तथा 51 नये स्टेडियमों की स्वीकृतिप्रदान की गई है।
- **राज्य खेल नीति, 2018** के निर्माण हेतु टास्क फोर्स का गठन किया गया है।
- वर्ष 2017–18 में बिहार विरासत विकास समिति एवं विश्व भारती, शांति निकेतन, प० बंगाल के संयुक्त तत्वावधान में **जयनगर पहाड़ी (लाल पहाड़ी) लखीसराय** में उत्खनन का कार्य किया जा रहा है।
- अरवल जिलान्तर्गत अवस्थित **पुरातात्विक स्थल लारी** एवं गया जिलान्तर्गत मेन ग्राम में अवस्थित **कोटेश्वरनाथ मंदिर** को सुरक्षित घोषित किया गया।
- चिरांद (सारण) में **प्रागैतिहासिक पार्क** का निर्माण कराया जाएगा।
- तेल्हाड़ा पुरातात्विक स्थल पर **ऑनसाइट म्यूजियम** का निर्माण कराया जाएगा।
- 661.00 लाख प्रति इकाई की लागत से 8 जिलों में **व्यायामशाला–सह–खेल भवन** के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है।
- **सांस्कृतिक संरचना निर्माण योजना** के तहत प्रति प्रेक्षागृह–सह–आर्ट गैलरी 8.19 करोड़ रू० की दर से दरभंगा, सहरसा, मुंगेर एवं पूर्णिया प्रमंडलीय मुख्यालय तथा बेगूसराय जिला मुख्यालय में 600 क्षमता वाले आधुनिक प्रेक्षागृह एवं चाक्षुष कला की प्रदर्शनी हेतु **आर्ट गैलरी** का निर्माण कराया जा रहा है। गया, भागलपुर एवं सारण प्रमंडलीय जिला मुख्यालय में इनके निर्माण हेतु अगले चरण में स्वीकृति दी जायेगी।
- चम्पारण सत्याग्रह शताब्दी वर्ष के अवसर पर बेतिया, मोतिहारी एवं मुजफ्फरपुर में 2000 व्यक्तियों की क्षमता वाले **गांधी स्मृति नगर भवन** के निर्माण की कार्रवाई की जा रही है।
- मिथिला लोक चित्रकला के संरक्षण/संवर्द्धन एवं विकास हेतु मधुबनी जिला के रहिका प्रखंड में **मिथिला चित्रकला संस्थान** का निर्माण कराया जायेगा, जहाँ इस विधा में सर्टिफिकेट एवं डिग्री कोर्स की पढ़ाई होगी।
- बिहार में फिल्म के विकास हेतु **राजगीर में फिल्म सिटी** का निर्माण हेतु 20 एकड़ भूमि अधिगृहित किया गया है। साथ ही बिहार राज्य फिल्म विकास प्रोत्साहन नीति–2018 भी बनाया जायेगा।
- पटना में आयोजित होने वाले थियेटर ओलम्पियाड के अवसर पर भारत एवं अन्य देशों के 15 नाटकों का मंचन किया जायेगा।

सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग

- वर्ष 2017–18 में सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग का स्कीम मद में रू० 90.12 करोड़ तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय रू० 114.43 करोड़ कुल प्राक्कलन रू० 204.55 करोड़ था तथा वर्ष 2018–19 में स्कीम मद में रू० 100.12 करोड़ तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय रू० 134.96 करोड़ कुल प्राक्कलन रू० 235.08 करोड़ है।
- विज्ञापन के प्रकाशन/प्रसारण की प्रक्रिया को **ई–प्लेटफार्म** पर लाकर व्यवस्थित, पारदर्शी एवं त्रुटिरहित बनाने हेतु इसे e-Advertisement web application के माध्यम से ऑन–लाईन किया गया है।
- सरकार की नीतियों, जनोपयोगी योजनाओं, कार्यक्रमों, उपलब्धियों एवं विशेष initiative की जानकारी आम लोगों तक पहुँचाने के उद्देश्य से मुख्यालय में **Social Media Common Hub** की स्थापना की गई है।
- सरकार की नीतियों, जनोपयोगी योजनाओं, कार्यक्रमों, उपलब्धियों एवं विशेष initiative आदि को प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आम लोगों तक पहुँचाने हेतु एक पी०आर०एजेन्सी का चयन किया गया है।
- राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के वेबसाईट में एकरूपता लाने, वेबसाईट को डायनेमिक तथा रिसपौन्सिव बनाने हेतु एक प्रोफेशनल एजेन्सी की नियुक्ति की गयी है, जो विभाग की आवश्यकतानुसार वेबसाईट की डिजाईनिंग करेगी।

वाणिज्य-कर विभाग

- वर्ष 2017–18 में वाणिज्य–कर विभाग का स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय का कुल प्राक्कलन रू० 129.12 करोड़ था तथा वर्ष 2018–19 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय का कुल प्राक्कलन रू० 154.63 करोड़ है।

GST (माल एवं सेवा कर)

- बिहार सहित पूरे देश में 01 जुलाई, 2017 से GST लागू किया गया है।
- 14 प्रतिशत से कम राजस्व संग्रहण की स्थिति में केन्द्र सरकार GST में समाहित राजस्व को संरक्षित करते हुए 5 वर्षों तक प्रतिवर्ष शेष राशि की भरपाई करेगी। इस संबंध में निर्धारित फार्मूला के अनुसार वर्ष 2018–19 से वर्ष 2021–22 तक क्रमशः 18,702 करोड़ रू०, 21,320 करोड़ रू०, 24,305 करोड़ रू० एवं 27,707 करोड़ रू० की राशि संरक्षित रहेगी एवं इनमें कमी होने की स्थिति में इसकी प्रतिपूर्ति केन्द्र सरकार द्वारा की जायेगी। वर्ष 2017–18 में 1 जुलाई, 2017 से 31 मार्च, 2018

तक GST मद में 12,994 करोड़ रू० का राजस्व संरक्षित है तथा जनवरी, 2018 तक केन्द्र से बिहार को 2,119 करोड़ रू० की राशि प्राप्त हो चुकी है। GST मद में संरक्षित राजस्व की राशि एवं गैर GST मद में अब तक प्राप्त राजस्व में पिछले वित्तीय वर्ष के विरूद्ध 15.16 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

- पेट्रो उत्पादों (Non-GST) एवं GST लागू होने के पूर्व के मामलों में VAT मद में कुल मिलाकर लगभग 7000 करोड़ रू० की राशि इस वित्तीय वर्ष में प्राप्त होने की सम्भावना है। इस प्रकार वर्ष 2017–18 में GST एवं Non-GST से कुल लगभग 20,000 करोड़ रू० राजस्व संग्रहण संभावित है।
- बिहार में GST प्रणाली में निबंधित अब तक 3.21 लाख व्यवसायियों में से पूर्व से VAT में निबंधित 1.84 लाख व्यवसायी एवं GST लागू होने के बाद निबंधन कराने वाले 1.36 लाख व्यवसायी शामिल हैं।
- GST प्रणाली में निबंधित कुल व्यवसायियों में से 82,727 व्यवसायियों (25.75%) ने समाहितीकरण योजना (Compounding Scheme) के तहत छोटे व्यवसायी के रूप में अपना निबंधन कराया है।
- GST प्रणाली के तहत विवरणी दाखिल करने में हो रही कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए GST परिषद् द्वारा एक सरलीकृत मासिक विवरणी (3B) की व्यवस्था लागू की गई है, जिसमें सभी महत्वपूर्ण ब्योरे समेकित रूप में उपलब्ध कराये जाने हैं, न कि बीजकवार अथवा व्यवसायीवार।
- GST प्रणाली के अधीन वर्तमान में लागू सरलीकृत विवरणी दाखिल करने वाले व्यवसायियों का औसत उत्तरोत्तर अखिल भारतीय औसत के पास पहुँचता जा रहा है जो निम्न तालिका से स्पष्ट है:–

	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर
बिहार	92.02%	85.88%	82.31%	76.01%	70.64%	65.03%
भारत	93.77%	89.42%	86.62%	82.23%	78.07%	77.03%

- विवरणी दाखिल करने की प्रक्रिया को सरलीकृत करने के संबंध सुझाव देने हेतु GST परिषद् द्वारा मंत्रियों के समूह का गठन किया गया है।
- आम उपभोक्ता पर कर के बोझ को कम करने के उद्देश्य से 200 श्रेणी से अधिक की कुछ वस्तुओं को 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत एवं अन्य को 18 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत कर के दायरे में लाया गया है।
- छोटे व्यवसायियों को सरल व्यवस्था प्रदान करने के उद्देश्य से समाहितीकरण (Compounding) के लिए विक्रय की सीमा को 75 लाख रू० से बढ़ाकर 1 करोड़ रू० कर दिया गया है।

- 1.5 करोड़ रू० विक्रय करने वाले व्यवसायियों को मासिक विवरणी के बजाय त्रैमासिक विवरणी दाखिल करने की सुविधा प्रदान की गई है। बिहार के कुल करदाताओं में ऐसे व्यवसायियों की संख्या 80 प्रतिशत है।

ई–वे बिल

- 1 अप्रैल, 2018 से ई–वे बिल प्रारम्भ किया जा रहा है।
- ई–वे बिल के माध्यम से देश में मालों के परिवहन व्यवस्था को अत्यंत सरल कर दिया गया है। इसके तहत अब देश के विभिन्न राज्यों में माल के परिवहन हेतु एक ही रोड परमिट की आवश्यकता होगी। पूर्व में देश के विभिन्न राज्यों से होकर माल के परिवहन हेतु सभी संबंधित राज्यों में अलग–अलग परमिट एवं ट्रांजिट पास की आवश्यकता होती थी ।
- GST लागू होने के उपरांत राज्य की सीमाओं पर बने चेक पोस्ट को बंद कर दिया गया है।
- इस व्यवस्था के तहत android app, mobile, internet, SMS आदि के माध्यम से भी रोड परमिट प्राप्त किया जा सकता है।
- 10 कि०मी० की परिधि में माल के परिवहन हेतु ई–वे बिल की आवश्यकता नहीं है। साथ ही 50,000 रू० मूल्य तक के माल के अंतर्राज्यीय परिवहन एवं राज्य के भीतर 2 लाख रू० मूल्य तक के माल के परिवहन को ई–वे बिल से मुक्त रखा गया है।
- VAT लागू रहने के दौरान भी ''सुविधा'' नाम से ई–वे बिल की व्यवस्था थी, जिसमें 17 कॉलम भरने पड़ते थे, परंतु अब केवल 10 कॉलम ही भरने की आवश्यकता है।
- नई व्यवस्था के अधीन 16 जनवरी, 2018 से अब तक 28,533 ई–वे बिल बने हैं।

परिवहन विभाग

- वर्ष 2017–18 में परिवहन विभाग का स्कीम मद में रू० 11.00 करोड़ तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय रू० 49.05 करोड़ कुल प्राक्कलन रू० 60.05 करोड़ था तथा वर्ष 2018–19 में स्कीम मद में रू० 43.00 करोड़ तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय रू० 79.69 करोड़ कुल प्राक्कलन रू० 122.69 करोड़ है।
- परिवहन विभाग का वर्ष 2015–16 में राजस्व संग्रहण रू० 1070.96 करोड़, वित्तीय वर्ष 2016–17 में राजस्व संग्रहण रू० 1249.61 करोड़ था, जो पिछले वर्ष से 16.84 प्रतिशत अधिक है। वर्ष 2017–18 के जनवरी माह तक राजस्व संग्रहण रू० 1204.78 करोड़ की वसूली हो चुकी है। वर्ष 2018–19 हेतु रू० 2000 करोड़ राजस्व वसूली का लक्ष्य है।

- वाहनों की बिक्री एवं निबंधन के क्षेत्र में भी प्रतिवर्ष उत्तरोत्तर वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2006–07 में जहाँ मात्र 1.47 लाख वाहनों का निबंधन हुआ था, वहीं वित्तीय वर्ष 2016–17 में 7.63 लाख वाहनो का निबंधन हुआ है। वित्तीय वर्ष 2017–18 के दिसम्बर माह तक 6.93 लाख वाहनों का निबंधन किया जा चुका है।

- वाहन निबंधन के सभी कार्य वर्तमान में **वाहन–4.0 सॉफ्टवेयर** के माध्यम से किये जाने की कार्रवाई 35 जिलों में प्रारंभ की गई है। शेष 3 जिलों में भी कार्य यथा शीघ्र प्रारंभ किया जायेगा। इस सुविधा के लागू होने से डीलर प्वाइंट पर ही निबंधन की व्यवस्था प्रारंभ हो जायेगी तथा सभी सुविधाए ऑनलाईन उपलब्ध होगी ।

- **सारथी–4.0 सॉफ्टवेयर** को राज्य के सभी जिलों में यथाशीघ्र लागू किये जाने की कार्रवाई की जा रही है तथा संबंधित डाटा को अपग्रेड किया जा रहा है। इसके लागू होने से आम–जन ऑनलाईन माध्यम से अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन दे सकेगें तथा सभी D.L. का डाटा ऑनलाईन हो जायेगा ।

- परिवहन विभाग द्वारा व्यवसायिक वाहनों के कर प्राप्ति हेतु पूर्व से ई–पेमेंट की व्यवस्था थी जिसे अब वित्त विभाग के द्वारा विकसित **ओ–ग्रास पोर्टल** के माध्यम से सभी प्रकार के वाहनों के लिए प्रारंभ किया जा रहा है जिससे आम–जनों को घर बैठे टैक्स टोकन के साथ–साथ ई–पेमेन्ट के माध्यम से सभी राशि का भुगतान की सुविधा प्राप्त होगी।

- राज्य सरकार द्वारा सड़क सुरक्षा के दृष्टीकोण से सभी व्यवसायिक वाहनों पर गति नियंत्रक उपकरण एवं रिफलेक्टिव टेप लगाये जाने हेतु अधिसूचना निर्गत की गई हैं। विभिन्न प्रकार के वाहनों के लिए अधिकतम गति सीमा निर्धारित है।

- प्रवर्तन तंत्र द्वारा समय–समय पर जाँच हेतु ऑनस्पाट चालान व्यवस्था लागू किये जाने हेतु हैन्ड हेल्ड डिवाइस की आर्पूति की व्यवस्था की जा रही है।

- नागरिकों की सुविधा हेतु तथा जिला परिवहन कार्यालयों के दक्षता बढ़ाने के क्रम में राज्य के सभी जिलों के **जिला परिवहन कार्यालय–सह–परिवहन सुविधा केंद्रों** के भवन निर्माण किया जा रहा है। कुल 18 जिलों में आधुनिक, सुसज्जित परिवहन भवन का निर्माण पूर्ण हो चुका है तथा 10 जिलों में कार्य प्रगति पर है।

- रोजगार के सृजन हेतु राज्य में व्यावसायिक वाहन चालकों को प्रशिक्षण देने के लिए बिहार सरकार तथा मारूति सुजुकी के संयुक्त भागीदारी से औरंगाबाद जिले में एक **आधुनिक चालक प्रशिक्षण–सह–शोध संस्थान** का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।

- महिलाओं की सशक्तीकरण के लिए व्यवसायिक अनुज्ञप्तिधारी महिला चालकों को महिलाओं के नाम पर निबंधित तिपहिया वाहन, टैक्सी, मोटर कैब, मैक्सी कैब आदि के चालन में शत–प्रतिशत वाहन कर में छुट दी गई है।

- निःशक्तजनों के लिए उनके द्वारा प्रयोग में लाए जा रहे वाहनों पर लगनेवाले कर को पूर्ण रुप से विलोपित कर दिया गया है।
- सड़क दुर्घटना के बाद घायलों को त्वरित चिकित्सा प्रदान किये जाने हेतु हेल्प लाईन नं० (100) पर डायल कर आवश्यक सहायता प्राप्त की जा सकती है। टॉल–फ्री नं०–1099 पर कार्यरत 44 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेन्स उपलब्ध है। टॉल–फ्री नं०–108 पर 5 बेसिक लाइफसपोर्ट एम्बुलेन्स एवं 5 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेन्स पटना जिला में उपलब्ध है।
- यातायात उल्लंघन से संबंधित मामलों की त्वरित जानकारी प्राप्त करने हेतु पटना पुलिस द्वारा मोबाइल सं०–9939919191 पर Whatsapp Cell स्थापित किया गया है।
- सड़कों एवं पुलों के संरक्षण के मद्देनजर वाहनों के ओवर लोडिंग पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से राज्य योजना के अंतर्गत बिहार राज्य के अंतर्राज्यीय मार्गों यथा पटना, बिहटा, फतुहाँ में **कम्प्युटराइज्ड वे–ब्रीज (धर्मकांटा)** का अधिष्ठापन पूर्ण हो चुका है।
- पर्यावरण की शुद्धता एवं संतुलन को कायम रखने के लिए मोटर वाहन जनित प्रदूषण नियंत्रण पत्र अनिवार्य कर दिया गया है। वर्तमान में राज्य में 299 जॉच केन्द्रों को अनुज्ञप्ति दी गई है तथा राज्य के सभी पेट्रोल पंपों पर प्रदूषण जाँच केन्द्रों की स्थापना की जा रही है।
- सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के अन्तर्गत बिहार राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा शहरी यातायात को व्यवस्थित करने के लिए **JnNRUM** योजना के तहत 356 बसों का संचालन किया जा रहा है।

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

- वर्ष 2017–18 में मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग का स्कीम मद में रू० 1.00 करोड़ तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय रू० 151.80 करोड़ कुल प्राक्कलन रू० 152.80 करोड़ था तथा वर्ष 2018–19 में स्कीम मद में रू० 1.00 करोड़ तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय रू० 183.75 करोड़ कुल प्राक्कलन रू० 184.75 करोड़ है।

निबंधन

- वर्ष 2017–18 में निर्धारित लक्ष्य ₹ 4600 करोड़ के विरूद्ध माह जनवरी, 2018 तक ₹ 2931.94 करोड़ राजस्व संग्रहण हो चुका है, जो लक्ष्य का 59.27 प्रतिशत है।
- बिहार राज्य आवास बोर्ड द्वारा आवंटित सम्पदाओं को लीज होल्ड अधिकार से फ्री–होल्ड अधिकारों में सम्परिवर्त्तित करने से संबंधित हस्तांतरण दस्तावेज में वर्णित सम्परिवर्त्तन हेतु भुगतान किए गए प्रतिफल की राशि पर ही स्टाम्प ड्यूटी एवं निबंधन शुल्क की प्रभार्यता नियत की गयी है।

- राज्य सरकार द्वारा बिहार स्टूडेन्ट क्रेडिट कार्ड योजना के अधीन ऋण प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों एवं बैंकों के बीच निष्पादित होने वाले एकरारनामा दस्तावेज हेतु देय मुद्रांक शुल्क की राशि 1000 रू० को घटाकर 100 रू० निर्धारित की गयी है।
- संपूर्ण भारत में बिहार पहला ऐसा राज्य है जहाँ न्यायिक मुद्रांकों की फर्जी बिक्री पर कारगर प्रतिबंध लगाने हेतु उच्च न्यायालय सहित राज्य के जिला एवं व्यवहार न्यायालय में फ्रैंकिंग मशीन के माध्यम से न्यायिक स्टाम्पों की बिक्री करायी जा रही है।
- कम्प्यूटरीकृत व्यवस्था के अधीन दस्तावेजों के निबंधन की प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने हेतु राज्य में Online Registration प्रणाली लागू किया गया है जिससे राज्य के किसी भी क्षेत्र से आम नागरिक दस्तावेजों का उपस्थापन एवं देय शुल्कों का भुगतान घर बैठे ऑनलाईन कर सकते हैं।
- **Online Payment** पर नागरिकों को देय स्टाम्प ड्यूटी की राशि में 1% , अधिकतम 2000 रूपये तक, की छूट देने का निर्णय लिया गया है।
- छात्र एवं आम नागरिक को शिक्षा एवं चिकित्सा ऋण हेतु दस्तावेजों पर देय निबंधन शुल्क (2%) एवं स्टाम्प ड्यूटी (1%) को घटाकर 0.5% कर दिया गया है।
- महिलाओं के पक्ष में दस्तावेज अंतरण हेतु विक्रय–पत्र एवं दान–पत्र से संबंधित दस्तावेजों के निबंधन पर देय स्टाम्प ड्यूटी एवं निबंधन शुल्क में 5% की छूट दी गयी है।
- सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन स्वयंसेवी संस्थाओं एवं भारतीय साझेदारी अधिनियम, 1932 के तहत फर्म के निबंधन हेतु केवल ऑनलाईन आवेदन ही स्वीकार किये जा रहे हैं तथा विगत एक वर्ष में कुल 1037 संस्थाओं एवं 114 फर्मों का निबंधन ऑनलाईन किया जा चुका है।
- विभाग के वेबसाईट **www.registration.bih.nic.in** पर हिन्दी, उर्दू एवं अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध 30 प्रकार के दस्तावेजों के मॉडल डीड के आधार पर अपना दस्तावेज तैयार कर उसे ऑनलाईन प्रस्तुत करने की सुविधा दी गई है।
- दस्तावेज निबंधन हेतु किसी प्रकार की कठिनाई के समाधान हेतु सभी निबंधन कार्यालयों में '**May I Help You**' Booth स्थापित किया गया है।
- बैकों में चालान के माध्यम से Credit Card/Debit Card या Net Banking द्वारा अपेक्षित निबंधन शुल्क जमा किया जा सकता है। साथ ही इन माध्यमों से ऑनलाईन पेमेन्ट का विकल्प देने की कार्रवाई की जा रही है।
- सभी निबंधन कार्यालयों में **e-stamping** की व्यवस्था लागू करने तथा **e-collection system** के माध्यम से विभिन्न प्रकार की शुल्क राशि प्राप्त करने एवं सरकारी कोष में जमा कराने का निर्णय लिया गया है।

मद्य निषेध एवं उत्पाद

- 26 नवम्बर को **''मद्य निषेध दिवस''** के स्थान पर **''नशा मुक्ति दिवस''** के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। 26 नवम्बर, 2017 नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर शराब के साथ–साथ अन्य नशीले पदार्थो की बुराईयों का प्रचार–प्रसार कर नशा सेवन के विरूद्ध जन चेतना जागृत करने के अभियान की शुरूआत की गई है।
- ताड़ का पेड़ एवं उसके उत्पाद का विकास के लिए नीरा निकालने के लिए 67280 अनुज्ञप्ति निर्गत किया गया।
- उत्पाद अभियोगों का त्वरित निष्पादन हेतु सभी जिलों में विशेष न्यायालय गठन किया गया है।
- 03 फरवरी, 2018 तक पुलिस द्वारा 4.07 लाख छापामारी किया गया है एवं 75.97 हजार अभियुक्तों को जेल भेजा गया है। इस अवधि के दौरान 6.37 लाख ली० विदेशी शराब एवं 1.82 लाख ली० चुलाई शराब जब्त किया गया है।

खान एवं भू-तत्व विभाग

- वर्ष 2017–18 में खान एवं भू–तत्व विभाग का स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय का कुल प्राक्कलन रू० 25.85 करोड़ था तथा वर्ष 2018–19 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय का कुल प्राक्कलन रू० 51.44 करोड़ है।
- वर्ष 2017–18 में वार्षिक लक्ष्य 1350.00 करोड़ के विरूद्ध माह दिसम्बर, 2017 तक 443.05 करोड़ रू० की राजस्व वसूली हुई है।
- अवैध उत्खनन की रोक–थाम के लिए सभी जिलों में टास्क फोर्स का गठन एवं मुख्यालय में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। वर्ष 2017–18 में माह दिसम्बर, 2017 तक 8912 छापेमारी, 1623 प्राथमिकी दर्ज एवं 1161 अवैध उत्खननकर्ताओं की गिरफ्तारी तथा दण्ड के रूप में कुल 7.86 करोड़ रू० की वसूली की गयी है।
- भ्रष्टाचार के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई करते हुए अभी तक 13 कर्मियों को सेवा से बर्खास्त एवं 6 सेवानिवृत कर्मियों के शत–प्रतिशत पेंशन को जप्त किया गया है तथा 30 कर्मियों पर अन्य दण्ड अधिरोपित किये गये हैं।
- अबतक 5 जिलों में कुल 49 पत्थर खनन पट्टों की पाँच वर्षों के लिए बंदोबस्ती लोक नीलामी के माध्यम से की गयी है, जिसकी राशि 916.84 करोड़ रू० है।
- 01 दिसम्बर, 2017 से बिहार राज्य खनन निगम के माध्यम से आम जनता को निर्धारित दर पर बालू एवं पत्थर उपलब्ध कराया जा रहा है।

- लघु खनिजों के परिवहन हेतु PMU (Project Management Unit) द्वारा ई–चालान की व्यवस्था को पूरे राज्य में लागू किया गया है।
- 500 सैप जवान, 350 होम गार्ड एवं बोट पेट्रोलिंग के माध्यम से अवैध खनन/परिवहन के रोकथाम की कार्रवाई प्रभावी ढ़ंग से की जा रही है।

वित्त विभाग

- वर्ष 2017–18 में वित्त विभाग का स्कीम मद में रु० 62.00 करोड़ तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय रु० 894.57 करोड़ कुल प्राक्कलन रु० 956.57 करोड़ था तथा वर्ष 2018–19 में स्कीम मद में रु० 62.00 करोड़ तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय रु० 1028.07 करोड़ कुल प्राक्कलन रु० 1090.07 करोड़ है।
- बिहार स्टुडेंट कार्ड योजनांतर्गत विद्यार्थियों को ससमय ऋण उपलब्ध कराने हेतु बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है तथा इसके संचालन एवं कार्यालय प्रबंधन हेतु 131 पदों का सृजन किया गया है।

CFMS (Comprehensive Financial Management System)

- वर्ष 2008 से कोषागार की क्रियाकलापों के बेहतर संचालन हेतु CTMIS (Comprehensive Treasury Management Information System) का प्रयोग किया जा रहा है तथा इससे वित्तीय प्रबंधन एवं अनुशासन सुदृढ़ हुआ है।
- बेहतर वित्तीय प्रबंधन हेतु CTMIS के स्थान पर उन्नत तकनीक एवं परिष्कृत प्रणाली के रूप में समेकित वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (CFMS) को अप्रैल, 2018 से लागू करने का निर्णय लिया गया है, जिसका का विकास एवं सम्बर्द्धन चरणबद्ध तरीके से किया जायेगा।
- CFMS लागू होने के बाद राज्य का सम्पूर्ण वित्तीय कार्य एवं कोषागार की कार्य प्रणाली पूर्णतः ऑन लाईन हो जायेगा। इसके माध्यम से बजट प्रबंधन की क्षमता में वृद्धि होगी, लेखा व अंकेक्षण, प्राप्ति व व्यय तथा बजट प्रबंधन में सुधार होगा, ई–पेमेंट के माध्यम से सरकारी राशि सीधे लाभुकों के खाते में अंतरित की जा सकेगी तथा ई–रिसीट के माध्यम से सरकारी खाते में राशि ऑनलाईन जमा की जा सकेगी। CFMS लागू होने पर वित्तीय लेन–देन में पारदर्शिता आयेगी। इससे राज्य के वित्तीय प्रबंधन में मदद मिलेगी तथा सटीक लेखांकन संभव हो सकेगा।

GeM (Government e-Marketplace)

- सरकारी खरीद में दक्षता, मितव्ययिता, निष्पक्षता, प्रतिस्पर्धात्मक दर एवं पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से राज्य सरकार के विभिन्न विभागों/कार्यालयों द्वारा GeM Portal से सामग्रियों/सेवाओं की अधिप्राप्ति को अनिवार्य किये जाने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
- इसके प्रथम चरण में 1 अप्रैल, 2018 से सचिवालय स्थित विभागों एवं अन्य कार्यालयों में GeM Portal से सामग्रियों/सेवाओं की अधिप्राप्ति की जायेगी।
- GeM के तहत Portal पर उपलब्ध Supplier से रु० 50,000.00 तक की सामग्री की खरीद सीधे की जा सकेगी। 50,000 रु० से अधिक की सामग्रियों की खरीद, न्यूनतम कीमत रखने वाले आपूर्तिकर्ता के माध्यम से online bidding एवं online reverse auction का उपयोग करते हुए की जा सकेगी।
- बिहार एवं राज्य से बाहर के Supplier अपना निबंधन GeM Portal पर करवा सकते हैं। आदिनांक बिहार के 197 आपूर्तिकर्ताओं ने GeM Portal पर निबंधन करा लिया है।

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT)

- राज्य एवं केन्द्र सरकार की सभी योजनाओं की राशि DBT द्वारा लाभार्थियों के बैंक खाते में सीधे भेजी जायेगी। इस हेतु **e-Labharathi** योजनांतर्गत विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के चिन्हित लाभुकों का केन्द्रीकृत लाभार्थी डाटाबेस (Central Beneficiary Database-CBDB) तैयार किया जा रहा है।
- राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभांवितो को **Subsidy/Scholarship** की राशि **RTGS/NEFT** द्वारा उनके बैंक खाते में अंतरित कराने हेतु उनके बैंक खाते को आधार नम्बर से जोड़ने की अवधि को दिनांक 31 मार्च, 2018 तक विस्तारित किया गया है।
- विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत 3.60 करोड़ लाभुकों में से 48 लाख लाभुकों को आधार संख्या से जोड़ दिया गया है तथा शेष को जोड़ने की कार्रवाई की जा रही है।

सांस्थिक वित्त

- **राज्य साख योजनांतर्गत** वर्ष 2016–17 में बिहार के बैंको द्वारा 01 लाख करोड़ रु० के विरूद्ध 87,909 करोड़ रु० का ऋण दिया गया जो लक्ष्य का 87.91 प्रतिशत था। वर्ष 2017–18 के तृतीय तिमाही तक कुल 1,10,000 करोड़ रु० के विरूद्ध अभी तक 73,215 करोड़ की प्राप्ति हुई है जो लक्ष्य का 66.56 प्रतिशत है।

- वर्ष 2016–17 में जमा राशि 2,80,370 करोड़ रु० थी जबकि ऋण 1,23,191 करोड़ रु० थी एवं **ऋण जमा अनुपात** 43.94 प्रतिशत था। वर्ष 2017–18 के तृतीय तिमाही तक कुल 2,89,017 करोड़ रु० जमा के विरूद्ध कुल ऋण 1,24,967 करोड़ रु० है जो 41.67 प्रतिशत है ।
- वर्ष 2017–18 में माह अप्रैल से दिसंबर के मध्य तक निर्गत 20.19 लाख किसान क्रेडिट कार्ड में से 3.93 लाख नये एवं शेष 16.26 लाख का नवीनीकरण किया गया है। आदिनांक कुल 78.16 लाख किसान क्रेडिट कार्ड खातों में कुल 47,054 करोड़ रु० का ऋण दिया गया है।
- वर्ष 2016–17 में 12.57 लाख व्यक्तियों को **मुद्रा ऋण** के तहत रु० 7,069 करोड़ तथा वर्ष 2017–18 में दिसंबर के बीच 6.00 लाख व्यक्तियों को 4,364 करोड़ रु० ऋण दिया गया।
- वर्ष 2017–18 में अप्रैल से दिसंबर के बीच **प्रधानमंत्री जन–धन योजना** के तहत खोले गये 55.74 लाख खाते में 1669 करोड़ रु० जमा हैं। राज्य में आदिनांक 3.50 करोड़ जन–धन खाते में जमा राशि 6403 करोड़ रु० है।
- **प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजनांतर्गत** आदिनांक 64.46 लाख निबंधित खातों के विरुद्ध 1718 दावा प्राप्त हुए हैं तथा 1309 दावों का निष्पादन किया गया है।
- **प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजनांतर्गत** वर्ष 2017–18 में दिसंबर तक 4.33 लाख खाते खोले गये तथा 797 लोगों द्वारा किये गये दावे को Settle किया गया। आदिनांक कुल 15.53 लाख खुले खाते के विरूद्ध 2383 दावे को Settle किया गया है।
- वर्ष 2017–18 में **अटल पेंशन योजनांतर्गत** माह अप्रैल से दिसंबर तक 4.39 लाख खाते खोले गये हैं। आदिनांक कुल खातों की संख्या 10.45 लाख है।
- वर्ष 2017–18 में **बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड** के तहत 12583 लोगों को 348.97 करोड़ रु० का ऋण स्वीकृत किया गया है तथा 9100 लोगों को 69.22 करोड़ रु० का ऋण वितरित किया जा चुका है।
- 31 दिसम्बर, 2017 को राज्य में 6876 बैंक ब्राँच, 15584 BC Agents, 6803 ATMs, 4.41 करोड़ ATM Cards कार्यरत हैं तथा 31739 PoS Machine का वितरण हुआ है।

माननीय अध्यक्ष महोदय,

मैंने पूर्व में सरकार की उपलब्धियों तथा आने वाले वर्ष के विभागवार कार्यक्रमों को सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है। अब मैं वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2017–18 के पुनरीक्षित अनुमानों तथा अगले वित्तीय वर्ष 2018–2019 के बजट अनुमानों को संक्षेप में प्रस्तुत कर रहा हूँ।

आय–व्यय अनुमानों का संक्षिप्त विवरण :–

क्र.सं.	विवरण	2017–18 का पुनरीक्षित प्राक्कलन (करोड़ रूपये)	2018–19 का बजट प्राक्कलन (करोड़ रूपये)
1	2	3	4
1	कुल राजस्व प्राप्ति	1,33,110.55	1,58,051.41
2	राज्य सरकार का राजस्व	34,856.52	35,447.92
3	संघीय करों में राज्य का हिस्सा	65,083.19	76,172.37
4	केन्द्र से प्राप्त सहायक अनुदान	33,170.85	46,431.12
5	राजस्व व्यय	1,31,661.24	1,36,739.67
6	राजस्व बचत (+)/घाटा(–)	1,449.31	21,311.74
7	पूंजीगत प्राप्ति	21,056.28	23,203.93
8	पूंजीगत व्यय	41,223.04	40,250.60
9	कुल प्राप्ति	1,54,166.83	1,81,255.34
10	कुल व्यय	1,72,884.28	1,76,990.27
11	राजकोषीय घाटा	34,958.45	11,203.95

समेकित निधि में भारित राशि– वित्तीय वर्ष 2018–19 के बजट में **19,084.63** करोड़ रूपये भारित मद में व्यय होना प्रस्तावित है, जिसमें सूद मद में **10,763.49** करोड़ रूपये, लोक ऋण की मूलधन वापसी में **7,326.41** करोड़ रूपये, निक्षेप निधि में **775.18** करोड़ रूपये, माननीय उच्च न्यायालय के व्यय हेतु **155.27** करोड़ रूपये, बिहार लोक सेवा आयोग के लिए **24.46** करोड़ रूपये, राज्यपाल सचिवालय हेतु **20.07** करोड़ रूपये, लोकायुक्त के लिए **6.19** करोड़ रूपये, बिहार विधान सभा के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष तथा बिहार विधान परिषद् के सभापति/उप सभापति के वेतन एवं भत्ते मद हेतु **1.14** करोड़ रूपये एवं माननीय उच्च न्यायालय के सेवानिवृत न्यायाधीशों के सेवा निवृति लाभ मद में **12.41** करोड़ रूपये प्रस्तावित है।

राजकोषीय घाटा – राजकोषीय घाटा को नियंत्रण में रखने के लिए बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम में लक्ष्य निर्धारित किये गये है। वर्ष 2018–19 में राजकोषीय घाटा को कुल राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 3 प्रतिशत तक सीमित रखने का लक्ष्य है। योजना एवं विकास विभाग के अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय के पत्र संख्या–1767 दिनांक–01.11.2017 से वित्तीय वर्ष 2018–19 का राज्य सकल घरेलू उत्पाद आधार वर्ष 2011–12 पर 5,15,634.00 करोड़ रूपये का बताया गया है। वित्तीय वर्ष 2018–19 में बजट प्रावधान में जो राशि प्राप्ति एवं व्यय के लिए सम्मिलित की गयी है उसके अनुसार राजकोषीय घाटा 11,203.95 करोड़ रूपये का हो रहा है, जो कि राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 2.17 प्रतिशत है, यह निर्धारित 3 प्रतिशत की अधिसीमा के अंतर्गत है।

अध्यक्ष महोदय,

मुख्यमंत्री के 7 निश्चय, तीसरे कृषि रोड मैप, प्रधानमंत्री के बिहार पैकेज, हर घर–खेत तक बिजली, शराबबंदी, बाल विवाह और दहेज विरोधी अभियान के बलबूते 'भ्रष्टाचार मुक्त, विकसित बिहार' बनाने के संकल्प की दिशा में बिहार बजट, 2018 मील का पत्थर साबित होगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं बजट भाषण सदन के पटल पर रखता हूँ।

उनकी शिकवा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है,

मुझे यकीन है कि ये आसमां कुछ कम है।

वाकिफ कहाँ जमाना, हमारी उड़ान से,

वो और थे जो हार गए आसमां से।

रख हौसला, वो मंजर भी आएगा

प्यासे के पास चलकर समन्दर भी आएगा।

थक कर ना बैठ, ए–मंजिल के मुसाफिर

मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा।

जय बिहार ! जय भारत !! वंदे मातरम् !!!

वर्ष 2018-19

महत्वपूर्ण स्कीम

(राशि करोड़ रूपए में)

क्रमांक	स्कीम का नाम	प्रशासी विभाग	कुल बजट प्राक्कलन
1	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	ग्रामीण कार्य	5285.66
2	मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना	ग्रामीण कार्य	2415.31
3	ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय योजना	ग्रामीण कार्य	1035.64
4	सबके लिए आवास (शहरी मिशन)	नगर विकास	450.00
5	स्वच्छ भारत मिशन	नगर विकास	290.00
6	100 स्मार्ट सिटी मिशन	नगर विकास	530.00
7	अमरूत योजना	नगर विकास	560.00
8	राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन	नगर विकास	105.00
9	केन्द्रीय सड़क नीधि	पथ निर्माण	430.85
10	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क परियोजना–वामपंथ उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए	पथ निर्माण	515.00
11	आईसीडीएस	समाज कल्याण	2863.55
12	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन	समाज कल्याण	1752.41
13	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन	समाज कल्याण	304.00
14	लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	समाज कल्याण	270.00
15	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण	800.00
16	ग्रामीण जलापूर्ति एवं स्वच्छता कार्यक्रम	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण	150.00
17	मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण	1598.99
18	मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना	योजना एवं विकास	692.41
19	मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता योजना	योजना एवं विकास	300.00
20	पंचायत सरकार भवन	पंचायती राज	341.00
21	मुख्यमंत्री निश्चय योजना	पंचायती राज	1925.00

क्रमांक	स्कीम का नाम	प्रशासी विभाग	कुल बजट प्राक्कलन
22	एआईबीपी	जल संसाधन	1000.00
23	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	जल संसाधन	182.57
24	ग्राम न्यायालयों सहित न्यायपालिका हेतु अवसंरचना का विकास	विधि	250.00
25	सर्व शिक्षा अभियान	शिक्षा	14039.10
26	मुख्यमंत्री बालिका पोशाक	शिक्षा	306.00
27	मुख्यमंत्री पोशाक	शिक्षा	310.00
28	मुख्यमंत्री बालक साईकिल	शिक्षा	175.00
29	मुख्यमंत्री बालिका साईकिल	शिक्षा	174.00
30	बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम	शिक्षा	148.00
31	मध्याह्न भोजन योजना	शिक्षा	2171.46
32	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान	शिक्षा	416.67
33	छात्रवृत्ति	पिछड़ा एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण	1472.94
34	बिहार विकास मिशन	मंत्रिमंडल सचिवालय	150.00
35	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना	सहकारिता	408.51
36	मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना	अल्पसंख्यक कल्याण	51.00
37	अल्पसंख्यकों के लिए बहुक्षेत्रक विकास कार्यक्रम	अल्पसंख्यक कल्याण	175.00
38	निश्चय–विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में निःशुल्क वाई–फाई की सुविधा	सूचना प्रावैधिकी	52.00
39	बीआरजीएफ (ऊर्जा)	ऊर्जा	2013.83
40	अभियंत्रण महाविद्यालय भवन (निश्चय)	विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी	475.00
41	पॉलिटेक्नीक भवन (निश्चय)	विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी	150.00
42	बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन परियोजना	ग्रामीण विकास	430.00
43	मनरेगा	ग्रामीण विकास	2181.49

क्रमांक	स्कीम का नाम	प्रशासी विभाग	कुल बजट प्राक्कलन
44	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	ग्रामीण विकास	999.43
45	सबके लिए आवास (ग्रामीण मिशन)	ग्रामीण विकास	6411.27
46	स्वच्छ भारत मिशन– ग्रामीण	ग्रामीण विकास	4228.65
47	राष्ट्रीय कृषि विकास मिशन	कृषि	259.33
48	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	स्वास्थ्य	1879.83
49	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	स्वास्थ्य	578.74
50	कौशल विकास मिशन	श्रम संसाधन	53.33